(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5) षष्ठम् विधान सभा के पंचम् सत्र का दूसरा दिवस (संख्या 2

1] [2

मंगलवार

दिनांक 27-2-1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री काशीनाथ गुप्त।

गोवर्धन ड्रेन का पानी

1. श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गोवर्धन ड्रेन का जो पानी भरतपुर जिले में भारी बाढ़ पैदा करता हुआ मार्च महीने तक बहता रह कर अन्ततः उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाता है, उसमें से उस स्थान पर, जहां भरतपुर फीडर गोवर्धन ड्रेन के ऊपर होकर जा रही है, विद्युत् संयोजन की व्यवस्था भी है?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां दो सौ क्यूसेक्स पानी गोवर्धन ड्रेन में से लिफ्ट कर भरतपुर फीडर में डाल दिया जाये तो उससे तीस ग्रामों की बीस हजार एकड़ भूमि सिंचित होकर एक लाख मन अन्न प्रति वर्ष अधिक पैदा होगा और साढ़े चार लाख रुपये की राशि आबपाशी (सिंचाई कर) के रूप में प्रति वर्ष मिलेगी जब कि इस पर आने वाली अनुमानित लागत सिंचाई विभाग के तकनीशियनों के अनुसार साढ़े चौदह लाख रुपया ही आयेगी?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष के बजट सत्र में यह योजना मेरे द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) अपेक्षाकृत कम व्यय से किसानों के लिये अत्यधिक लाभदायक इस योजना को पूरा करने में शिथिलता क्यों बरती जा रही है?

राज्य सरकार का इस पर अन्तिम निर्णय कब होगा और फिर कब तक यह क्रियान्वित हो जायेगी?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां। उस स्थान पर बिजली की व्यवस्था है लेकिन पानी मार्च मास तक किसी वर्ष ही बहता रहता है।

(2) गोवर्धन ड्रेन से 200 क्यूसेक्स पानी रबी की फसलों को सिंचित करने को केवल किसी वर्ष में ही उपलब्ध हो सकेगा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अतः भरतपुर फीडर से प्रश्न में अंकित सम्भावित लाभ असंदिग्ध नहीं है। इसके विस्तृत प्रस्तावों की जांच की जा रही है। लिफ्ट की लागत के साथ-साथ आवर्तक लागत को भी देखना आवश्यक है अतः उस परिप्रेक्ष्य में इसे जांचना होगा।

(3) जी हां। इस योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

(4) योजना विचाराधीन है। विस्तृत जाच करने पर तथा लाभ तथा लागत अनुपात ठीक होने पर इसे क्रियान्वित करने पर विचार किया जावेगा।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1960 में जिस समय भरतपुर फीडर बनाई गई थी उस समय उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ था कि इसके द्वारा वर्षा का पानी दिया जायेगा। इन 15 सालों में एक दिन भी पानी पूरा नहीं आया है। हाहाकार मच रहा है। सन् 77 में बाढ़ आई, सन् 78 में बाढ़ आई, सन् 76 में बाढ़ आई आप कैसे कहते हैं कि पानी की कमी रहती है? बरसात में पानी लेने के लिये नहर बनवाई गयी थी। बरसात में पानी आ ही सकता है फसलों के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करने की सरकार की नीति है किन्तु आंकड़े यह कहते हैं कि 1973-74 के अक्टूबर मास में 180 क्यूसेक्स पानी रहा। नवम्बर मास में इतना पानी कम था कि नापा नहीं जा सका। 1974-75 में बहुत कम पानी रहा। अक्टूबर में उसका नाप नहीं हो सका। 1975-76 में 310 क्यूसेक्स रहा। नवम्बर में 181 क्यूसेक्स रहा, दिसम्बर में 181 क्यूसेक्स रहा और उसके बाद पानी की मात्रा इतनी कम हो गई कि नापना सम्भव नहीं हुआ। 1976-77 में अक्टूबर में 635 क्यूसेक्स रहा। नवम्बर में 274 क्यूसेक्स रहा। दिसम्बर में 181 क्यूसेक्स रहा। उसके बाद पानी एकदम समाप्त हो गया। 1977-78 में मार्च तक 181 क्यूसेक्स रहा है। 1978-79 में अक्टूबर में 520 क्यूसेक्स रहा। कामां में बन्द कर दिया इसलिये इसमें बिलकुल पानी नहीं है। मैं माननीय सदस्य महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट योजना और चल रही है जो न लाभ न हानि की योजना है। मैं सदस्य महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने यह कहा है कि बढ़ी हुई कीमत भी दे सकेंगे। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश की सीमा में है। अन्तरांज्यीय सवाल है। इन बातों पर चर्चा चल रही है। माननीय सदस्य के इस प्रश्न को रखा गया है। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चल रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पानी की मात्रा ठीक आयेगी तो पानी देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिये जारी बात कही है।

श्री काशी नाथ गुप्त : नहर वर्षा काल के लिये बनाई गई है। नवम्बर में पानी नहीं रहता है। वर्षाकाल में, जिस समय बाढ़ आती है, तो इसका पानी उपयोग में आ सकता है।

Page No. 3

(3)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्रीमती मदन कौर ।

आगामी बजट में किसानों को राहत बाबत चर्चा

2. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान सहित देश के कुछ प्रान्तों के मुख्य मंत्री हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिले थे और आगामी बजट में किसानों को राहत, प्रोत्साहन देने संबंधी विषयों पर चर्चा करके अपनी मांग/सुझाव प्रेषित किये थे ? यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान के मुख्य मंत्री किसानों की समस्याओं के बारे में केन्द्रीय वित्त मंत्री से दिनांक 5 फरवरी, 1979 को मिले। इन मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष कृषकों को उनके उत्पादनों का समुचित मूल्य दिलवाने तथा कृषि उपयोग में आने वाले यंत्रों, रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर बल दिया । केन्द्रीय वित्त मंत्री को कोई लिखित ज्ञापन इस बारे में नहीं दिया गया ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहूंगी कि किसानों की फसलों को प्राकृतिक प्रकोपों से जो हानि होती है उसकी कुछ अंशों तक पूर्ति की जा सके, इस दृष्टि से फसल बीमा योजना लागू करने के संबंध में क्या कोई चर्चा केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से की गई ? दूसरा सवाल यह है कि फसल आने पर साधारणतया मण्डियों में फसलों की कीमतें कम होती हैं और किसानों को बाध्य होकर अपनी फसल कम कीमत में बेचनी पड़ती है। अतः कोई समुचित भण्डार व्यवस्था के संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से वार्ता हुई है ? अगर हुई है, तो क्या हुई है ? और अगर नहीं की गई, तो क्या सरकार इन मुद्दों को महत्वपूर्ण नहीं समझती ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ मैं वित्त मंत्री जी से मिला। उस समय लिखित में कुछ ज्ञापन तो नहीं दिया लेकिन किसानों से सम्बन्धित जितनी भी समस्यायें थीं, विशेष रूप से माननीय सदस्या ने जैसा कहा कि किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता, इस आधार पर हमने काफी चर्चा की। खास तौर से गन्ने और कपास और आगे की गेहूं की फसल के बारे में भी। मेरा अनुमान है जिस तरह से गेहूं का भण्डार है अगर तुरन्त खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई तो किसानों को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इन सारे प्रश्नों पर चर्चा की थी। चूंकि नये वित्त मंत्री बने हैं, हमने यह भी चर्चा की कि किसानों के काम आने वाली चीजें हैं जिनका मूल्य बहुत बढ़ गया है, इसको किस प्रकार घटाया जा सकता है, इस बारे में विचार करना चाहिये। आप इन्श्योरेन्स के बारे में चर्चा हुई थी कि कहां-कहां, किस-किस प्रकार से यह आप इन्श्योरेन्श लागू हो सकता है। बजट समीक्षा का समय था, वित मंत्री जी साफ तौर से कहने की स्थिति में नहीं थे। उनकी निगाह में लाने के लिये हम लोग मिले थे। उनकी सहानुभूति थी, इतना ही कह सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह केवल इनफार्मल मीटिंग थी। यह फार्मल मीटिंग नहीं थी। इस इन्फार्मल मीटिंग में आप बतायें, काश्तकार जो चीजें उत्पादित करता है उसके विषय में आपके क्या व्यूज हैं, उनका क्या मूल्य रखा जाये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में कोई बात नहीं हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, यह तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आने वाली फसल की किस तरह से खरीद-फरोख्त हो, किस तरह से भाव तय हों इस बारे में चर्चा की। आज मण्डियों में कपास के ढेर लगे हुए हैं, उसमें आग लग रही है, वह बिक नहीं रही हैं। गंगानगर जिले की मंडियां भरी हुई हैं। किसानों को पूरा पैसा नहीं देते हैं। राज्य सरकार ने इस बारे में क्या फैसला किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से तो इस सम्बन्ध में बातचीत नहीं हुई लेकिन आज से करीब एक–डेढ़ माह पूर्व, तारीख तो मुझे अभी निश्चित याद नहीं है, जोधपुर हाउस में हम उनसे मिले थे। पटेल साहब भी आये थे और भी कई एग्रीकल्चर में इन्टरेस्टेड व्यक्ति शामिल थे। उस समय हमने मांग की थी कि काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया को राजस्थान में कपास की खरीद करनी चाहिये। उसके बाद काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया मार्केट में आया और कपास की खरीद की। जो चौधरी साहब से बात हुई थी वह मैंने बता दी। कपास, कपड़ा, शुगर और शुगरकेन, इस पर हमें वित्तीय दृष्टि से भी विचार करना चाहिये, कपास की प्राइस कपड़े से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसी तरह शुगर की कीमत शुगर केन से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस तरह का प्राइसेज में अन्तर नहीं होना चाहिये। इनकी प्राइसेज को किस तरह ऐसा बनाया जा सकता है कि उत्पादक और कन्जूमर दोनों को हानि नहीं हो। जो चौधरी साहब से चर्चा हुई वह विस्तार से मैंने बता दी। आप शुगर-केन और कपास की बात कह रहे हैं, मैं आगे की फसल की बात कह रहा हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सी. सी. आई. के द्वारा खरीदने के बाद क्या राहत मिली ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि सी सी. आई. ज्यादा से ज्यादा पर्चेजिंग सैन्टर खोले और कपास की खरीद करे। अभी पिछले दिनों दिल्ली में बातचीत हुई थी कि सी. सी. आई. को जितनी पर्चेज करनी चाहिये थी, वह नहीं कर रही है। इससे अधिक खरीद की जाय ताकि उनकी अधिक कपास खरीदी जा सके।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी का ध्यान किसानों की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित किया, उसके सम्बन्ध में तो धन्यवाद। किसानों को जो लार्ज स्केल पर नुकसान होता है वह प्राकृतिक प्रकोप से होता है। उस सम्बन्ध मे आपने कोई निश्चित सुझाव वित्त मंत्री जी को पेश नहीं किये।

(श्रीमती मदन कौर)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि फसल के समुचित भण्डार के सम्बन्ध में आपने कोई पर्याप्त उत्तर नहीं दिया। मैं यह चाहती हूं कि आप इस सम्बन्ध में भी उत्तर दें।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने धनिया की प्राइस के बारे में नहीं बताया। मैं निवेदन करना चाहता हूं रामगंज मण्डी और भवानी मण्डी में जिस धनिये का भाव 500/–रु. क्विण्टल होता था वह आज गिर कर 80–100 रुपये क्विण्टल बिक रहा है। मेरा निवेदन है कि इसको सपोर्ट प्राइस देकर गवर्नमेन्ट जब तक नहीं खरीदेगी तब तक किसानों का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : जीरे के भी ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके बोलें। आपको भी पूछने का समय दूंगा और आपको भी समय दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने जो धनिये का प्रश्न उठाया है वह तो एक अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्या ने पर्टीकूलरली भण्डारण व्यवस्था के सम्बन्ध में जानना चाहा है। मैं बताना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई है। कोई बात यहां छिपा कर मैं नहीं चलना चाहता हूं। जो कुछ बात हुई है, वह मैंने बता दी। क्राप इन्श्योरेन्स के बारे में चर्चा हुई थी कि इसकी व्यापक स्टडी होनी चाहिये कि किस प्रकार क्राप इन्श्योरेन्स कर सकें।

धनिये के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में सारे मुख्य मंत्रियों की और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें इसकी भी चर्चा हुई थी। धनिये और जीरे के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने आपस में बैठकर सलाह की है। भारत सरकार पर खरीद के लिये दबाव डाला जाय, वह इनकी अधिक से अधिक खरीद करे और कोई प्राइस निश्चित करे, इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ऐरन।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा। क्या आप प्राइस स्टेबलाइजेशन फण्ड, जो दूसरे राज्यों में हैं, अपने यहां भी खोलने का विचार रखते हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में पैदा हो रहा है किन्तु एक व्यापारी खाद्यान्न के भण्डार को एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं रख सकता है। उससे अधिक मात्रा को किसी भी भाव में बेचना पड़ता है। क्या किसानों को व्यापारी के चंगुल में फंसने से बचाने के लिये राज्य सरकार कोई इरादा कर रही है कि इस प्रकार की लिमिट को हटाया जाय?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या राज्य सरकार काटन और गेहूं के लिये कोई प्लान बना रही है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लान बनाने का तो सवाल ही नहीं है, यहां तो क्वेश्चन है लिमिट का। अभी माननीय सदस्य, जो जयपुर से आ रहे हैं, अनाज के स्टाक की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार ने विचार भी किया है, उसकी जानकारी सम्भवतः आपको एक-दो दिन में मिल जायगी।

इस समय राजस्थान में प्राइस स्टेबलाइजेशन फण्ड की व्यवस्था नहीं है।

जीरे के सम्बन्ध में आपने कहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं जीरा, लहसन और प्याज के लिये भारत सरकार ने एक्सपोर्ट की परमीशन दे दी है। इससे प्राइस में सुधार हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एग्रीकल्चर कामोडिटीज की प्राइस के बारे में काफी कुछ कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सदस्यों को राजी करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री ईश्वर चन्द्र।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। राज्य सरकार खरीदने के लिए क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष : बहुत ही इम्पार्टेन्ट है। सरकार भी सजग है। इस सम्बन्ध में सारे हिन्दुस्तान में सन्तुलन लाना होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जहां सी. सी. आई. खरीद कर रही है वहां महाराष्ट्र ने अलग से कार्पोरेशन बनाया है। क्या राज्य सरकार भी अपनी स्टेट के लिये कोई कार्पोरेशन बना रही है जो मार्केट में आकर खरीद करे?

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : मुख्य मंत्री जी ने यह बताया कि भण्डारण व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दोनों एक साथ ही बोल रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर : तो क्या मैं यह मान कर चलूं कि राज्य सरकार भण्डारण की व्यवस्था को महत्वपूर्ण नहीं मानती?

पंचायत समिति तथा जिला परिषदों के चुनाव

3. श्री **हरजी राम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे?

(2) क्या मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत राज ढांचे में परिवर्तन

(श्री हरजीराम बुरडक)
करने का राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और क्या क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

(3) पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार क्या क्या कदम उठाने जा रही है ?

पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) निर्णय विचाराधीन है।

(3) निर्णय विचाराधीन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कब तक विचार हो जायगा ? कब तक आप निश्चित घोषणा कर देंगे ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत समिति व जिला परिषद् का चुनाव जो विचाराधीन बताया है, इसका कब तक फैसला होने वाला है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, आपकी मार्फत कि यह विचाराधीन मामला कब तक रहेगा ? पंचायत समिति व जिला परिषद् के चुनाव फरवरी, 1979 में कराने के लिए मंत्री महोदय व मुख्य मंत्री ने बयान भी जारी किये थे, फिर चुनाव क्यों नहीं हुए ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता सही है कि पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी क्यों नहीं हो रहे हैं, पंचायत समितियों के और जिला परिषदों के चुनाव जल्दी से जल्दी क्यों नहीं हो रहे हैं। माननीय सदस्य और सदन यह जानता है कि इस सारी व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति ने एक रिपोर्ट दी। उस समिति की रिपोर्ट पर इस हाउस में भी चर्चा हुई। चर्चा से भी आपने अनुमान लगाया होगा कि कई प्रकार के मतभेद हमारे सामने यहां आये हैं। अभी दो दिन पहले जो नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अन्दर भी इस प्रश्न के ऊपर चर्चा हुई। उसमें सब का एक ही मत था कि चाहे कोई भी राज्य हो, पंचायतों का ढांचा सारे देश में एक प्रकार का चले तो सब से उत्तम बात होगी। इस आधार पर यह भी मांग की गई कि पंचायतों को कान्स्टीट्यूशन के अन्दर प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। जो कानून है आज पंचायत का, उसमें भी काफी संशोधन करने की आवश्यकता है। उस आधार के ऊपर पंचायतों के चुनाव हम फरवरी में नहीं करा सके। हमारे सामने दिक्कत नहीं थी लेकिन चाहा यह है कि हिन्दुस्तान में पंचायती राज का ढांचा एक पैटर्न का आ जाये। उसमें कुछ ऐसी बातें हों जिनके आधार पर कान्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाये तो पंचायतों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो सकेगा। हमारा चुनाव टालने का इरादा नहीं है लेकिन यह व्यवस्था संगठित हो जाये यह विचार चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके पूछिये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा‥

श्री अध्यक्ष : सरकार के द्वारा और विशेष सूचना आपको मिलने की सम्भावना

(श्री अध्यक्ष)
मुझे नजर नहीं आती । जो उत्तर है वह बिल्कुल गोलमाल और अपर्याप्त है ।

श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): कई वर्षों से इन पंचायतों के चुनावों के मामले को टाला जा रहा है और चुनाव नहीं कराये जा रहेहैं··

श्री अध्यक्ष : इस दल ने तो 7 वर्ष छोड़ 11 वर्ष चुनाव नहीं कराये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस दल ने 11 वर्ष तक चुनावों को टाला इसलिये हम भी टालते जायें यह कोई जस्टिफिकेशन की बात नहीं है। जब हमने एक बार लोकतांत्रिक होने का परिचय दे दिया और चुनाव कराये तो जो कदम हमारे इस दिशा में आगे बढ़े वह कदम रुक क्यों गये ? इस समय तक भी मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि 12 महीने, एक साल, दो साल या तीन साल में चुनाव हो जायेंगे। इसकी कोई उन्हें सम्भावित तिथि देनी चाहिये । मुख्य मंत्री जी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि कोई बात कह कर उस पर कायम न रहें, अब वह कोई बात तो कहें कि इस अवधि तक हम चुनाव करा सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पंचायत राज का ढांचा जनता के हाथ में नहीं होकर नौकरशाही के हाथ में है ·

एक माननीय सदस्य : यह गलत कह रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले पंचायती राज का सारा काम सरकार स्वयं करती थी । आज पंचायती राज का पूरा ढांचा नौकरशाही के हाथ में आपने सौंप रखा है।

श्री खेतसिह राठौड (शेरगढ़) : अभी कहा गया कि मुख्य मंत्री जी अपनी बात पर कायम रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात पर वह कायम रहे हैं, इसका एक उदाहरण तो दे दें ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपको मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपको भीतर नहीं किया जायेगा । आज तक कायम हैं वह अपनी बात के ऊपर । आप ही बता दें यदि तोड़ी हो तो ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनावों के संबंध में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हमें चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है··

कई माननीय सदस्य : फिर करा दो।

श्री भैरोंसिह शेखावत: सुनिये तो सही। प्रश्न इतना ही था ···

श्री कौशलकिशोर जैन : करा दिये तो हारोगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कौन हारेगा और कौन जीतेगा, यह बाद की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह चिन्ता नहीं है कि कौन हारे और कौन जीते। इसके बारे में किसी को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। प्रश्न इतना है कि चुनाव कब कराये जायें ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार की नीयत नहीं है कि चुनाव स्थगित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किये जायें। नीयत केवल एक ही है कि चुनावों की सारी व्यवस्था और पंचायती राज का ढांचा किसी प्रकार से ऐसा बने कि ज्यादा से ज्यादा लाभदायक हो और लोकल रिप्रेजेन्टेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसी आधार पर भारत सरकार ने अशोक मेहता कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर यहां भी चर्चा हुई। नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल में भी परसों ही चर्चा हुई। उसमें लोगों की सम्मति यह थी कि जब तक पंचायतों को कान्सटीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दिया जायेगा तब तक कौन राज्य किस प्रकार का परिवर्तन कब कर ले इसके चान्सेज रहते हैं। इसलिए एक प्रकार का ढांचा बन जावे...

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): यह पहले दिमाग में नहीं था क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: पहले भी था। इसी आधार पर इसमें विलम्ब हो रहा है।

रामनारायणजी कह रहे हैं कि पंचायतों का चुनाव नहीं करा कर नौकरशाही के हाथों में उसको दे रखा है। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसने पंचायतों में फूड फार वर्क में जैसे राजस्थान की सरकार ने 27 करोड़ रुपया दिया उस तरह से दिया हो।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बात को टाल नहीं सकते....

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी से, कि पिछली विधान सभा के सत्र के दौरान मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उसके उत्तर में आपने कहा था कि फरवरी में न केवल पंचायत समिति और जिला परिषदों के बल्कि सहकारी समितियों और कृषि उपज मण्डियों के सब चुनाव करा दिये जायेंगे। आज दलील दे रहे हैं कि आप नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल में गये थे वहां प्रधान मंत्रीजी ने कुछ कहा। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय आपने विधान सभा में यह कहा था कि फरवरी में चुनाव कराऊंगा उससे पहले देश के प्रधान मंत्री, श्रीमोरार जी देसाई यह कह चुके थे कि पंचायती राज में एकजुटता लाने के लिए मैं मुख्य मंत्रियों को लिख रहा हूं क्योंकि भारत वर्ष के अन्दर सब प्रान्तों में जनता पार्टी का शासन नहीं है। इसलिए जहां दूसरे दलों का शासन है उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। वह बातचीत होने के बाद मैं चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस बुलाऊंगा और नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल की मीटिंग भी बुलाऊंगा। उसमें भी विचार रखूंगा और उसके बाद में पंचायती राज की रूपरेखा के बारे में विचार किया जायेगा। यह बात आपको भी मालूम है··

श्री ईश्वरचन्द्र: यह सप्लीमेन्ट्री है?

श्री रामनारायण चौधरी: यह बात आपको भी मालूम है और सब सदस्यों को मालूम है। आप पहले प्रधान मंत्री जी से

Page No. 10

(10)

(श्री रामनारायण चौधरी)
मिल चुके थे। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस समय विधान सभा के अन्दर यह आश्वासन क्यों दिया कि फरवरी में आप चुनाव करा देंगे ? अब आप बहाना लेते हैं कि कान्सटीट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण नहीं दें। प्रश्न पूछिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, फूड फार वर्क की बात कह कर मुख्य मंत्री जी ने प्रश्न को टाल दिया . . .

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी को अपनी बात पहले कह लेने दीजिए। फिर आप कहें।

एक माननीय सदस्य : भाषण है।

श्री रामनारायण चौधरी : बी. डी. ओ., विकास अधिकारी, कलेक्टर, एस. डी. ओ. और ए.डी.डा. ओ. के इशारों पर सरकार काम कर रही है। कोई कायदा कानून नहीं है। जहां पर कांग्रेस के, विरोधी दल के सदस्य हैं वहां पर पंचायतों को अनाज नहीं दिया जा रहा है . . .

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय रामनारायण जी को इसी कारण से विरोधी दल के नेता पद से हटाया गया है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : जनता राज में कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई :

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : इस छोटी सी बात पर इतना समय लिया जा रहा है। इस तरह तो दो-तीन प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। विपक्ष को जरा सन्तोष हो जाए इसलिए प्रश्न करने दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई :

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपने पंचायतों के चुनाव तो करा दिए हैं। अब आप इनको कान्सटीट्यूशनल प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं। पावर्स देना चाहते हैं। यह एक अच्छी बात है। यह तो बाद में भी किया जा सकता है। आज पंचायत समिति और जिला परिषद् का जो ढांचा है, उसका उसी रूप में चुनाव करा दिया जाए तो इसमें आपको क्या अड़चन आ रही है ? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई असर नहीं पडेगा।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि चुनाव कराने में सरकार को क्या अड़चन आ रही है ? आप जो कान्सटीट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की बात कह रहे हैं, वह तो पार्लियामेंट करेगी। आपका जो थ्री टायर सिस्टम है, उसको वैसा ही रख

(श्री मदनसिंह दांता)
रहे हैं, दो टायर सिस्टम आप नहीं कर रहे हैं तो फिर इस थ्री टायर का चुनाव कराने में आपको क्या अड़चन आ रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एक यूनिफार्म पालिसी अपनाई जाएगी, यह संकेत सरकार द्वारा दिया जा चुका है।

श्री ईश्वरचन्द्र।

(व्यवधान)

इस सम्बन्ध में अब कोई चर्चा नहीं होगी।

राज्य में नये खोले गये न्यायालय

4. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 22 जून, 77 से 9 फरवरी, 79 तक कितने नये न्यायालय किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं व इनका क्या आधार रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार जनता को सस्ता व सुलभ न्याय देने को कृत संकल्प है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

(3) राज्य में 1979–80 में कितने नये न्यायालय खोलने का राज्य सरकार का इरादा है।

विधि मंत्री (श्री बिरदमल सिंघवी) : (1) राज्य में 22-6-77 से 9-2-79 तक सात नये न्यायालय निम्न स्थानों पर खोले गये हैं :—

1. अतिरिक्त जिला एवं सैशन्स न्यायाधीश दो जयपुर

2. अतिरिक्त जिला एवं सैशन्स न्यायाधीश एक धौलपुर

3. अपर मुख्य दण्डनायक भ्रष्टाचार निरीक्षक मामलात हेतु। एक जयपुर

4. लेबर कोर्ट कम मोटरयान दावा कम इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल कम भ्रष्टचार निरोधक विभाग में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एक-एक

अपर जिला एवं सैशन नं. 1 व 3 जयपुर शहर में अधिक कार्य होने के कारण दो न्यायालय खोले गये। धौलपुर में एक न्यायालय समर्पित डाकूओं के मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु खोला गया है। जयपुर में दो ऐसे न्यायालय थे जिनमें से एक कोटा स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार सभी डिवीजनल मुख्यालयों पर एक-एक लेबर इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल व एन्टी करप्शन मामलों के न्यायालय स्थापित हो गये हैं।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में कई स्थानों पर न्यायालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) राज्य में वर्ष 1979–80 में लगभग 48 न्यायालय खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : न्यायालय खोलने का मामला विचाराधीन है परन्तु उनके लिए मकान की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अवधि के दौरान कोई मुंसिफ मजिस्ट्रट न्यायालय नहीं खोले गये हैं?

(12)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता का उत्तर पहले आने दीजिए।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो न्यायालय खुल रहे हैं उनका क्या आधार है ? जयपुर में दो न्यायालय खोले गये हैं जबकि यहां पर कोई काम नहीं है और मजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। जो अन्त्योदयी विधान सभा क्षेत्र हैं वहां पर कोई न्यायालय नहीं है। लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए सौ/दो सौ मील की दूरी पर जाना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को न्याय शीघ्र और जल्दी मिले, इस सम्बन्ध में सरकार का क्या इरादा है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

श्री बिरदमल सिंघवी : इस वर्ष 39 मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले गये हैं। जहां पर अधिक काम है उसको देखते हुए ये खोले गये हैं। मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि जयपुर में दो न्यायालय खोले गये हैं क्योंकि यहां पर पहले ही काम की अधिकता थी। इसके अलावा जहां पर भी नये न्यायालय खोले जा रहे हैं उसमें भी उच्च न्यायालय की राय ली गई है। उसके अनुसार ही मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले गये हैं। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उस सम्बन्ध में भी विचार कर आगे न्यायालय खोले जाएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके इसके बारे में भी क्या सरकार ने सोचा है ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी न्यायालय नहीं है....

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी उठाया जा चुका है...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीस–तीस मील तक कोई न्यायालय नहीं है। वहां कोई म्यूनिसिपल क्षेत्र नहीं है। वहां पर न्यायालय खोला जाएगा तो मकान की व्यवस्था जनता द्वारा कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल ऐरन

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का अजमेर जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर में जहां तक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज का सम्बन्ध है, वहां पर सिविल मामले इतने विचाराधीन हैं कि उनका 6–6 साल तक नम्बर ही नहीं आता है। इसलिए क्या मंत्री महोदय अजमेर में एक और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा....

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि जिन मामलों में हाई कोर्ट ने अपनी राय दी है उस पर विचार किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं

Page No. 13

(13)

(श्री ईश्वरचन्द्र)
कि प्रशासनिक दृष्टि से हाईकोर्ट जहां उपयुक्त नहीं भी समझे क्या वहां पर भी जनता की सुविधा को देखते हुए हाई कोर्ट की राय को भी इग्नोर करके न्यायालय खोल सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप अपने सुझाव मंत्री महोदय को भेज दें। इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रतनलाल।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराया, मेरे क्षेत्र में एक भी कोर्ट नहीं है। 48 पंचायतों का ग्रामीण क्षेत्र है···

(व्यवधान)

मेरे क्षेत्र की जनता की सहूलियत के लिये क्या न्यायालय खोलने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री किशनसिंह।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न रखना चाहता हूं वह यह है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस बारे में काफी चर्चा हो गई।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं एक महत्वपूर्ण सवाल रखूंगा, श्रीमान्····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

केवल तीन सप्लीमेंट्री मैं और पूछवाऊंगा। इस बारे में काफी चर्चा हो गई।

माननीय श्री किशनसिंह।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सस्ता न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जैसलमेर जिले में जहां 500 गांव हैं, जहां विशेष करके हाई कोर्ट ने रिकमण्ड किया है और जहां न्याय के लिये 300-400 मील दूर ग्रामीणों को जाना पड़ता है क्या वहां पर भी सत्र एवं जिला न्यायालय खोलने पर ध्यान दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा माननीय विधि मंत्री जी से उन्होंने अपने जवाब में दो बातें कहीं कि हाई कोर्ट की सिफारिश पर और जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भी कोर्ट खोले जायेंगे। क्या विधि मंत्री जी जहां

(श्री खेतसिंह राठौड़)
चाहे वहां न्यायालय खोल सकते हैं ? आप लिख कर दे दीजिये । मैं जानना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्य तो नहीं लेकिन अगर आपकी पार्टी के सदस्य लिख कर दे दें तो भी क्या बगैर हाई कोर्ट की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए वहां कोर्ट खोल देगें ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : न्यायालय खोलने में हम वही विधान रखेंगे जो माननीय खेतसिंह जी, जब विधि मंत्री थे, ने रखा था ।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान ।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : मैं विधि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या उनके ध्यान में है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंडिंग केसेज को निपटाने के लिये 300 जुडिशियल कोर्ट्स की स्थापना की है ? क्या उसी दृष्टि से राजस्थान में भी पेंडिंग केसेज को निपटाने के लिये जुडिशियल कोर्ट्स की स्थापना की जायेगी ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जहां न्यायालय आप खोल रहे हैं वहां पर कोई भवनों की व्यवस्था भी आपने की है क्या ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक न्याय का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक प्रयोग जारी किया जनता न्यायालय का, पीपुल्स कोर्ट्स का। क्या इस प्रकार के प्रयोग को, पीपुल्स कोर्ट्स के प्रयोग को मौजूदा सरकार, जनता न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है ताकि सस्ता और सुलभ न्याय अधिक दूरी पर गये बिना ही उपलब्ध हो सके और लिटिगेशन भी कम हों ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 5 ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं जानते हैं सरकार इन्हेरेन्ट पावर्स को एक्सरसाइज करेगी, लोगों को रिलीफ देगी, जस्टिस की व्यवस्था करेगी ।

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

थाना गेंडोली, जिला बूंदी में दर्ज मामला

5. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना गेंडोली जिला बूंदी में जनवरी, 1979 को श्री रामकरण नाम के व्यक्ति के खिलाफ रपट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो रपट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के साथ श्री तेजसिंह हैड कांस्टेबिल द्वारा मारपीट की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। नकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री सम्पतराम)

(2) श्री रामकरण व अन्य 25 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29 जनवरी, 1979 को एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 379 ता. हि. पुलिस थाना, गेंडोली पर दर्ज होकर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय जे. एम. नं. 1, बूंदी के यहां पेश किया गया जहां से हर मुलजिम को 1-1 हजार के मुचलके पर रिहा किया गया। मामला अभी अन्वेषणाधीन है।

(3) जी नहीं।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : जो रिपोर्ट दर्ज की गई उसमें सरपंच द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मुलजिमान को वाल काट कर बाजार में घुमाया गया। क्या पुलिस को इसका भी अधिकार है ?

श्री सम्पतराम : वाल काट कर घुमाने का तो अधिकार नहीं है लेकिन जहां तक··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह, माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इस सवाल पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। जिन लोगों के वाल काटे गये क्या उनको वाजार में घुमाया गया ? क्या वे हरिजन और पिछड़ी जाति के लोए थे ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास जितनी विभागीय जानकारी है वह मैंने सदन की सेवा में रख दी है। इसके विपरीत जो भी सजेशन हैं, जैसा सदन सजेस्ट करे उसके मुताबिक में जांच के लिये अधिकारी को नियुक्त कर सकता हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल : रामकरण के बाल पुलिस ने काट कर उसको बाजार में घुमाया, क्या इसकी जांच कराई जायगी और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई जायगी ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से इस मामले की जांच कराऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस बात की आपके पास कोई लिखित शिकायत आई थी क्या ?

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाता हूं कि उनकी मन्शा के मुताविक जो कोई भी दोषी होगा उसको नहीं छोड़ा जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री श्योपतसिंह।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बजरंग लाल शर्मा : क्या इसकी जांच रिपोर्ट इसी सत्र की अवधि में सदन के सामने रख दी जायगी ?

श्री ईश्वर चन्द : माननीय अध्यक्ष, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी है, उसका अपराध साबित हुए बिना ही पुलिस उसके गले में तख्ती लटका कर और बाल काटकर वाजारों में घुमाने की प्रक्रिया अपना रही है। क्या सरकार इस प्रक्रिया को उचित मानती

(श्री ईश्वर चन्द्र)
है ? क्या ऐसा करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देगी ? अपराध साबित हुए बिना ही पुलिस द्वारा मुलजिम को पकड़ कर बाजारों में घुमाया जाता है, उनकी कटिंग कर दी जाती है और उनके गले में तख्ती लटका दी जाती है, यह न्याय की कौन सी प्रक्रिया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता सरकार की प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : जिन गरीब आदमियों ने अपना पेट भरने के लिए लकड़ियां काटी उनको गुण्डों की तरह घुमाया गया है।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : गुण्डागर्दी को रोकने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : लकड़ी काटी चोरी से वह अलग है। उनके बाल काटकर घुमाया वह दूसरा आरोप है।

श्री नूरा (मसूदा) : वह लोग गरीब थे इस कारण उन्होंने लकड़ियां काटी। मेरी ऐसी मान्यता है गरीब लकड़ी काटने वालों को गुण्डा नहीं कहा जा सकता है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय सदस्यों के आक्रोश को देखते हुए क्या माननीय गृह मंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करेंगे कि इसी सत्र मे इस मामले की जांच रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश कर देंगे ? क्या वह इसके लिए तैयार हैं कि इसी सत्रावधि में जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख देंगे क्योंकि इस मामले में सदन के माननीय सदस्यों में इतना आक्रोश है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : यह सवाल जब उठा उसके पहले क्या माननीय गृह मंत्रीजी के पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आई है कि उनको बाल काटकर बाजारों में घुमाया गया है ? अगर आई है तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की ?

एक माननीय सदस्य : बाल काटकर और तख्ती लगाकर निकालते हैं उन्हीं लोगों को, जो गुण्डों की श्रेणी में होते हैं। वह अपराधी हैं चाहे वह अमीर हों या गरीब हों।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह अनुसूचित जाति के लोग थे और माननीय गृह मंत्रीजी भी अनुसूचित जाति के हैं। इन लोगों के बाल काटकर घुमाना सारी अनुसूचित जाति का अपमान है। गृह मंत्रीजी खुद अनुसूचित जाति के हैं तो माननीय गृह मंत्रीजी को चाहिए था कि उन दोनों व्यक्तियों को दण्ड देते। अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को गृह मंत्री बनाकर आप राजस्थान के 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों का मुंह बन्द नहीं कर सकते। यह अत्याचार है। जो कालाबाजारी करने वाले सेठ लोग हैं उनको तो हथकड़ी भी नहीं डालते हैं, मजदूर लोग जो लकड़ी काटकर अपना पेट भरते हैं उनके साथ पुलिस इस प्रकार की गुण्डागर्दी करती है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा करें कि आयन्दा पुलिस काला-

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

बाजारी करने वालों का मुंह काला करेगी और मामूली अनुसूचित जाति के लोगों का नहीं। अगर पुलिस को मुंह काला ही करना है तो वह सेठों का करे जो काला बाजारी करते हैं और जिन्होंने इस देश को डुबोया है .

मैं चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, अगर आप में जोश है, अगर आप में पुरुषत्व है तो इसी सत्र में इसकी रिपोर्ट सदन में पेश करें।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि इस केस की जांच करवाकर रिपोर्ट इसी सत्र में पेश की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में मिलें।

श्री मूलचन्द डागा : गृह मंत्रीजी उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्योपतसिंह ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, इनको उत्तर देना चाहिये। गृह मंत्री जी मौन क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न का दायरा था उस सम्बन्ध में सरकारी उत्तर आ चुका है। जानकारी जो मुझे दी गई है वह कक्ष में बैठकर पेश करूंगा। सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि उत्तर दे ही दे। उत्तर दिलाने की चेष्टा मैं करूंगा। माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गम्भीरतापूर्वक इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये मैं तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपके कहे अनुसार आप इसको गम्भीर समझते हैं तो यह निर्णय लिया जाना चाहिये कि गृह मंत्री जी एक महीने के अन्दर इसकी जांच रिपोर्ट सदन में रख देंगे। सदन के नेता भी इस समय मौजूद हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्टतया सारी बातें सदन के सामने रख दी हैं। आज सदन की इस उत्सुकता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : लेकिन आपके ढीलेपन से हम लोग बहुत दुखी हैं। जब आपको यह मालूम था कि उनका मुंह काला किया गया है और उनके गलों में तख्तियां डाली गई हैं तो आपने क्या कार्यवाही की ? आप चुपचाप बैठे रहे।

श्री सम्पतराम : सारा सदन सब कुछ कहता रहा और मैं सुनता रहा। मैं सरकार की तरफ से निवेदन कर रहा हूं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप यह कह रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें। आप अपनी ही बात कहे जाते हैं यह ठीक नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आपको जवाब देने की जरूरत नहीं लेकिन आपको न मालूम क्या सिरका लगता है कि खड़े हो जाते हैं।

श्री सम्पतराम : मैंने सदन से यही निवेदन किया था कि अपनी सूझ बूझ के मुताबिक जिसको उचित अधिकारी समझूंगा उसको लिखूंगा...

एक माननीय सदस्य : इसको पहले भी सुन लिया है।

श्री सम्पतराम : सुन लिया तो फिर हाका काहे का ?

(व्यवधान)

सदन के माननीय सदस्य किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का नाम सुझा सकते हैं...

एक माननीय सदस्य : जांच रिपोर्ट कब पेश करेंगे ?

श्री सम्पतराम : आप किसी अधिकारी का नाम बता दें उससे मैं जांच करा सकता हूं। जो जांच का नतीजा आयेगा उससे सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस घटना कि जब इत्तला मिली तब माननीय गृह मंत्रीजी ने क्यों नहीं इस बारे में कार्यवाही की ? यह सवाल जब पैदा हुआ, उन लोगों के मुंह काले किये गये और उन लोगों का जुलूस निकाला गया, यह सूचना जब आपको मिली तब गृह मंत्री जी ने सूचना मिलने के बाद क्यों नहीं कोई कार्यवाही की ?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरा-पाटन) : क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों को सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन करेगा ? आप। क्यों नहीं कार्यवाही की अब तक ?

श्री मदनसिंह दांता : और सदन के माननीय सदस्यों को इस एक महीने में जांच करके बता देते।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय विधान सभा में जब प्रश्न आया गया उसके बाद मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हम जांच करायेंगे। अभी तक आपने क्या किया है ? अब आप कह रहे हैं कि हम जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मूलचंद डागा : एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है। बड़ा जरूरी था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री परसराम मदेरणा, रघुनाथ विश्नोई, राम रघुनाथ चौधरी, शिवचरण सिंह, नूरा, गंगाराम चौधरी, मूलचन्द डागा, रामकृष्णदास, रामनारायण चौधरी, श्योपतसिंह मकासर व अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के बारां रेलवे स्टेशन पर कल 26 फरवरी को लोगों की इकट्ठी भीड़ को तितर-बितर करने हेतु रेलवे पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से तीन छात्रों की मृत्यु हो जाने के विषय में।

कई माननीय सदस्य : तीन नहीं चार मारे गये हैं।

एक माननीय सदस्य : शेम - शेम।

श्री अध्यक्ष : (2) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोटपूतली के ग्राम नांगल पंडितपुरा की काफी जमीन जलमग्न हो जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री मदन सिंह दांता, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में टैम्पो चालकों को दिये गये आश्वासनों की सरकार द्वारा पूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

यह प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजा जा रहा है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अध्यक्षीय घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार हेतु समय का विभाजन

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हेतु चार दिन का समय नियत किया गया है। इन चार दिनों में सदन में माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु लगभग 18 घंटे का समय उपलब्ध होगा। इस समय का दलवार सामान्य तौर पर इस प्रकार विभाजन करता हूं:—

जनता पार्टी 12.30 घण्टे (जिसमें सरकार की ओर से उत्तर का समय भी सम्मिलित है।)

कांग्रेस (आई)	2.30 घंटे
कांग्रेस	1.30 घंटा
प्रगतिशील मोर्चा	0.40 ,,
सी. पी. एम.	0.15 ,,
सी. पी. आई.	0.15 ,,
निर्दलीय	0.20 ,,
	18.00 घंटे

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जोधपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में दिया है। आपने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में माननीय रघुनाथ विश्नोई से बात कर लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं उनसे बात करूं या आपसे बात करूं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने मुझ से बात की है, आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके अपने दल में अनुशासन है तो मेरी बात सुनिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो हमेशा अनुशासन में रहा हूं। जब तक तो मैं शादी में चला जाऊंगा। मुझे बात कहने दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आपने समय का विभाजन किया है। हमारे इतने सदस्य होते हुए आपने बहुत कम समय दिया है। दूसरों की तुलना में इण्डिपेन्डेण्ट को आपने 20 मिनट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको सूचना दी है, समय के अनुसार। मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब आप विपक्ष के नेता थे तो मैं आपको कितना समय दिया करता था। आप कहा करते थे कि विपक्ष को पूरा समय मिलना चाहिए। अब यहां बैठकर आप की नजरें बदल गई हैं।

श्री अध्यक्ष : न नजरें बदली हैं न कुछ और बदला है। आपकी प्लेस बदली है जो आप उधर बैठे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था, उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन अच्छी रही है तब वह घटना हुई, इस घटना के बारे में मैंने रेडियो पर जो 7 बजकर 5 मिनट पर प्रादेशिक न्यूज आती है उसमें सुना और अखबारों में भी पढ़ा। घटना को सुनकर काफी दुख हुआ। इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को और मंत्री महोदय को भी दुख है। जब कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण हो रहा था ऐसे समय में यह घटना हुई है। सन् 1952 से लेकर आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। 26 तारीख को करीब 12 बजे बारां रेलवे स्टेशन पर कुछ लड़के इकट्ठे हुए। वहां रेलवे मजिस्ट्रेट ने उन पर जुर्माना करना चाहा। लड़कों ने हुज्जत बाजी की। इसको लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े को लेकर पुलिस ने अन्धा-धुन्ध गोली चला दी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ विधान सभा सत्र का होना और दूसरी तरफ बारां स्टेशन पर इस प्रकार की घटना हो। गवर्नर के अभिभाषण के समय गोलीकाण्ड होना यह राजस्थान के लिए अच्छी घटना नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। उनको यह मालूम था कि बजट सत्र प्रारम्भ होने वाला है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी ऐसे झगड़े हुए थे। गोलीकाण्ड का इस प्रकार का आज तक कोई हमारे सामने उदाहरण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गोली चलाकर घटनास्थल पर ही तीन लड़कों को समाप्त कर दिया। वहां उन्होंने हवाई फायर नहीं किये। इस प्रकार का पी.आर.ओ. का स्टेटमेण्ट आया है। ट्रेन के लड़कों के जरिये से मालूम हुआ और पेपर के जरिये से मालूम हुआ कि अगर पुलिस चाहती तो इस गोलीकाण्ड को टाल सकती थी। इस मौसम में छात्रों को मौके पर समाप्त किया, जनता शासन में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। इससे सारे राजस्थान में रोष व्याप्त है। पूरे कोटा जिले के छात्रों और जनता में रोष व्याप्त है। बारां कम्पलीट बन्द है। कोटा के कॉलेज के लड़कों ने चेतावनी दी है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो बड़ा संघर्ष हो जाएगा। सारे कोटा जिले की स्थिति अस्त-व्यस्त हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार का इस प्रकार का रवैया चल रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतनी भयंकर घटना हुई है। चार, चार अबोध बच्चे मारे गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह आशा करते थे कि मुख्य मन्त्रीजी और गृह मन्त्रीजी दोनों घटनास्थल पर पहुंचेंगे। चतुर्वेदीजी से भी हमको पूर्ण आशा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

थी कि वे भी अपनी बात बता देंगे। सारे राजस्थान में लड़कों का मखौल उड़ाया जा रहा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी तो बन्द हो ही रही है। लड़कों का यह वर्सन है कि उन्हें वार्निंग ही नहीं दी गई जब कि फायरिंग होने से पहले वार्निंग दिया जाना आवश्यक है। फायरिंग से पहले जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह पूरी की गई या नहीं, यह भी एक जांच का विषय है। माननीय गृह मन्त्री महोदय के पास जो सरकारी वर्सन आया है वे तो उसी के आधार पर जानकारी देंगे। वह हमेशा एक तरफा आती है। उसी को जस्टिफाई करने की वे कोशिश करेंगे इसलिए इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। अभी यह समाचार भी आया है कि एक बच्चा, जो हास्पिटल में था, की भी मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ 60 आदमी घायल बताए जा रहे हैं। वस्तुस्थिति क्या है वह किसी को पता नहीं है ? अलग–अलग न्यूज एजेन्सीज ने अलग–अलग न्यूज दी है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव हमने रखा है। हम यह चाहते हैं कि विरोधी पक्ष की बहस के बाद मुख्य मन्त्रीजी अविलम्ब न्यायिक जांच की घोषणा करें। अगर यह एक्सेप्ट नहीं किया तो विधान सभा की कार्यवाही कतई नहीं चलेगी।

हमें आशा तो यह थी, अध्यक्ष महोदय, इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। विधान सभा के सत्र के पहले दिन ही यह घटना हो गई, आपको यह मन्जूर करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सदन के नेता महोदय जब विरोधी पक्ष में थे तब हमने भी इनकी बहस बेरी आयोग के बारे में बहुत सुनी है। आज ये सत्ता पक्ष में मुख्य मन्त्री पद पर बैठे हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इनको मौके पर पहुंचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंचे। पुलिस के वर्सन और पी.आर.ओ. के वर्सन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। इधर तो गवर्नर का एड्रेस हो रहा था, उधर वहां पर ऐसी घटना हो रही थी। इस स्थिति में किसकी गलती से यह घटना हुई ? कोई न कोई गलती जरूर ऐसी हुई जिसकी वजह से मामला भड़का, अनकण्ट्रोलेबल हो गया और फायरिंग हुआ। हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया जाकर इसकी जूडिशियल इन्क्वायरी की जानी चाहिए और गवर्नमेन्ट एडवोकेट को कानूनी सहायता बच्चों को निःशुल्क दी जानी चाहिए। जो भी वस्तुस्थिति है वह सामने आनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाकर सजा दी जानी चाहिये। इससे राजस्थान में शांति भंग हो गई है और सनसनी फैल गई है। इस सदन के लिए भी यह एक दुःखपूर्ण स्थिति है। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ही इससे चिन्तित हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा और दूसरे माननीय सदस्य भी इस पर बोलेंगे, इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार से आशा करूंगा कि किसी को बिना वजह बचाने की कोशिश नहीं की जावे, नहीं तो इस सरकार के लिए खतरा है, आपके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लिए काले दिन आने वाले हैं अगर आप विवेक से इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो स्थिति और भी खराब हो जायगी। छात्र संघर्ष में आपको नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने आपको कुर्सियों पर बिठाया है, आप इनकी पकड़ा-पकड़ी कर रहे हैं। आप सोच रहे थे कि राज नहीं आयेगा, दुर्भाग्य से आपके पास राज आ गया। अब स्थिति अनकन्ट्रोलेबल हो रही है और आपके हाथ पांव फूल रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको दण्ड दिया जाना चाहिए, इसकी न्यायिक जांच

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की जानी चाहिए। केवल डिस्ट्रिक्ट आफिसर को लीपापोती से ही काम नहीं चलाना चाहिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): अध्यक्ष महोदय, बारां में कल हुई दर्दनाक घटना के बारे में मुझे भी अपने विचार रखने हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुःख की बात है कि राजस्थान में जनता सरकार आने के बाद इस प्रकार के वाकिये का माजरा सामने आया। यह ठीक है विदेश में दूसरी जगह भी रेलवे लाइन है, लोग सफर करते हैं। कुछ लोग आदतन और कुछ लोग कभी कभी बगैर टिकट यात्रा करते हैं। सरकार ने ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए मोबाइल मजिस्ट्रेट और कानून भी बनाये है। इससे लोगों को बगैर टिकट यात्रा करने से रोका भी जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना इस प्रकार हुई, मैं संक्षेप में अर्ज करता हूं कि अजमेर से जाने वाली ट्रेन बारां पहुंची। उस दौरान जो बगैर टिकट यात्री थे अजमेर में, मोबाइल मजिस्ट्रेट रेलवे ने उनको अपराधी पाया। कुछ लोगों को बगैर टिकट यात्रा करने के अपराध में एक जगह खड़ा कर दिया। यह बात अखबारों ने भी मानी है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि अपराधियों को एक तरफ सजा दें और दूसरी तरफ गोली चलायें। यह एक सोचने की बात है सदन के लिए, कि मोबाइल मजिस्ट्रेट ने जब उनको इस बात के लिए दोषी पाया और बाध्य किया कि वे जुर्माना जमा करायें तो बच्चों ने अपने आपको पैसा चुकाने में मजबूर पाकर तंग आकर जो कुछ भी किया हो, ऐसी हालत में या तो ऐसे बच्चों को क्षमा कर देना चाहिए था या उनके गार्जियन्स को तलब करना चाहिए था। उसके बगैर यह कैसे हुआ और उनको सजा देने पर कैसे मजबूर किया गया? अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा यह हुआ, जैसे 50-60 स्टूडेन्ट और पब्लिक के कुछ लोग किसी विवाद में शामिल होते हैं तो समाज में आज यह देखा जाता है कि उनको कन्ट्रोल करने के लिए कोई भी आदमी सक्षम नहीं है। वैसे ही अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट ने उन लोगों को धूप में खड़ा कर दिया इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उन लोगों के दिमाग में इस तरह की बात पैदा हुई, भीड़ बेकाबू हो गई और गोली चलाई गई। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो पहले हवाई फायर करने चाहिए थे और आंसू गैस छोड़ी जानी चाहिए थी। उनको वार्निंग भी नहीं दी गई। यह उपाय उनको पहले करने चाहिए थे। कोई भी स्टूडेन्ट हो, अध्यक्ष महोदय, यह तो उम्र का भी एक तकाजा होता है।

मैं नहीं कह सकता कि सारी गलतियां मोबाइल मजिस्ट्रेट की है। सारी स्थिति तो

(श्री अब्दुल अजीज)

राज्य सरकार ही बताएगी कि मोबाइल मजिस्ट्रेट वहां तक कानून को एक्सीड कर गये, क्या आदेश दिये ? यह तो सरकार का उत्तर आने के बाद हम आपसे पूछेंगे । प्रश्न यह है कि तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को काम में लिया गया, उग्र भीड़ को दबाने के लिये कोई प्रेमपूर्वक वार्ता उनसे की ? राज्य सरकार सही स्थिति बताए । तमाम अखबारों, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत व नवज्योति, ने खबर छापी है । दिल्ली से निकलने वाले अखबारों ने तो समाचार दिया ही नहीं लेकिन यहां के अखबारों ने जो कुछ लिखा है उसमें यह नहीं बताया है कि गोली चलाने के आदेश किसने दिये ? अगर इस पाइंट को टटोला जाय कि क्या मोबाइल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए या बारां के मजिस्ट्रेट ने दिये या भीड़ ऐसी उग्र हो गई कि मोबाइल मजिस्ट्रेट व रेल कर्मचारियों को जान का खतरा हो गया जिससे तंग आकर उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए, इन सब बातों का जवाब राज्य सरकार को देना होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

प्रश्न इस बात का है कि क्यों यह घटना हुई, कैसे यह टाली जा सकती थी, कौन इसके लिए दोषी है ? बहस तो बाद में चलेगी जब सरकारी उत्तर आयेगा । केवल यात्रा के पैसे न देने के कारण किसी को गोली का शिकार बनाया जाय, यह न्यायोचित नहीं है । सूझ बूझ से यदि काम न लिया जाय तो ऐसा हो सकता है । मकराना में भी ऐसी घटना हो गई थी । जब लोगों को कानून का सहारा नहीं मिलेगा तो जनता विरोध करेगी, आपको विरोध सहन करना पड़ेगा । अगर कानून में खामियां हैं, सरकारी मशीनरी आपके कन्ट्रोल में नहीं है, वह गलतियां कर रही है तो सरकार जिम्मेदार है । मकराना में खानों के नीलामी के सवाल पर भीड़ उग्र हुई लेकिन पुलिस विभाग ने अकलमंदी से बर्दाश्त किया । तो घटनायें कई बार होती हैं । यहां भी अकलमंदी से मोबाइल मजिस्ट्रेट घटना को रोक सकते थे । राज्य सरकार को बताना होगा कि क्या मोबाइल मजिस्ट्रेट की जान खतरे में थी ? गोली के आदेश किसने दिए ? कितनी मौतें हुईं, यह बाद की बात है । लेकिन हम तमाम बातों की न्यायिक जांच की मांग करेंगे । इस प्रकार की घटना पुनः न हो और जो हुई उसकी सही जांच अदालत ही सही मायने में कर सकेगी । यह सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है इसलिये इसकी न्यायिक जांच कराना जरूरी है । पुलिस राजस्थान की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी । मोबाइल मजिस्ट्रेट भी हैं, वह चश्मदीद गवाह हैं और जिम्मेदार अथॉरिटी हैं उस मौके के । वहां बारां के मजिस्ट्रेट भी पहुंचे, एडीशनल कलेक्टर पहुंचे व कलेक्टर भी पहुंचे, ये तमाम अधिकारी तो स्टेट के हैं लेकिन सही मायने में गलती किसकी हुई ? Who initiated the fault ? इसकी न्यायिक जांच जरूरी है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार के काले इतिहास में यह पहला काला दिन होगा । आपकी पुलिस की गोलियों से चार छात्र मौत के शिकार हुए हैं । इससे पहले भी जुल्म हुए हैं, गोलियां चली हैं लेकिन इस प्रकार का निर्मम हत्याकांड, जो बारां की पुलिस

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

ने किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि आपकी पुलिस को डंडे का चस्का लग गया नौजवानों के खून का, वह मैं कल विस्तार से बताऊंगा। आज यह बताना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ, क्या वजह थी ? बात बिल्कुल सीधी सादी थी। छात्र वहां पर विदाउट टिकट थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको इस तरह की सजा नहीं दे सकते। जिस छात्र समुदाय के लिये कोई होस्टल की व्यवस्था नहीं की, बसों की व्यवस्था नहीं की, आपने कोई हल नहीं निकाला तो विदाउट टिकट जाने के लिए यह दंड उनको नहीं मिलना चाहिये जो आपने उनको दिया है। आप ईरान की घटनाओं से शिक्षा लीजिये। ईरान के अधिकारी गोलियां खा-खाकर मर गये है। आपके अधिकारी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। ईरान का शाह कहता था कि दुनियां का सबसे ताकतवर हूं उसका आज पता नहीं।

इस घटना के लिये सिर्फ आपकी पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है। अखबारों से मालूम हुआ है कि उसमें रेलवे पुलिस भी है। क्या रेलवे पुलिस को आप अधिकार दे सकते हैं ? अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिससे अमन को खतरा पैदा हो गया था, झगड़ा होने का खतरा था तो क्या रेलवे पुलिस का फर्ज नहीं था कि वहां स्थानीय पुलिस स्टेशन से इमदाद मांगती ? इस घटना को अवाइड किया जा सकता था। इसमें बच्चे सफर कर रहे थे। आपकी पार्टी के लोग प्रदर्शन में भाग लेते है तो कितने लोग टिकट लेकर सफर करते हैं ? बच्चों ने कोई ऐसे गुनाह की बात नहीं की। उनके पास टिकट नहीं था तो उनको वार्निंग दे सकते थे, उनके पेरेंट्स को इत्तला दी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा करना अधिकारियों ने उचित नहीं समझा।

मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे, आपने सुस्ती बरती, और यदि आपने बहाना लिया कि रेलवे के बारे में मोरारजी का पत्र आया कि रेलवे प्रापर्टी की रक्षा करनी चाहिए, अगर इस ख्याल में रहे, आपने सोचा कि लाठी, बंदूक के जरिए अमन कायम कर देंगे तो यह आपकी गलतफहमी होगी। लाठी व गोली से अमन और कानून, लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन काबू नहीं कर सकते, आपका फर्ज होना चाहिए ··

(व्यवधान)

आपको शर्म आनी चाहिए···

(व्यवधान)

डूब मरो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको डूब मरना चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : शर्म आनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रूस में लाखों आदमी मारे गए, चीन में लाखों आदमी मारे गए

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : ××× आपको शर्म आनी चाहिए। यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आज रूस व चीन में कुछ हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है,

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
शर्म आनी चाहिए । तुम चाहते हो और लोग मारे जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : डूब मरना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तुमको डूब मरना चाहिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर: मुझे अफसोस है कि इस तरह के गंभीर सवाल पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं वे भी किसी के बच्चे होंगे, उनकी मां इन्तजार कर रही होगी, आप हंस रहे हैं, आप खुशी मना रहे हैं। आप चीन व रूस की बात कर रहे हो।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको बहुत संजीदा रूप में लेता हूं। राज्य सरकार का फर्ज है कि अगर रेलवे अधिकारियों ने उन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई हैं...

एक माननीय सदस्य : लड़कों ने गलती की होगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तुम्हारे क्या ×××लगते हैं पुलिस वाले ? इन्टरफियर क्यों कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का फर्ज है...

श्री बत्तीलाल मीणा (टोड़ाभीम) : अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों की जान चली जाती है और कितनी विधवायें हो जाती हैं उनकी परवाह ही नहीं है।

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह ×××वाला शब्द माननीय सदस्य से वापिस कराया जाना चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तकलीफ क्या है ? अगर हमदर्दी है तो जरूर रिलेशन है उनका पुलिस वालों से।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ साधारण से सवाल पूछना चाहता हूं। अगर रेलवे पुलिस ने गोली चलाई है तो हमारी सरकार का फर्ज है कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाये। यह अधिकार उनको किसने दिया ? रेलवे पुलिस को अधिकार नहीं है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को वह गोली से मारे। इसलिए उनके खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज कराये जाने चाहिए। उस अशांति को शांत करने के लिए और उस गुस्से पर पानी लाने के लिए सरकार ऐसा काम करे। आज तक हमारे देखने में आया है कि जितनी भी जुडिशियल जांच हुई हैं उनका क्या रिजल्ट निकला है ? 'जीरो' उनका रिजल्ट निकला है। बेरी आयोग हमने बैठाया उसका क्या नतीजा निकला ? हमारे सदन का सर्वोच्च स्थान है इसलिए यहां के पांच माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये। जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है कि कोई आदमी यह कहे कि उन छात्रों का इसमें दोष होगा, तो मैं कहता हूं कि छात्रों का दोष विदाउट टिकट चलने का था तो इसके लिये इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती है कि उनको मारा जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इन गोलियों को भविष्य में रोकें और

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
अपने अधिकारियों पर लगाम दें जो कि उद्दण्ड हैं और आपकी परवाह नहीं करते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय लूंगा। इस दल के श्री शिवचरण सिंह जी का मोशन है और उन्होंने इसके ऊपर बोलने के लिए मुझे कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सी. पी. एम. के माननीय सदस्य जिस तरह से कह रहे थे और क्रोध में आ रहे थे, मैं तो उनकी सख्त आलोचना खुद यहां पर करने वाला था लेकिन आप समर्थन दे रहे थे · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी बात से परेशानी थी कोई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी।

इस काण्ड की जितनी भी भर्त्सना की जाये उतनी ही कम है, मैं तो खुद ही यह कहने वाला हूं। कांग्रेस शासन के तीस साल में चार-पांच गोली काण्ड हुए और इन्होंने पौने दो साल में एक गोली काण्ड कर दिया इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि इस पर लीपा-पोती होने वाली है। आप तो यह बतायें कि वहां पर कितने राउण्ड गोली चली और किस किस जगह उनके गोली लगी ? हवा के अन्दर गोली चली या उनकी तरफ गोली चलाई ? इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी इसमें घायल हुए और उनके किस की चोट है ? लाठी की चोट है या गोली की है ? आप इस पर भी प्रकाश डालें। सबसे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए है कि कोटा जिले के दो-दो मंत्री यहां पर हैं और स्वयं मुख्य मंत्री जी बारां सब-डिवीजन के हैं। उनके यहां गोली काण्ड हुआ और वहां कोई मंत्री उन्होंने नहीं भेजा। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है ? इसके अन्दर एक तो जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई जाये। यदि ऐसा नहीं हो तो सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनायें और उसको वहां भेजें जो कि पूर्ण तथ्य सदन के सामने रखे। सरकार को दोष को छिपाने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा दी जानी चाहिए।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, बारां के गोली काण्ड के बारे में मेरा निवेदन है, जिस तरह से वहां पर गोली चली, अखबारी समाचारों के अनुसार हम कह सकते हैं कि उससे चार बच्चे मरे और 60 घायल हुए। साथियों ने इस ओर इशारा भी किया है कि और भी ज्यादा मौतें हुई हैं। पहले प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं तब भी बच्चों को वह मदद ज्यादा पहुंचाते थे। प्राइवेट गाड़ियों वाले भी बच्चों की मदद किया करते थे। रोड़वेज की गाड़ियों में भी तरह-तरह के झगड़े होते थे किन्तु ऐसी घटना नहीं हुई। सरकार की तरफ से आज विधायकों को अपने निवास से यहां लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा सकती है तो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने लिए कोई व्यवस्था करके बच्चों के असन्तोष को मिटाना चाहिए था बजाय इसके कि बाल वर्ष में गोली चलाई गयी और बच्चे गोली के शिकार हुए। बच्चों की

(श्री नूरा)

समझ छोटी हो सकती है लेकिन क्या अधिकारी, जो कि प्रशासन को संभाले बैठे हैं, के पास और कोई तरीका नहीं था सिवाय गोली चलाने के? वह हवाई फायर कर सकते थे, आंसू गैस छोड सकते थे आज की पुलिस में बहुत सारे ऐसे हैं जो आज के समय में जनता के मामले में सिवाय गोली और लाठी के कोई रास्ता अख्तियार नहीं करते। आज पुलिस इतना जुल्म कर रही है कि वह इसमें अपना बड़प्पन समझते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस समय जितने पुलिस के हौंसले बढ़े हुए हैं उतने पहले कभी नहीं थे। जनता पार्टी का शासन है लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रोफेसर केदार के पास जब पुलिस विभाग था तो उस समय थोड़ा पुलिस के अधिकारियों में डर भी था लेकिन ज्यों ही विभाग चेन्ज हुआ तो पुलिस के हौंसले बढ़े। जिन्होंने जहां चाहा वहां पर लाठी चार्ज की और गोलियां चलाई। अगर जांच होती है तो वहां के अधिकारियों का तबादला किया जाये, उनको सस्पेण्ड किया जाये और उनको अलग-अलग करके न्यायिक ढंग से जांच की जाये। जांच के

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दरमियान ऐसे अधिकारियों को उस इलाके से तुरन्त बदलकर जांच की जानी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो।

साथ ही श्योपतसिंह जी के बयान के समय एक माननीय सदस्य ने हवाला चीन और रूस का दिया। तो वहां की बातों को तो आप छोड़िये। जहां परिवर्तन होता है और राजनैतिक ढंग से संघर्ष होते हैं वहां जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस तरह गोलीकाण्ड उस देश में नहीं होते। इस तरह से चढ़ने उतरने पर गोलियां नहीं चलतीं। ऐसी बातों के ऊपर गोली काण्ड नहीं होते कि मांगों के ऊपर या सुविधाओं की मांगों के ऊपर गोलियां चले। यह हमारे यहां ही होता है। वियतनाम और रूस में क्या होता है, इसको छोड़िये, जिन्होंने यह बात कही वह पुराने साथी हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी बात जोश में कह दी। मैं कहता हूं कि आप समझदार विधायक हैं यदि इसको वापस लें तो अच्छा है। मेरा कहना है कि इस मौके पर ऐसी बात कहकर उन्होंने समझदारी का परिचय नहीं दिया। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। मंत्रियों को वहां जाकर सन्तोष दिलाना चाहिए। मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह अपनी तरह की एक ही घटना हुई है। छात्रों पर गोलियां चलाई गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आपसे यह जो घटना हुई है इसके पीछे किसका हाथ था? आपको मालूम होगा कि यह एक षड्यन्त्र था। श्री गाड़िया ने बयान दिया है जिस वक्त बच्चों को मारा गया, उस वक्त न वार्निंग दी गई, न हथगोले फैंके गये, न आंसू गैस छोड़ी गई, गोली चला कर चार बच्चों को बुरी तरह से मार दिया। मां-बाप सोचते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे। उनके घर खाली हो गये। इस तरह की घिनौनी घटना आज तक न हुई है और न हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, गाड़िया जी ने अपने बयान में कहा है कि वहां जिस समय घटना हो गई उसके बाद में पुलिस मजिस्ट्रेट को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए, पुलिस, जो सादे कपड़ों में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

थी, ने जाकर ग्राग लगाई। उन्होंने स्टेशन पर जाकर यह प्रूव करने की कोशिश की कि छात्रों की गड़बड़ी के कारण हमने गोली चलाई। यह घटना बाद की है। गोली पहले चली है। छात्रों से टिकट के पैसे मांगे गये। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। घेराव की कोशिश की थी। मजिस्ट्रेट ने ग्रादेश दे दिये- गोली चलाइये। छात्र मारे गये उपका कोई ग्रफसोस नहीं। ग्राप वहां से जीत कर ग्राये हैं। ग्रापके मंत्री वहां से जीत कर ग्राये हैं। इतने छोटे डिवीजन से पांच-पांच मंत्री होते हुए भी वहां किसी ने जाकर खैर खबर भी नहीं ली है। ग्रापने यह भी नहीं कहा कि उन मृतकों के परिवारों को क्या मुग्रावजा दिया जा रहा है? ग्रापने यह भी नहीं कहा कि ग्राप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मेरा निवेदन है जैसा ग्रन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि मेहरबानी करके इस हाउस की एक समिति बनाइये, पांच सदस्यों को मौके पर भेजिये जो वहां कि स्थिति देखें। उसके ग्रनुसार जिसको दण्ड देना है, उसको दण्ड दीजिये, तभी कोई नतीजा निकलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जो घटना घटी··

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रध्यक्ष महोदय, कल की दुखांत घटना पर यह कितनी विडम्बना है कि ग्राज सत्ता में बैठे हुए माननीय मुख्य मंत्री जी व अन्य मंत्रीगण जब विरोधी पक्ष में बैठा करते थे तो चूरू, सांगरिया, गंगानगर के फायरिंग पर एक प्रकार से तीखा प्रहार कांग्रेस प्रशासन पर किया करते थे ग्रौर हमेशा यह मांग किया करते थे कि गोली का चलना ही एक काण्ड है, कांग्रेस सरकार को स्तीफा देना चाहिए। मैं इस मंत्रिमंडल में बैठे हुए समाजवादियों के दिलों को टटोलना चाहता हूं। डा. लोहिया ने कहा था कि किसी भी सरकार को गोली नहीं चलानी चाहिए ग्रौर गोली चलने पर उस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। मुख्य मंत्री, पिल्ले को भी यही सलाह दी गई थी। उसके न मानने पर समाजवादी दल के दो टुकड़े हो गये थे। ग्राज सत्ता में बैठ कर समाजवादियों ने दिलों पर क्या पत्थर रख लिया है? क्या इनकी भावनाएं खतम हो गई हैं? छात्रों के वोटों पर ग्राप जीत कर ग्राये हैं। जयप्रकाश नारायण का ग्रान्दोलन चाहे गुजरात से चालू हुग्रा, चाहे बिहार से ग्रौर चाहे जयपुर से चालू हुआ, छात्रों ने ग्रपना खून पसीना बहा कर उसमें एक महत्वपूर्ण रोल ग्रदा किया है। उन छात्रों के सहयोग से ग्राप सत्ता में ग्राये हैं। परन्तु ग्रापका एक भी मंत्री वहां पर नहीं गया। हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं गये। उनके मुंह से इतना भी नहीं निकला है कि इस बात का दुःख है। जिन्होंने गोली चलाने पर इन्दिरा गांधी को तानाशाह कहा था उन लोगों को क्या हो गया है? चाहे केन्द्रीय सरकार की पुलिस हो, चाहे राज्य सरकार की पुलिस हो, यह जुल्म का प्रशासन है। सरकार पर यह कलंक है, यह कभी छूटने वाला नहीं है। ग्राज से 12 साल पहले जयपुर में गोली चली। बेरी ग्रायोग द्वारा उस गोली काण्ड पर दी गई रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हो रही है? इस राजस्थान सरकार के शासन में फायरिंग हुग्रा है। यह क्वेश्चन ग्रलग है, गलती छात्रों की थी। गलती मजिस्ट्रेट की थी, गलती पुलिस की थी? यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

कि गलती किसने की। लेकिन इतना कह सकता हूं कि गोली चलाने की स्थिति लाने में मजिस्ट्रेट की गलती थी। उन्होंने सूझ बूझ से स्थिति को टालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

इस देश में, इस राज्य में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है, राजस्थान में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है उसको हमने सहा। टैक्स की चोरी हो रही है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। 90 स्टूडेन्ट्स कालेज में आ रहे थे उनको रोकने के लिए इतनी बड़ी सजा।

यही नहीं, मैं इस सदन में एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस की गलती निश्चित रूप से हुई है। इस बात का यह प्रतीक है कि गंगानगर के अन्दर जिन छात्रों को पकड़ कर जेल में बन्द किया गया था उन स्टूडेन्ट्स को जेल की कस्टडी में पुलिस ने पीटा। महेश पैंडीवाल छात्र की गुदा में पुलिस ने लकडी का डंडा घुसाया, दो हफ्ते बाद। क्या जवाब है आपका इसके लिये? प्रोफेसर केदार को मंत्री रहने की इच्छा है, आप लोगों को मंत्री रहने की इच्छा है। इस बारे में क्या प्रोफेसर केदार की खण्डन करने की हिम्मत है कि पुलिस ने उस स्टूडेन्ट की गुदा में लकड़ी नहीं दी? बारां में पुलिस ने फायरिंग कर के न्याय किया है? मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप मेरी जगह होते तो आज के दिन सदन को चलने नहीं देते। मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि क्या आप लोगों का खून पानी हो गया है? क्या आप उन छात्रों की आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट मौन रख कर 15 मिनट के लिये हाउस को एडजोर्न नहीं कर सकते? इसका क्या सबूत है कि जो चार लड़के मरे हैं वे दोषी थे? वे बिना टिकट के थे? बिना टिकट यात्रा कोई और कर रहे हैं। यह आगजनी किसने की? यह स्थिति कौन लाया?

गंगानगर के आउटर सिगनल पर रेलवे डीजल एक घंटे तक खडा रहा। पुलिस को बुलाया। डेढ़ घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। छोटे बच्चों ने इन्जन को चालू कर दिया। किसकी गलती थी? पुलिस क्यों नहीं पहुंची? यह ठीक है आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके पास पुलिस बल है, सत्ता का बल है। परन्तु यह जो घटना है यह लोगों के जोश खरोश में कोई बाधक नहीं होगी। मेरी सरकार से मांग है और मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधान सभा की प्रतिष्ठा और गौरव के आप प्रतीक हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि पांच मैम्बर्स की कमेटी बनाकर उनको मौके पर भेजें और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट उनसे दो दिन में मांगे। यह सदन बड़ा है न कि कोई जज। जज हमेशा सत्ता पक्ष के प्रभाव में होते हैं। बेरी आयोग रहा, छंगानी जस्टिस की रिपोर्ट रही–रूक के बारे में क्या हुआ? उनकी जुडिशियल रिपोर्ट्स पर कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनके अपाइन्टमेन्ट्स में पक्षपात किया जाता है। आज राजस्थान हाई कोर्ट में भी उनको जज बनाया गया है जो पॉलिटिकली एक्टिव थे और किसी न किसी प्रकार पॉलिटिक्स से कनेक्टेड थे

(व्यवधान)

आप हैं। ×××

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 30

(30)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गुप्ता जी, जो यह कह रहे हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी पर कोई विश्वास नहीं रहा, यह शब्द उचित नहीं हैं और ये वापस लेने चाहिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्तियां पॉलिटिकल आधार पर की गई हैं और आज भी उनकी नियुक्ति की जा रही है। जिन लोगों ने शासन को पलटने के लिये आन्दोलन किया। क्या यह राजनैतिक अपाइन्टमेंट नहीं है ? हमें ऐसे जजेज पर कोई विश्वास नहीं रहा। रिटायर्ड होने के बाद जो लोग कमेटी के चेयरमैन और यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर बनने के लिये सत्ता पक्ष को मुंह दिखाये बैठे हैं। उन जुडिशियरी पर हमें कोई विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन की प्रतिष्ठा, गौरव और सत्य के प्रतीक हैं। आप अपने विवेक से पांच मेम्बर्स की एक कमेटी बना दें जो मौके पर जाकर दो दिन में ही रिपोर्ट दे, क्योंकि पुलिस का बयान तो हमेशा एकपक्षीय होता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप मान लें इस बात को कि गलती हुई है। आज सारे पुलिस अधिकारी और सारे आई. ए. एस. अधिकारी उन पुलिस कर्मचारियों के ही वर्सन को सपोर्ट करेंगे। कहां है उनमें इतनी हिम्मत

"They are not committed to the people, they are committed to the services. They are to support the Government to enjoy the powers."

ऐसी स्थिति है, माननीय अध्यक्ष जी, यह आज के दिन बहुत ही दुखद है। कल हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुन रहे थे और उधर पुलिस की गोलियों की आवाज आ रही थी। आज हम यहां उनके भाषण पर विचार कर रहे हैं और वहां उनकी चिताओं पर आग जल रही है। किसी पिता की आंख का तारा छिन गया तो किसी मां का स्वप्न चूर-चूर हो गया। ऐसी स्थिति में राजनीति से ऊपर उठकर इस बात को मान लेना चाहिये कि पांच सदस्यों की कमेटी बिठायें। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गोली आपके हुक्म से नहीं चली और गोली चलाने में आपका कोई हाथ नहीं है। आपको भी उतना ही दुःख है जितना हम लोगों को है। आपकी नसों में खून उबल रहा है, मुझे मालूम है लेकिन आप चुप क्यों हैं ? आप यह मान क्यों नहीं लेते हैं कि सदन के पांच सदस्यों की कमेटी मुझे मंजूर है। वह अपनी रिपोर्ट सदन में दो दिन में रख दे। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, सदन सर्वोपरि है। अगर वह पांच सदस्यों की कमेटी कहे कि फायरिंग के अलावा कोई चारा नहीं था। यदि फायरिंग नहीं किया जाता तो चार आदमियों से अधिक के खून होने की सम्भावना थी। अगर वह रिपोर्ट आती है तो हम मान लेंगे। अगर वे कहें कि बिना फायरिंग के काम चल सकता था तो हम कहेंगे कि निर्दोषों को मारने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, जनतान्त्रिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिये और उस जनता

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

के प्रति विश्वास कायम रखने के लिये हम गंभीर कदम उठाकर इस सदन की सर्वोच्च सत्ता का ध्यान सरकार को दिलाना चाहेंगे।

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी रामकृष्ण दास जी ने यह कहा, शायद ग्रावेश मे ग्राकर कह गये कि जजेज में हमारा विश्वास नहीं है, यह न्यायोचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह ग्रसम्मानजनक शब्द है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो कल घटना घटी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रापस में माननीय सदस्य बात न करें।

श्री मूलचन्द डागा : उससे राजस्थान का सारा छात्र समुदाय दुखी है। मैं ग्रच्छा समझता ग्राज हमारी बहस होने से पहले ही जनता सरकार के गृह मंत्री या मुख्य मंत्री ग्रपना वक्तव्य देते। लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार के जागरूक नहीं होने के कारण कल जो घटना घटी उसके बारे में ग्राज हम केवल ग्रखबारों की खबर के ग्राधार पर ही ग्रपनी बात कह रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि ग्रखबारों में जो तथ्य लिखे हैं वे सही हैं या नहीं हैं। उन्हें कहां तक तोड़-मरोड़ कर रखा गया है। दुःख इस बात का है कि सारे मंत्रि मण्डल में कोटा का प्रतिनिधित्व होते हुए, कोटा डिवीजन के मंत्री होते हुये भी, यहां तक कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय भी कोटा डिवीजन से ही चुनकर ग्राये हुए हैं, उन्होंने जाकर कोई जांच नहीं की। ग्रगर ग्राज घटनास्थल की रिपोर्ट हमारे पास होती, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट होती, इन्जूरी रिपोर्ट होती तो हम ठीक तरह से बहस कर सकते थे। लेकिन यह सरकार चाहती है कि हम उन बातों को कहें जो ग्रखबारों में छपी है। ग्रखबारों के तथ्यों पर घूम रहे हैं, यह दुःख की बात है। शुरू-शुरू में ही हमारे गृह मंत्री महोदय का एक वक्तव्य ग्राना चाहिये था। यह वक्तव्य ग्राना चाहिये था कि हम ग्रौर हमारे साथी वहां गये और सारे मामले की जांच की, तो एक ग्रलग बात होती। जयप्रकाश ने कहा था हम समग्र क्रान्ति लायेंगे लेकिन यह ग्रापकी समग्र ग्रराजकता की निशानी है। ग्रापने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमको कुछ सन्तोष होता। जनता पार्टी के विधायक ही यदि घटनास्थल पर चले जाते ग्रौर यहां ग्राकर बता देते···

श्री कौशल किशोर जैन : गये हैं, डागा जी, मैं ग्रापको निवेदन कर रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोटा डिवीजन के विधायक घटनास्थल पर जाकर यदि ग्रपनी रिपोर्ट दे देते तो हम मान लेते कि गलती कहां है ? ग्राज जो सारी बात कह रहे हैं वह किस ग्राधार पर कह रहे है, इसका तो कोई प्रमाण हो जाता। मैं, गृह मंत्रीजी, ग्रापका ध्यान माननीय ग्रध्यक्ष महोदय के द्वारा दिलाना चाहता हूं कि कोटा छात्र संघ के उपाध्यक्ष, श्री राजेश बिड़ला ग्रौर सैक्रेटरी, श्री सुरेन्द्र शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि तुरन्त जांच नहीं की गई

Page No. 32

(32)

(श्री मूलचन्द डागा)

ग्रौर दोषी को कड़ी सजा नहीं दी गई तो समूचे छात्र संघर्ष करेंगे। सारे छात्रों ने एक चेतावनी सरकार को दी है। छात्र संघ चाहता है कि इसकी जांच की जाय। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, जमीन पर फायरिंग हुग्रा है। ग्रगर जमीन पर ज्यादा फायरिंग हुग्रा है तो सारी बात पोस्ट मार्टम रिपोर्ट या इन्जूरी रिपोर्ट से साफ हो सकती है।

दूसरी बात, यह मानी हुई बात है कि जब सरकार को लीपापोती का काम करना होता है तो केवल जुडिशियल इन्क्वायरी बिठा देती है। जुडिशियल इन्क्वायरी में सरकारी कुनबा ग्रौर सारे सरकारी लोग मिल जाते हैं ग्रौर ग्रपने लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। यह पिछला इतिहास बताता है कि जनता पार्टी की सरकार ग्राने के बाद पुलिस के अन्दर इस प्रकार की ग्रात्महीनता ग्रा गई है। यह जनता पार्टी की सरकार भी दिशाहीन, नीतिहीन है या नहीं, इस पर ग्रलग से चर्चा होगी लेकिन सरकार की कोई नीति नहीं है। सरकार नौकरशाही के क्रूर पंजे में जकड़ गयी है। ये बैठे हुए मन्त्री लोग नौकरशाही की बैसाखियों पर चलते हैं। मन्त्री महोदयों में खुद की समझ बूझ नहीं है। समझ बूझ की कमी के कारण ग्राज सरकारी तन्त्र इतना हावी हो गया है कि पुलिस आपके कहने में नहीं है। इसलिए मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने बड़ी जोरदार इस बात की वकालत की है कि हमें इन्क्वायरी से मतलब नहीं है, हमारी विधान सभा के, उन पांच, सात, ग्यारह माननीय सदस्य, जिनको माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ठीक समझें, की कमेटी बना दी जावे। वह जांच मौके पर ग्रौर निष्पक्ष रूप से ग्रपनी रिपोर्ट सदन में बजट सैशन का सत्रावसान होने के पहले-पहले रखें ग्रौर उस पर चर्चा की जावे ताकि छात्रों को संतोष मिले।

मैं एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं। कल की घटना के पीछे पिछला इतिहास है। इस सारे इतिहास में राजस्थान सरकार की कमजोरी है, निकम्मापन है। जगह-जगह छात्रों में असंतोष है। आज विश्वविद्यालय क्या रह गए हैं? वहां ग्रराजकता ग्रौर उत्तेजना फैलती है। वहां पढ़ाई को स्थान नहीं है। ग्रध्ययन-ग्रध्यापन के सिवाय वहां सब कुछ हो रहा है। सारे विश्वविद्यालयों में शांति नहीं रही। सब जगह क्या हो रहा है? ग्रायुर्वेदिक संस्थानों में एक छात्र के पांच चाकू के घाव लगे। सब कुछ जानते हुए धारा 307 में मुकदमा माणक चौक चौपड़ थाने में दर्ज करवाया गया। डिप्टी डायरेक्टर वहां मौजूद था। छात्र के चाकू के घाव लगे हैं लेकिन मौन हैं। पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है। पुलिस को ग्राशीर्वाद है कि जहां दंगा हो छात्रों को लड़ने दो, ग्रपन ग्रलग रहो। सारी निष्क्रियता सरकार की है। सरकार दोषी है छात्रों में इस प्रकार के कार्य के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं, श्रीमान्,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा यह सुझाव है कि एक कमेटी बनाई जावे सदस्यों की, ग्रौर उनको मौके पर भेजा जावे जो पूरे तथ्यों की जांच करे।

मैं यह भी चाहता हूं कि जिन छात्रों की ग्रसामयिक मृत्यु हुई है, मुख्य मन्त्री महोदय उनके परिवार के लिए कुछ न कुछ घोषणा करें। उनके कम्पन्सेशन की आज

(श्री मूलचंद डागा)
ही सदन में कुछ न कुछ घोषणा होनी चाहिए जो छात्र पढ़ने गए थे, चार पांच नाम अखबारों में निकले हैं, जांच करने से और भी मालूम होंगे, उनके कम्पन्सेशन के लिए कुछ न कुछ आपकी घोषणा हो।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, कल रात को रेडियो के ऊपर और आज सुबह दैनिक समाचार पत्रों में कोटा के रेलवे स्टेशन पर जो हृदय विदारक और दुखद घटना बारां के रेलवे स्टेशन पर घटी, उसके बारे में सुनने व पढ़ने का मौका मिला। जो तथ्य समाचार पत्रों में आये हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे मजिस्ट्रेट एक पार्टी के साथ में आउटर सिगनल के ऊपर पहुंचे जो बिना टिकट व्यक्ति थे, जिसमें ज्यादातर छात्र थे, जो पढ़ने जा रहे थे, उनको रोका, रोकने के बाद वातावरण में उग्रता आई और पुलिस ने गोली चलाई। गोली चलाने के फलस्वरूप तीन छात्रों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक छात्र, जो घायल हो गया था बुरी तरह से, की अस्पताल में मृत्यु हो गई। जो समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला उससे ऐसा प्रतीत होता है, एक घायल छात्र सत्यनारायण ने वक्तव्य दिया है, उसने कहा है कि गोली चलाने के पूर्व न तो पुलिस या मजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार की चेतावनी दी और न हवाई फायर किया। अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला है कि यह जो मासूम विद्यार्थियों की निर्मम हत्या का जघन्य और बर्बर काण्ड हुआ है उस सम्बन्ध में वहां का प्रशासन और पुलिस अकर्मण्य रही है। तथ्य क्या है? सरकार के पास पूरे तथ्य हैं या नहीं? सरकार ने पूरे तथ्य इकट्ठे किये हैं या नहीं? यह एकपक्षीय है या द्विपक्षीय? उसका पूरा विवरण सरकार के पास में आया है या नहीं? यह तो मन्त्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट होगा, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब इस पवित्र सदन का पहला दिन था और पहले रोज जब हमारे राज्याध्यक्ष ने हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 174 के नीचे इस सदन को आहूत किया था, उस वक्त बारां के अन्दर बिना अश्रु गैस छोड़े, बिना किसी तरह की चेतावनी दिये, बिना हवाई फायर किये जनता पार्टी की सरकार की बर्बर, ट्राईगर हैप्पी पुलिस ने यह जघन्य अपराध किया है। इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उनकी जितनी भर्त्सना की जाय, जितना कण्डेम किया जाय सदन के द्वारा उतना कम है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में गोली चलाने की दुखद घटनायें हुई थीं। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी हर बात को सदन में कहते हैं बड़े ताव और तैश के साथ, विरोधी पक्ष के नेता की हैसियत से बोलने की उनकी शैली बन गई है, वह अग्रेसिव होकर आज भी कुछ बातें कहते हैं, मुझे याद है पिछले साल जब इस सदन में चर्चा हो रही थी कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में तो मुख्य मंत्रीजी ने यह वक्तव्य दिया था कि हमारी जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई गोली नहीं चली और विरोधी पक्ष के नेता सरकार में थे तो आपने भोपालगढ़ में गोली चलाई और भोपालगढ़ में किसान मारे गये। मुझे उसका इतना दुःख हुआ जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे दो रात तक नींद नहीं आई। मुझे पता नहीं यह कैसे हुआ। मेरी प्रशासन को हिदायत

(श्री परसराम मदेरणा)

थी कि कहीं पर भी लेवी के सम्बन्ध में गोली नहीं चलाई जावे। मैं सुबह छः बजे रवाना हुआ और दोपहर को पहुँचा। दोपहर के पहुँचने के बाद चार बजे के आस पास होम कमिश्नर ने मुझे सूचना दी। मुख्य मंत्रीजी वहां पर नहीं थे। बाद में होम कमिश्नर और आई. जी. पी. मुझ से मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार की घटना घटी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भोपालगढ़ में जो कुछ हुआ, ठीक नहीं हुआ। आप भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिये स्टेप्स ले सकें इसलिये भोपालगढ़ में जो कांड हुआ उस काण्ड के अन्दर पुलिस ने जो जघन्य अपराध किया, मुख्य मंत्रीजी, उस सम्बन्ध में भी मैं आपसे बात करूंगा, कुछ तथ्य दूंगा। जो भी जुडिशियल इन्क्वायरी हुई है, उसके लिये अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये भी कुछ कहा गया, यह भी कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी के सम्बन्ध में अगर हमने डाउट क्रियेट किये तो यह पूरे जुडिशियरी पर एस्पर्शन होगा और एस्पर्शन की वजह से लोगों का फेथ जुडिशियरी से उठ जाएगा, यह आपका काल्पनिक भ्रम है, इसको आप निकाल दीजिए। आज जजों की जिस तरह से नियुक्ति हो रही है, पार्टी के आधार पर, पक्षपात के आधार पर, जिस तरह से इन लोगों के अपाइन्टमेंट हो रहे हैं, उसके कारण राजस्थान की जनता को यह डाउट नहीं है, उनका यह विश्वास पक्का होता जा रहा है कि जुडिशियरी अब इन्डिपेन्डेन्ट नहीं रहने वाली है, जिसकी इन्डिपेन्डेन्ट के बारे में एडजूडिकेशन के बारे में, उनकी रीजनेबलनेस के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को शंका हो, उसकी सिचुएशन क्या होगी, यह कल्पना की जा सकती है। इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी घटना कल हुई है, बारां में आज काला दिवस है, कोटा में आज विद्यार्थियों ने संघर्ष किया है, उससे पूर्व गंगानगर में विद्यार्थियों ने संघर्ष किया है, जोधपुर में 55 रोज तक विद्यार्थियों ने संघर्ष किया। मानो रूल आफ जंगल हो, लॉ नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति है। लड़कों के साथ मारपीट करने की जो मनोवृत्ति है, यह सरकार की षड़यन्त्रकारी नीति का द्योतक है, राजस्थान को डिवाइड कर रूल करने की यह नीति है। इस नीति के परिणाम बहुत ही घातक होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ घटना घटी है, उस सम्बन्ध में सभी विरोधी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने इस सदन की एक कमेटी आपके द्वारा गठित किए जाने की मांग की है। मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं।

मैं यह कहना पसन्द करूंगा कि जो छात्र बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, उन पर मुकदमा दायर किया जा सकता था। कल ही हमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनने को मिला है। उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस सरकार जो पिछले दस साल में नहीं कर सकी वह जनता सरकार ने पिछले दो वर्षों में किया है। चार-चार पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो विकास कांग्रेस सरकार नहीं कर पायी, वह इस सरकार ने किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कालेज जो खोले जा रहे हैं, शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में कोटा

(श्री परसराम मदेरणा)

से आने वाले माननीय मंत्री, जो कि आज शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं, इसमें मायोतसे तुंग की तरह लम्बी छलांग भरने की कोशिश की थी और अब वे नदी के बांधों, रपटों के लिए लम्बी छलांग भरने की बात कह रहे हैं। बांध बंधे या नहीं, पुल बनता है या नहीं, सड़कें बनती हैं या नहीं, वे लम्बी छलांग भर रहे हैं। लम्बी छलांग कोई शेर ही भरता है परन्तु शेर के सामने कोई तालाब आ जाए तो वह छलांग भरना भूल जाता है। आपके सामने भी यही स्थिति है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर काम नहीं करें। आपके सामने ये कई गहरे गड्ढे हैं जो कि भरने वाले नहीं हैं। मुझे अफसोस तो इस बात का है, जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कहा है, पहले पहले जब यह सदन जुलाई, 77 में मिला था, मुझे दो माननीय सदस्यों के भाषण यहां पर सुनने को मिले थे, एक तो हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी का और दूसरा हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी का, उन भाषणों को सुनने के बाद मेरी स्वतः ही यह राय बनी थी कि ये माननीय सदस्य मौलिक चिन्तन करने वाले हैं, स्वर्गीय लोहिया जी के मुरीद हैं और उनकी नीतियों में अगाध निष्ठा रखने वाले हैं। यह सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय लोहिया जी के दोनों मुरीद आज सरकार में हैं। उनको सम्भवतः याद होगा स्वर्गीय लोहिया जी ने एक बात कही थी कि जो सरकार गोलीकांड जैसा जघन्य अपराध करे उस सरकार को तुरन्त स्तीफा दे देना चाहिये। सरकार द्वारा स्तीफा देने की बात तो दूर रही लेकिन उनके जो दो मुरीद इस सरकार में हैं, जिनके जिले में यह जघन्य अपराध इस सरकार द्वारा किया गया है, वे सदन में बैठे बैठे मुस्करा रहे हैं। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने इस सदन में जो कहा उसका गलत मतलब सी. पी. एम. के माननीय सदस्य ने ले लिया, उनको बुरा लगा परन्तु यह सदन को अखरने वाली बात है कि राजस्थान के राजस्व मन्त्री, जो मौलिक चिन्तन करने वाले हैं, जो स्वर्गीय लोहिया जी के मुरीद हैं, के अपने जिले में सरकार द्वारा हत्याकांड हो और मुख्य मंत्री जिस कान्सटीट्यूएन्सी से आ रहे हैं, हालांकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है लेकिन सब डीवीजनल क्षेत्र में तो है, वहां पर चार मासूम बच्चों को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया जाए और कोई कार्यवाही नहीं हो। वहां पर आज लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है तो आपको इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हेन्डिल करना चाहिये। आप उन लड़कों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे लेकिन उनको लाइन बनाकर गोली चलाई गई। इस तरह आपने विद्यार्थियों में जो आतंक और दहशत फैलाने की चेष्टा की है उसके सम्बन्ध में सरकार कुछ भी फैक्ट दे, पुलिस अपने बचाव में फैक्ट्स दे सकती है, जो कुछ मुझे अखबार में पढ़ने को मिला है, राष्ट्रदूत के अंक में यह छपा है, "मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त।" डी.वाई. एस. पी. कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं है। मजिस्ट्रेट कह रहा है कि गोली किस प्रकार चली, यह मुझे नहीं मालूम। तो यह हत्याकांड कैसे हो गया? यही चालाकी पुलिस ने भोपालगढ़ में भी की थी। डी.वाई. एस. पी. और मजिस्ट्रेट ने

(श्री परसराम मदेरणा)
नहीं कहा तो क्या गोली अपने आप चल गई ? अगर पुलिस ने गोली चलाई तो क्या पुलिस आपके बस में नहीं रह गई है ? पुलिस इतनी निर्मम हो गई है तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी किसी बात को सदन के अन्दर डिपेन्ड करने में अपनी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और बड़प्पन समझते हैं। मैं जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि यह जो गोली चली है इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। आने वाले आम चुनावों में आपको मोरबको जाकर शरण न लेनी पड़ जाए इसलिए इस पर आप गौर करें। मेरा निवेदन है कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो सारे तथ्यों की जानकारी करे ताकि यह सदन, जो सार्वभौम सत्ता है, राजस्थान की तीन करोड़ जनता का यह प्रतिनिधित्व करता है, को तथ्यों की सही जानकारी मिल सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बारां में जिस प्रकार की घटना हुई, उस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों ने जो खेद व्यक्त किया है, दुःख प्रकट किया है, मैं समझता हूँ उसी प्रकार से मैं, मेरी सरकार के साथी और माननीय सदस्य दुखी हैं। राज्य में गोलीकांड हो जाए और उस गोलीकांड से कुछ व्यक्ति मर जाएं यह न तो सरकार के लिए शोभा की बात है और न अन्य किसी व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। जब कल यह घटना हुई और जब से मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैं लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस घटना के कारण जिन परिवारों को वेदना हुई है उनसे मैं सीधे ही टेलीफोन पर बात कर सकूं। मुझे जानकारी मिलते ही सबसे पहले मैंने वहां के विधायक, श्री रघुवीर सिंह कौशल को बुलाया और तुरन्त ही उनको बारां के लिए रवाना कर दिया। वे बारां पहुंचे। अभी अभी दस मिनट पहले ही मेरी उन से टेलीफोन पर बात हुई है। इस घटना के सम्बन्ध में कई विवरण दिये गये। समाचार पत्रों में भी कई बातें आई। रात को लगभग 9–9॥ बजे तक टेलीफोन से संबंध टूटा हुआ था। उसके बाद में टेलीफोन से बात हुई। लेकिन टेलीफोन पर भी आवाज ऐसी साफ नहीं थी कि उसको ठीक प्रकार से सुना जा सके। अभी माननीय सदस्यों ने कई उदाहरण दिये और मांग की। खासतौर से कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की है कि इस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिये। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो बच्चे मरे है उनके संबंध में केवल मुख्य मंत्री का दृष्टिकोण मेरा नहीं है। मैं भी इन्सान हूं। जिनके बच्चे मरे हैं उनको कितना दुःख होगा उसका मैं भी अनुमान लगा सकता हूं। यदि त्याग-पत्र से इस समस्या का समाधान होता हो तो आप विचार कर लें। इस पर भी विचार हो सकता है। निर्णय भी लिया जा सकता है। अभी मदेरणा साहब ने डाक्टर लोहिया की बातें याद दिलाई। सदन जानता है, माननीय रामकृष्ण जी भी जानते हैं कि डाक्टर लोहिया की यह बात बहुत पहले की है जिन सिद्धान्तों को, मैं ऐसा समझता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने नहीं माना आज वे डा. लोहिया को याद कर रहे हैं, यह बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा होता यदि वे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
डा. लोहिया की बात पहले भी याद रखते और उसके अनुरूप आचरण करते तो ऐसी परम्परा बन जाती जिसको तोड़ने का साहस न मेरे में होता और न किसी अन्य सरकार में होता।

जो भी घटना हुई है उसके लिए बहुत खेद है। घटना सत्र के आरंभ में हो या सत्र के पहले हो, घटना किसी भी समय में हो ऐसी घटना के बारे में सभी को स्वाभाविक रूप से खेद होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, खेद होना भी चाहिए। अभी एक बात कही गई कि पुलिस काबू में नहीं है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि माननीय मदेरणा साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि भोपालगढ़ में जिस समय गोलीकाण्ड हुआ उस समय वे मंत्री थे, उनका मंत्रिमण्डल था उस समय भी पुलिस ने उनके निर्देशों की अवहेलना करते हुए गोली चला दी। यह एक इस प्रकार की स्वीकारोक्ति है कि उस समय पुलिस उनके काबू में नहीं थी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : You are also representing the Government.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपकी बात मैंने सुनी। आपको भी धैर्य रखना चाहिए।

अब ऐसी स्थिति में प्रश्न एक ही खड़ा होता है कि क्या गोली चलाने में हम सभी लोगों का हाथ है? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने ठीक ही प्रकार से कहा कि न मेरा हाथ है और न मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य का हाथ है, न यहां के किसी विधायक का हाथ है और न जनता पार्टी के किसी सदस्य का हाथ है और इसी प्रकार से न सरकार के सचिवालय में बैठे हुये अधिकारियों और पुलिस के उच्चाधिकारियों का ही इसमें हाथ है। अब यह विचार करना पड़ेगा कि जब हम लोगों का किसी प्रकार का इसमें हाथ नहीं है तो हम किस कारण से अपराधियों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं? कोई कारण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं जिसके कारण से सरकार की ओर से ऐसी बात का प्रयास किया जाय कि जिसने भी अपराध किया है उसको बचाने की चेष्टा हो। मैंने आपसे कहा कि मैं मुख्य मंत्री के साथ साथ ही एक इन्सान भी हूं। किसी व्यक्ति की गोली से मृत्यु हो जाय और गोली चलाने वाले को बचाने के लिए केवल इसलिए प्रयास किये जायं कि सरकार की प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है तो मैं समझता हूं यह एक जघन्य अपराध है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष को सजा नहीं मिले सरकार की शान इस बात में है। सरकार की शोभा इसी में है कि दोषी को निश्चित रूप से सजा मिले। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : मगर इससे पहले भी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बोलने का मौका मिले उस समय आप बोलें।

तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि इस घटना को दबाने या और किसी प्रकार का रूप देने, जिससे कि दोषी व्यक्ति बच जाय, का सरकार की ओर से तनिक मात्र भी प्रयास नहीं है, हमारा इसमें तनिक मात्र भी इन्ट्रेस्ट नहीं है।

Page No. 38

(38)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय डागा जी कह रहे थे कि सदन में वक्तव्य देना चाहिये। हम अपनी तरफ से वक्तव्य देना चाहते थे लेकिन एडजोर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो गई। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी खड़े हो गये तो सदन के सभी सदस्य यही कहेंगे कि हमारी बात पहले सुनें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे में जिस मोबाइल मजिस्ट्रेट के कारण यह बात हुई वह जुडिशियल सर्विस में हैं। उन पर कन्ट्रोल हाई कोर्ट का है। पुलिस पर कन्ट्रोल रेलवे का है और रेलवे के द्वारा हमारी राजस्थान सरकार का कन्ट्रोल है। इस घटना में मृत्यु केवल 3 की हुई है 4 की नहीं। एक घायल हुआ है और भी दो घायल हुए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि यह संख्या 3 से बढ़कर 4 न हो, यह 3 ही रहे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें तो अखबारों से खबर मिली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो वह संख्या चार न हो यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। इसमें तो आप शामिल होंगे। वह तीन हैं। लेकिन तीन भी हैं इससे भी कोई खुशी नहीं है। मदेरणाजी कह रहे थे कि मैंने यह कहा, राजस्थान में जनता पार्टी का शासन आने के बाद गोली नहीं चली। यह मैं मानता हूं मेरे इस वाक्य को इस घटना ने व्यर्थ कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : गोली नहीं चली और आपने चलाई, मुझे संबोधित करते हुए आपने कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं, आपका मतलब सरकार से है। आज यदि सरकार को गोली चलाने की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि...

श्री श्योपतसिंह मकासर : लेकिन आप भी तो सरकार में ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस जिम्मेदारी से भागने के लिए तैयार नहीं हूं। जो गोली चली है उस घटना के बारे में कोई तथ्य नहीं छिपाये जायेंगे। जो चीज है वह सारी सामने आयेगी। अब प्रश्न यह है कि क्या जुडिशियल इन्क्वायरी की जाय? खेतसिंहजी और परसरामजी शायद नाराज होंगे कि मैं उन परम्पराओं को तोड़ना चाहता हूं जो आप सब ने राजस्थान में...

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : सदन की कमेटी बने, वह इन्क्वायरी करे। गृह मंत्रीजी जो स्टेटमेंट देने वाले थे उसको आप अपना स्टेटमेंट समझ कर कह दें तो माननीय सदस्यों को जानकारी मिलेगी और जो दूसरी धारणा है वह मिट सकेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही तो बोल रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी के बजाय सदन के 5-7 सदस्यों की समिति गठित की जाकर उसके द्वारा इन्क्वायरी हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक देश में इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं बनी है कि जहां भी गोली चले उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी तुरन्त हो जाय।

आपने मेरी बातों को लेकर सदन में जानकारी दी कि मैं जब विरोधी पक्ष में था उस समय किस प्रकार की मांग करता था और आज मैं सत्ता में बैठा हूं तो उस मांग

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
के सम्बन्ध में मेरी क्या प्रतिक्रिया है ? माननीय खेतसिहजी तो यहां तक कह गये कि इतना भीषण गोलीकांड राजस्थान में पहली बार हुआ है। मुझे इस बात का तो दुःख है कि माननीय सदस्य की स्मरण शक्ति भगवान जाने किस प्रकार से कमजोर हो गई है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1967 में जयपुर में 7 आदमियों को गोली से मारा गया। खेतसिहजी को वह याद होगा । आपको यह भी याद होगा कि बीकानेर में 1961 में एक आदमी को गोली से मारा गया। आपको यह भी याद होगा कि 1967 में संगरियां में 5 आदमी गोली से मारे गये । आपको यह भी याद होगा कि 1971 में केकड़ी में गोली चली और एक आदमी घायल हुआ था। 1974 में भरतपुर में 3 आदमी गोलियों के शिकार हुए, 1974 में भीलवाड़ा में 4 आदमी गोली के शिकार हुए। 1976 में भोपालगढ़ में एक आदमी गोली से मारा गया। इन गोली कांडों में जिस प्रकार की परम्परा बनी है उस परम्परा को मैं मानने को तैयार हूं...

श्री खेतसिह राठौड़ : वह वाकिया और थे और बचे नहीं थे ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : बखतसिह जी और प्रतापसिहजी मरे थे उनका नाम तो लो ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिस प्रकार 30...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी इतने ही गोली काण्ड की बात करेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिस प्रकार की परम्पराएं आपने उत्पन्न की है उन परम्पराओं को सुधारने की दृष्टि से मैं छोड़ने को तैयार हूं ।

एक माननीय सदस्य : परम्पराओं में अन्तर नहीं। गोली कल आप भी चलायेंगे।

श्री नूरा : आप अपनी बात करेंगे या उन्हीं की बातों को दोहराते रहेंगे और उनकी ही बात करेंगे ?

कई माननीय सदस्य : बोलने दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे बोलने दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : विरोधी पक्ष को इसमें क्या एतराज है ? यदि हम भी उनके ही नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं तो ?

श्री मूलचन्द डागा : कोई रास्ता नहीं है आपके पास।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे याद है कि पहले जुडिशियल इन्क्वायरी की बात आप मन्जूर नहीं करते थे तो उसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता था। संघर्ष करने के बाद बहुत देर से जुडिशियल इन्क्वायरी की सरकारी की ओर से घोषणा की की जाती थी। माननीय जोशीजी इस सरकारी प्रक्रिया से पूर्णतः परिचित हैं कि किस प्रकार से जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा होती थी।

मैं सदन की जानकारी के लिए उन तथ्यों में जाना नहीं चाहता हूं कि किस प्रकार से गोली चली और लड़कों को पकड़ा। मैं आज सुबह ही चाहता था कि मदेरणा साहब से बात कर लूं और बात करने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
बाद इस सारे मामले में क्या कार्यवाही करनी है और किस प्रकार का निर्णय लेना है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अब भी तैयार हूं कि विरोधी पक्ष के नेता और हमारी पार्टी के नेता सब मिलकर जो फैसला करें मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन बच्चों के परिवारों को कितना कम्पन्सेशन दिया जाय इस सम्बन्ध में मैं कल भी कई बार घोषणा करने की तैयारी कर चुका था कि इनको कुछ पैसा दूं। मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि लड़कों की मृत्यु का मूल्य किस आधार पर पैसों में क्या आंकें? मैंने रघुवीर सिंहजी और उन लोगों से भी कहा कि आप फैसला कर दें कि क्या देना है मैं यहां से स्वीकृति भेज दूंगा। मेरे दिमाग में यह उलझन थी कि किसी की मृत्यु को पैसों से कैसे आकूं? इस प्रकार की बातों पर जानकारी करने में मुझे संकोच है।

मैं इन तीनों प्रश्नों पर विरोधी दल के नेता से बात करने को तैयार हूं और सदन के अन्य माननीय सदस्यों के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूं। जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा के लिए तैयार हूं। आप इस सम्बन्ध में जो भी सर्वसम्मत निर्णय लेंगे उसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार मेरे हाथ में है, कल आपके हाथ में आ सकती है और तीसरे के हाथ में भी जा सकती है तो वह परम्पराएं नहीं बनायें जिनका निर्वहन आगे आने वाला कोई नहीं कर सके। आज आप यह कहना चाहते हैं कि सदन की एक समिति बनाई जाय तो मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं ऐसे प्रश्नों पर जो समितियों की स्थिति बनती है और उनकी रिपोर्ट का जो हश्र होता है। आप 7 आदमियों की समिति बनायें तो चार इधर के और तीन उधर के हुए। तो राजनीति के आधार पर ऐसे मामलों में जांच नहीं होती है। चार आदमी एक रिपोर्ट देंगे और तीन आदमी एक रिपोर्ट देंगे तो परिणाम यह निकलेगा कि चर्चा होती ही रहेगी और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, और नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो जिनको दण्ड देना चाहते हैं वह निश्चित रूप से समय पाकर बचने की कोशिश करेंगे। कई वक्तव्य आपके सामने आयेंगे, कई बयान आपके सामने आयेंगे और कई बयान सरकारी पक्ष के सामने आयेंगे। कोई स्थिति को किस प्रकार से प्रोजेक्ट करेगा और कोई स्थिति को किस प्रकार से प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद में समिति रिपोर्ट में सिर्फ सरकार को यह निर्देश देगी कि इस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाय और आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि आप इस परम्परा को छोड़िये, राजस्थान की सरकार इस सारी घटना की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने को तैयार है। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी समाप्त हो जाय ताकि जिनके खिलाफ जो कार्यवाही करनी है वह तुरन्त की जा सके।

आपने अभी अभी...

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न तो बाद में आयेगा। मैंने यह निवेदन किया कि यह

(श्री हरिदेव जोशी)
घटना घटी कैसे, इसके ऊपर आप प्रकाश क्यों नहीं डालते ? यह स्थिति सदन को मालूम हो कि आपकी निगाह में या सरकार की निगाह में कोई गलती हुई अथवा नहीं हुई है ? अगर कोई गलती हुई है और ऐसा आपको भी लगता है तो जैसा कि हमने कहा तुरन्त उन आफिसर्स को वहां से हटा लें। अगर टेलीफोन लाइन ठीक नहीं थी तो वायरलैस तो काम करता था। उससे शायद आपको कुछ डिटेल्स मिले हों तो सदन को पूर्ण कान्फिडेन्स में लेकर चल सकें तो वाजिब बात होगी। यह बाद की बात है कि क्या एक्शन लिया जाय ? जुडिशियल इन्क्वायरी हो या इस सदन की समिति बनाई जाय। पहले आप सदन को कान्फिडेन्स में लें कि यह घटना किस प्रकार घटी ? कैसे केवल बच्चों के ही गोली लगी और कैसे उम्रदार आदमियों को गोली नहीं लगी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : उम्रदार आदमियों के बारे में आपको इतना ख्याल है यह ठीक है।

भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि मुझे तथ्यों के ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय परसरामजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस मामले में हम जुडिशियल इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो सरकार किसी प्रकार के तथ्य अपनी ओर से जोड़े नहीं और जुडिशियल आफिसर पर ही छोड़ दे कि तथ्य क्या है वह मालूम करे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : फैक्ट्स तो आपको देने पड़ेंगे इस सदन में। इस सदन में बेरी कमीशन की स्थापना हुई थी उस समय आपने किस प्रकार से सरकार को तथ्य बताने के लिए कहा था। फिर कमीशन मुकर्रर हुआ तो वेयर फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रद्युम्नसिंहजी आप जानते हैं ?...

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं लेकिन परम्पराओं की आपने दुहाई दी है इसलिये कहना चाहता हूं कि पहले भी जुडिशियल इन्क्वायरी एस्टेब्लिश हुई है लेकिन सरकार ने हमेशा तथ्यों की जानकारी सदन को दी है। आज कुछ भी स्टेटमेंट होना चाहिये था गवर्नमेंट का इस घटना के बारे में। उस सम्बन्ध में आपने जिक्र नहीं किया। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में आपने कहा तो उन्होंने आपसे कहा कि पहले चर्चा उन फैक्ट्स की होनी चाहिये जो फैक्ट्स सरकार के सामने आये हैं, जैसे भी आये हैं चाहे अपूर्ण आये हों या पूर्ण आये हों उनसे सदन को अवगत करा देना चाहिए तो आपने कहा कि तथ्यों की जानकारी आज ही दे देता हूं। आपने यह भी कहा कि विरोधी पक्ष के नेता और आपके दल के माननीय सदस्य बैठ कर निर्णय ले लें। इस सम्बन्ध में हाउस को कांफिडेन्स में लेने की बात भी कही। कांफिडेन्स में लेने की बात के बाद हाई कोर्ट जज द्वारा इन्क्वायरी का एलान कर दिया तो हाउस को कांफिडेन्स में लेने की बात के आपने दो मिनट में ही चिथड़े उड़ा दिये। मैं निवेदन करूंगा कि तथ्य क्या हैं ? तथ्यों के बारे में स्टेटमेंट हाउस में दिया जाय। वक्तव्य

(श्री परसराम मदेरणा)
नहीं देकर आपने हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच का एलान कर दिया तो यह सही परम्परा नहीं है। आपने एक बात कही हमारी परम्पराओं पर हर तरह से चलने की। जितनी भी घटनाएं हुई थीं उनके बारे में वक्तव्य दिये जाते थे। आपके सामने दिक्कतें हैं इसलिये और अनुरोध होते हुए भी परम्परा से बचने की कोशिश कर रहे हैं इसकी हमें प्रसन्नता है। यह परम्परा हमारी नहीं थी, जो परम्परा पहले से ही रखी हुई है। इसके अनुसार वक्तव्य देने की बात क्यों नहीं करते हैं? गृह मंत्री जी जानकारी दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि माननीय परसराम जी स्वीकार करेंगे कि यह एक इम्प्रूवमेंट है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या स्टेटमेंट नहीं देना है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप चाहें, आज नहीं तो कल दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज का राष्ट्रदूत पढ़ा होगा। उसमें जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य का स्टेटमेंट है। आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं।

एक माननीय सदस्य : पढ़ लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर पढ़ लिया है तो उसमें यह लिखा हुआ है कि गलियों में अभी भी झड़पें हो रही हैं। ये झड़पें हो रही है या नहीं हो रही हैं?

दूसरी बात, मजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि हमने गोली चलाने के लिए नहीं कहा है। पुलिस ने चला दी है। सरकार की मान्यता क्या है, मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया या नहीं? अगर मजिस्ट्रेट ने आर्डर नहीं दिया और पुलिस ने गोली चलाई है तो मुख्य मन्त्री महोदय, जिन लोगों ने गोली चलाई है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

तीसरी बात यह कही गई है कि पुलिस ने और मजिस्ट्रेट ने अपनी कार्यवाही को छुपाने के लिए बाद में आग लगाई है। मैं ऐसा समझता हूं कि काफी सीनियर आफिसर थे। अगर टेलीफोन लाइन खराब थी तो वायरलैस मैसेज दिया होगा। वह सदन की टेबुल पर रख दें। इससे सदन की परम्पराओं का उल्लंघन नहीं होता है।

एक बात और है, मान लीजिए हमने गलत परम्पराएं डालीं इसलिए आपको बुरा लगता था। आज आपको जो अच्छा लगता है, वही कार्यवाही कर दें। इस घटना के बारे में, मैं समझता हूं, अभी तक राज्य सरकार को जो फैक्ट्स की जानकारी मिली है वह जानकारी इस सदन से छुपाये यह ठीक नहीं है। आप अपनी ओपिनियन नहीं दें। राज्य सरकार ने क्या ओपिनियन फार्म की है। वह आप नहीं दें। आप एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से हैण्डिल करना चाहते हैं? What is the version of the police? What is the version of the District Magistrate and what is the version of the administrative officers present there on the spot? इस चीज को जानने का हमें अधिकार है। अगर आप इस चीज को नहीं बताते हैं और विरोधी

(श्री हरिदेव जोशी)

पक्ष की ओपिनियन लेना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करा दी जाये। वह किस मुद्दे पर करा दी जाये? इसके बारे में मेरा यह कहना है, जनता पार्टी के एक सदस्य ने कहा है कि पुलिस ने अपनी कार्यवाही को छुपाने की कोशिश की है तो क्या गाड़िया ने झूंठ कहा है?

एक माननीय सदस्य : वह इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने मेरा काम हल्का कर दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमेशा ही किया है। पहले भी किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने यह कहा है कि यह सही है या यह सही है। आप अन्दाजा लगा लें कि इसी स्थिति में मैं भी हूं। मुझे भी जो वर्सन मिल रहे हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करूं..

श्री हरिदेव जोशी : आप वर्सन दे दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपना वर्सन दे दें। आपने क्या राय बनाई है? आपको जो फैक्ट प्राप्त हुए हैं वह बता दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, अगर विरोधी दल के लोग मंजूर करें या माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे छात्रों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं..

श्री हरिदेव जोशी : आप आर्बीट्ररी खतरा नहीं लें अपने और गवर्नमेंट के बीच में। मैंने तो यही कहा था कि आप पहले जो रिटन स्टेटमेंट देने वाले थे, वह मेहरबानी करके पढ़ दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह कभी नहीं कहा था कि गृह मंत्रीजी रिटन स्टेटमेंट देने वाले थे।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप सदन के समक्ष अपना कोई मुद्दा रखें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने भी सुना था कि गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देने वाले थे।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग देख कर ही कह सकता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : वह स्टेटमेंट देने वाले थे लेकिन पोजीशन यह हो गई कि इधर से ही शुरुआत हो गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने कहा था कि गृह मंत्री जी वक्तव्य देने वाले थे। माननीय मुख्य मंत्री जी जोश में होश भी खो देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सदन के नेता के लिए यह शोभनीय नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमान् जी, जो भी घटना घटी है, उसके बारे में सदन जानने को उत्सुक है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही स्टेटमेण्ट के सम्बन्ध में, इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि इतनी बड़ी बात दो मिनट में हाउस में कहने में माहिर हैं कि नहीं कहा ! अध्यक्ष महोदय,...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह विवाद की बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इस पर्टीकूलर प्रश्न पर, स्टेटमेन्ट की बात शायद स्मृति पटल से चली गई होगी। आप प्रोसीडिंग देख लें। आपने सदन के सामने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है कि मैंने यह कहा था कि स्टेटमेण्ट गृह मन्त्री जी देने वाले थे। मैंने यह कहा या नहीं लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं केवल इसलिए निवेदन कर रहा था कि लिखित स्टेटमेण्ट या मौखिक स्टेटमेण्ट सरकार की ओर से देने में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। लिखा हुआ बोलें या जुबानी बोलें, इसमें कोई अन्तर नहीं है। आपका बहुत बड़ा आग्रह है कि जुबानी नहीं बोलना चाहिए लिखा हुआ बोलना चाहिए इसलिये लिखा हुआ पढ़ना मैं स्वीकार करता हूं। मैंने जो स्थिति स्वीकार की है, यही मेरा वक्तव्य है। जो तथ्य सरकार के सामने आने चाहिए, वह तथ्य अभी अपूर्ण हैं। सरकार के व्यूपाइन्ट इस प्रकार हैं।

(व्यवधान)

जो जानकारी मिली है, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"दिनांक 26-2-79 को रेलवे मजिस्ट्रेट कोटा, दो रक्षकों के साथ जिनके पास राइफलें थीं, बारां रेलवे स्टेशन पर आये। कोटा और बीना से जो ट्रेन चलती है, उसमें करीब 40 यात्री बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े गये। उनको बारां स्टेशन पर लाया गया और उनके मुकदमे की सुनवाई आरम्भ की। उसी गाड़ी में और छात्र थे। बारां पहुंचने पर छात्रों की भीड़ ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया। उसके बाद भीड़ ने जहां अदालत उनकी लगी हुई थी वहां हमला किया और भारी पथराव किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया। भीड़ पथराव करती रही। भीड़ द्वारा रेलवे स्टोर्स और गोदाम में आग लगा दी गई। भीड़ को नियंत्रित करने और कर्मचारियों की रक्षा के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। दो बालकों की वहां घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उस भीड़ ने, जो उस समय 4–5 हजार के लगभग हो गई थी, पी. डब्ल्यू. आई. के गोदाम में आग लगा दी। रेलवे कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों का घेराव किया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश बारां आए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। भीड़ काबू से बाहर हो रही थी। पुलिस द्वारा बहुत मुश्किल से स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। इस घटना में काम आये तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए। पुलिस के 37 कर्मचारियों, जिनमें 3 रेलवे कर्मचारी भी हैं, के गम्भीर रूप से चोटें आईं। उनको अस्पताल भेजा गया और उचित चिकित्सा के पश्चात् अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।''

श्री हरिदेव जोशी : यह जो स्टेटमेंट है, पुलिस का वर्णन है या मजिस्ट्रेट का है ? एक बात, दोनों ने कोई अलग-अलग रिपोर्ट भेजी है अथवा एक ही रिपोर्ट है ? यह दोनों पाइन्ट आपने नहीं बताये हैं। पुलिस ने और मजिस्ट्रेट ने एक ही रिपोर्ट भेजी है या दोनों की अलग-अलग हैं ? अलग-अलग हैं उनका क्या वर्णन है ? इसमें यह जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कितनी गोलियां चलाईं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 21.

श्री हरिदेव जोशी : दो सिपाहियों ने जिनके पास राइफलें थीं, 21 गोलियां चलाईं एक बार में 6 गोली होती हैं, तो उनको भर कर चार बार फायर किए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तथ्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो गोलियां लगी हैं वे पांव पर लगी हैं या कमर से ऊपर लगी हैं ? हवाई फायर कितने किये गए ? क्या उनमें 21 राउण्ड भी शरीक हैं ? उनके पास कुल कितने राउण्ड थे ? बाकी जो एम्युनिशन था वह ले लिया गया था क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा था कि यह सब जांच का मामला है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी, इस विवाद में न पड़ें ? वास्तव में दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी है जो वक्तव्य दिया गया है वह जानकारी के आधार पर दिया गया है। सब मसले पर जांच होगी तो तथ्य सामने आ जायेंगे। कितने हवाई फायर हुए, कितने लोगों को गोलियां लगीं, कमर में लगी या पांव में लगीं, इस सब मसले पर न्यायिक जांच हम स्वीकार कर रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी गोलियां लगीं, हमने कहा 21। मैं आपको कह सकता हूं कि बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद भी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है। आपका इन्ट्रेस्ट भी यह है और सरकार का इन्ट्रेस्ट भी यही है कि दोषी व्यक्तियों को सजा मिले। मैं, जोशीजी, आपको यह कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को बचाने में मेरा कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी निष्ठा में मुझे सन्देह नहीं है। मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि आपको इससे कोई खुशी नहीं है अथवा इसमें आपका हाथ नहीं था। मगर सरकार, सरकार है और जनता, जनता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया। सदन का एक माननीय सदस्य जो कुछ कहता है, जो रूलिंग पार्टी का मैम्बर है उसका रिएक्शन है कि पुलिस ने ज्यादती की है, उसका आपके ऊपर, क्या रिएक्शन हुआ ? क्या आप यह मानते हैं कि पुलिस ने ज्यादती की ? आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि लोगों ने आग लगाई और गाड़ियावाले कहते हैं कि पुलिस ने आग लगाई। आपको यह जानकारी नहीं है, गाड़िया ने आपको टेलीफोन किया होगा, यह मैं कह सकता हूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

उन्होंने आपको क्या कहा, पुलिस ने आपको इत्तला दी है, या मजिस्ट्रेट ने क्या इत्तला दी है इस मामले में आप यह कह कर कि जुडिशियल इन्क्वायरी करवा देंगे, सदन को कान्फिडेन्स में लेना चाहते हैं। मेहरबानी करके हमें कान्फिडेन्स में लीजिये। आप और हम एक ही पार्टी के हैं इस मामले में। लड़कों के प्रति सहानुभूति है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर गोलीकांड के समय भी इस सदन में चर्चा चली थी और मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं सजा देना चाहता हूं। उस समय भी यह प्रश्न आया था कि क्या वे सदन को कान्फिडेन्स में लेना चाहते हैं? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप चाहें, कल वक्तव्य दे दीजिये, चाहें परसों दे दीजिये। विस्तार से बताइये लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको वहां पर चोटें आई हैं। जो एम्यूनिशन बचा है उसको कब्जे में लिया गया? किसने गलती की है? इन सब बातों पर विचार होना चाहिये। केवल जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कहकर आप पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता।

श्री हरिदेव जोशी : एक चीज मैं भूल गया हूं, वह यह है कि रिटन स्टेटमेंट में आपने यह पढ़ा है कि शव परिवार वालों को दे दिए गए हैं, उनका पोस्ट मार्टम नहीं हुआ क्या?

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात): हुआ है, यह तो साधारण सी बात है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट पढ़ा उससे पहले यह बात कही है कि इन्फार्मेशन जो आई है विभिन्न सूत्रों से या सोर्सेज से, उनसे मैं खुद भी नहीं सोच सका और इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि सही फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के पास जो वर्सन आया है उससे मुझे सन्तोष नहीं है। मुख्य मंत्रीजी राजस्थान सरकार के नेता हैं, और इस सदन के नेता हैं। वह व्यक्ति जो सदन का नेता है राजस्थान की जनता सरकार का नेता है, मुख्य मंत्री है, अपने आपको अलग मानकर चले, यह उचित नहीं है। जोशीजी के लिये तो आप मानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया भोपालगढ़ में मैं पहले दोषी था। कमीशन ओमीशन के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, ट्रेजरी बैंचेज का हो या अपोजीशन का हो, चाहे राजस्थान सरकार का मुख्य मंत्री हो, सही बात सामने आनी चाहिए। आप यह बताइये कि भण्डारी और एस.पी. बारां पहुंच गए थे। एडीशनल कलेक्टर भी वहां पहुंच गए थे? अखबार में ऐसा आया कि एडीशनल कलेक्टर गायब हैं, पुलिस के दो सिपाही गायब हैं और रेलवे के दो कर्मचारी लापता हैं। आपने फैक्ट्स दिए ही नहीं, आपने जो सूचना दी है वह पुलिस वायरलैस की है, जिलाधीश की है, मोबाइल मजिस्ट्रेट की है, डीवाई. एस. पी. की है, आई.जी. की है, होम कमिश्नर गुप्ता की है या आपके पर्सनल सैक्रेटरी मेहता की है, गृह मंत्री की है या गाड़ियाजी की है? गाड़ियाजी जब भी कोई बात यहां रखते थे तो आप झट से झपट पड़ते थे और उनका समर्थन करते थे। आज उनका स्टेटमेंट आने के बाद आपने गोलमाल स्टेटमेंट दिया। आपके पास इन्फार्मेशन तो काफी हैं। अब एक्स्ट्रा कान्सटीट्यूशनल इन्फार्मेशन ले

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आपने पहले भाषण में ही राज्यपाल से क्या कहलवाया था ? विरोधी पक्ष और शासन पक्ष के बीच में तालमेल बिठाया जाएगा। अगर जनता पार्टी के भीतरी मामलों को सुलझाने के लिए जो आपका पॉलिटिकल ब्रिकमैनशिप है जिसका हिंदुस्तान टाइम्स में 4 जुलाई को आर्टिकल आया है उसको छोड़ दीजिए लेकिन ये फैक्ट्स आपको किसने दिए ? वास्तव में तथ्य क्या हैं ? माननीय सदस्य जोशी जी ने आपसे इन्फार्मेशन मांगी है, वह दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, जबकि मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि मैं किसी तथ्य को छिपाने के पक्ष में नहीं हूं...

श्री खेत सिंह राठौड़ : 20 बार यह कह दिया लेकिन तथ्य एक नहीं दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे तथ्य आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं।

आज अगर मैं कहूं कि किसने गोली चलाई, किसने नहीं चलाई तो ठीक नहीं होगा। तथ्य यह है कि गोली चली, तीन छात्र मारे गए, कुछ घायल हुए। अपन को उस घटना की जांच करनी है कि पुलिस वाले दोषी हैं या नहीं ? अगर दोषी हैं तो उनको क्या दंड दिया जाए ? प्रश्न यह नहीं है कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं क्या नहीं ? मैं वक्तव्य दे नहीं रहा हूं इसके पीछे इन्क्वायरी में सरकार के किसी पाइन्ट का किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं है। वहां रेलवे मजिस्ट्रेट गए, तथ्य है। गोली चली, तथ्य है। लोगों को चोटें आईं, तथ्य है। जिन सिपाहियों ने गोली चलाई उनके नाम सामने हैं। तथ्य छिपाने से हमारा क्या इन्ट्रेस्ट सर्व होने वाला है ? यदि आप चाहें कि एक-एक के नाम बतायें किस-किस ने क्या किया तो मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो कोई भी इसमें पार्टीसिपेंट्स हैं उनमें दोषी कौन हैं कौन नहीं, उन सब की जांच होगी। दोषियों को सजा मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए था, एप्रीशियेट करना चाहिए था। बनिबसत इसके कि किसी समय लगातार 15–15 दिन एजीटेशन्स होते थे उसके बाद भी जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होती थी। मैंने जुडिशियल इन्क्वायरी की बात आपकी मांग पर नहीं, आपकी भावनायें देखकर स्वीकार कर ली। कम से कम इस बात की तो खेतसिंहजी दाद दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : आप पहले ही स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे कि आप सदन में आते ही जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कहेंगे और सदन तालियां बजाकर वेलकम करेगा। आप सोचकर आए थे कि सदन में आते ही कहेंगे कि जुडिशियल इन्क्वायरी करवा रहे हैं और लोग तारीफ करेंगे। पोजीशन यह है कि आप सदन को विश्वास में क्यों नहीं लेना चाहते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे सीनियर आदमी इन्ट्रप्ट करेंगे तो..

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कौन से कम सीनियर हैं ? दोनों एक जैसे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप कहते हैं कि आप कुछ भी सदन से नहीं छिपाना चाहते हैं। मैं इधर-उधर गंगानगर की बात नहीं करता केवल जिस घटना पर चर्चा हो रही उसकी बात करता हूं। सिस्टम यह है कि जिलाधीश ने आपको रिपोर्ट भेजी, आप कहते हैं जिलाधीश पार्टी है इसमें·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं था।

श्री हरिदेव जोशी : जब नहीं था तो कहिए। आपका स्टेटमेंट जिलाधीश की रिपोर्ट पर बेस्ड है, तो क्यों नहीं ऐसा कहते ? आप कहिए कि यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर बेस्ड है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री हमें अपनी लुभावनी बातों से अपनी ट्रेप में लाना चाहते हैं। हम नहीं आयेंगे ! चित्तौड़गढ़ में जब घटना हुई थी तो मुख्य मंत्री ने कहा था कि यहां चर्चा मत कीजिए, बैठकर बात करेंगे। आज दिन तक वह बात नहीं हुई। राजस्थान में कम्युनल हारमोनी रहे, इसलिए इस बात को सदन में न उठायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जब यहां बैठते थे तो हम पर यही चार्ज लगाते थे..

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : दो बज चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जान बूझकर तथ्य .

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी तो दिन के दो बजे हैं लेकिन आज रात के दो बजेंगे।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप लोगों को गोलियों से भून रहे हैं..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य देने से पहले मेरे पास वहां से टेलीफोन आया था कि उन सब की मांग जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए। छात्रों ने भी यह मांग की है। मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि आपका मतलब है कि जूडिशियल इन्क्वायरी नहीं की जाए ?

श्री हरिदेव जोशी : आप साइडट्रेक करना चाहते हैं, इस सदन के सदस्यों की कमेटी की मांग की है····

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : यदि सरकार या मुख्य मंत्री सिलसिलेवार घटना प्रस्तुत कर दें तो उसके बाद में सारी मांगें खतम हो जायेंगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : 1967 में जब राजस्थान के भूतपूर्व गृहमंत्री, श्री दामोदरलाल व्यास ने बेरी आयोग के संबंध में वक्तव्य दिया था उस समय मुख्य मंत्री ने यह बात कही थी कि अब गृह मंत्री दामोदर लाल व्यास से सुखाड़ियाजी लीपापोती करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि कितनी गोलियां चलाईं। वही मुख्य मंत्री आज दूसरी बात कहते हैं। सरकार की याददाश्त कमजोर हो गई, पुराने लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई। उनकी याददाश्त कहां चली गई जो यहां बैठकर कहते थे ? अगर पूछते हैं कि पोस्ट मार्टम हुआ है, अगर पूछते हैं कि जिलाधीश ने क्या रिपोर्ट भेजी,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
एस. पी. की रिपोर्ट पूछते हैं तो आपको उनकी रिपोर्ट पढ़ने में क्या जोर पड़ता है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोर पड़ता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हाई कोर्ट के जज से जांच करायें, इसके लिए पूरा सदन एकमत होगा। लेकिन किसी जानकारी पर यह बेस कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो फैक्ट्स ही पूछ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा सुझाव है कि जो इन्क्वायरी कराई जाये वह किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज से कराई जाये।

श्री खेतसिंह राठौड : इसमें हकीकत यह है कि मुख्य मंत्री जी जान बूझकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भेजी गयी रिपोर्ट है उसको यहां पढ़ना नहीं चाहते अगर वह पढें तो सरकार के लिए डेमेजिंग है, क्योंकि उसमें साफ कहा है कि यह गोली इस तरह से चली है और इसमें यह लोग दोषी हैं। अगर वह रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सरकार का इसमें काला मुंह होता है। इसलिए इन्होंने आते ही यह कह दिया कि मैं हाई कोर्ट का जज इसके लिए मुकर्रर करने के लिए तैयार हूं। हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप चाहे मान जाओ। हकीकत यह है कि इस क्षेत्र में गोली चलाई गई और जान बूझ कर बच्चों को मारा गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साफ लिखा है। आप उस तथ्य को छिपाना चाहते हैं इसलिए सारे वातावरण को बनाने के लिए आप चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट का नाम लेकर बच निकलेंगे, हम बचने नहीं देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : गाड़िया जी ने इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा है। आप क्या कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी बताऊंगा क्या कहता हूं ?

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय जवाब दें कि इन्क्वायरी किस तरह से चलायें। यह तो उनके ऊपर निर्भर है····

श्री मूलचन्द डागा : हाउस के ऊपर निर्भर है। नेता महोदय के ऊपर निर्भर नहीं है।

श्री मन्जूर अली : हाउस के मुतालबे पर कह रहा हूं कि यह उनके ऊपर निर्भर है लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। गोलियां चली हैं। इस मामले में किसने गोली चलाई, कब चलाई, कैसे चली और क्या हुआ इन तमाम वाकियात की अगर पूरी चर्चा यहां की गयी तो इसका मतलब है कि इनवेस्टिगेशन में और मुकदमे की ट्रायल पर असर पड़ेगा और मुलजिमान को हाउस की तफसीली बहस का अनुचित लाभ मिलेगा।

कई माननीय सदस्य : कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री मंजूर अली : सारे हाउस की मंशा यह है कि कातिलों को सजा दी जाये। लेकिन क्योंकि इससे उस मुकदमे की ट्रायल पर असर पड़ेगा इसलिए तफसीली चर्चा न हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन अपने पैरों पर है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप भी खड़े हैं और सदन के नेता महोदय भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागा जी हाथ जोड़ता हूं..

श्री मूलचन्द डागा : हाथ नहीं जोड़ें। आप सदन का अपमान कर रहे हैं, यह बहुत गम्भीर बात है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपके द्वारा कि इस सदन के नेता…

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह छोटा सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दो घंटे तक चुपचाप यहां बैठा हुआ सुन रहा हूं। यह महान् गम्भीर विषय है, यह खेदजनक विषय है, यह महान् दुखद विषय है। 2 बजे चुके हैं और सवा दो हो गये हैं..

कई माननीय सदस्य : यह समय की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी एक मिनट के लिए सुन लीजिए। आपकी उग्रता के साथ-साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है…

कई माननीय सदस्य : समय दीजिए पूरा।

श्री अध्यक्ष : आपका यह सदन है। इस पर चर्चा हो या नहीं हो यह भी सदन निर्णय करेगा। मेरा यही निवेदन है कि अगर आप उचित समझें तो इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी से अलग कक्ष में जाकर बातचीत कर लें।

कई माननीय सदस्य : नहीं। नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुझाव इसी कारण दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक स्टेटमेंट कल दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आपकी उग्रता के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे दो मिनट दिये जायें।

मैं इतना कह रहा था कि अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के वक्तव्य की बात कही गयी। मेरे पास कोई अभी स्टेटमेंट नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : अफसोस की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अफसोस प्रकट कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। एक क्षण के लिए मुझे दो शब्द तो कहने दीजिए।

विनम्रतापूर्वक विपक्ष के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि माननीय

(श्री अध्यक्ष)
सदस्य जोशी जी ने जो सुझाव दिया वह मेरे मन की बात है। अगर सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से हमको चलानी है तो मैं 15 मिनट छोड़ कर 20 मिनट के लिए हाउस को स्थगित कर देता हूं।

कई माननीय सदस्य : कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बात करें। बात करने के पश्चात् मैं दूसरा आइटम लूंगा, यह नहीं लूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर बात ठीक हुई तो।

श्री अध्यक्ष : आप हाईपोथेटिकल और प्रिसपोजीशन क्यों कर रहे हैं? बात करवाने के लिए मैं तैयार हूं।

सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही म. प. 2.20 बजे 20 मिनट के लिए स्थगित की गयी)

विधान सभा की बैठक म. प. 3.03 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बारां गोली काण्ड के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि इस सारे मामले की जांच राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जाये।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात गलत होगी, श्रीमान्। पहले तो सदन में नेता महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि सारे सदन को विश्वास में लेकर किसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये। दूसरी बात यह कही थी कि जो डाकूमेंट्स हैं, वह सदन के सामने रखें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मजिस्ट्रेट और एस.पी. की रिपोर्ट आज तक इस सरकार के समक्ष ऐसी घटना होने के बाद नहीं आई। मैं चाहता था कि उन डाकूमेंट्स जो कि एफ. आई. आर. के रूप में हैं, जिन्होंने एफ. आई. आर. लाज की थी, वह और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और एस. पी. की रिपोर्ट हमारे सामने रखते। मैं यह नहीं कहता कि कोई मैम्बर, पार्टी का मैम्बर इसकी इन्क्वायरी करे। मैं तो यह कहता हूं कि कोई भी सदन के सदस्य इस बात की जांच करें। आज, अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विरोधी दल के सभी लोगों की मांग थी कि इस सदन की कमेटी होनी चाहिये और आपने एलान कर दिया कि हाई कोर्ट के जज इसकी जांच करेंगे। हमारे लोगों की, हमारी बात को मानना नहीं चाहते। ये सभी कहते हैं कि हमें विरोधी पक्ष का आदर करना चाहिये। दूसरी ओर जब विरोधी पक्ष कहता है कि डाकूमेंट बताइये तो इस सरकार के सामने डाकूमेंट्स नहीं हैं। आज भी सरकार के पास कोई इत्तला नहीं है। न मजिस्ट्रेट की इत्तला है, न एस. पी. की इत्तला है। वहां हत्या हो गई, लोग गोली से मारे गये और गृह मंत्रीजी मौन बैठे रहे। मैं कहता हूं कि इस सदन की कमेटी मुकर्रर की जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : बहुमत के आधार पर यह विरोधी दल की....

श्री अध्यक्ष : आप एक ही बात को दो घंटे से दोहरा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दो घंटे नहीं चार घंटे दोहरानी पड़ेगी। यह कोई मामूली बात थोड़े ही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आपका मैं सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं इसी पाइन्ट पर...

श्री अध्यक्ष : सरकार और आगे क्या कहे ? मेरे ख्याल से...

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आज सरकार को जितनी जानकारी है उसके अनुसार आपको कह दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी की परेशानी को मैं जानता हूं कि अधिकारियों ने वहां पर उल्टा काम कर दिया है। और आप वहां पर फंस गये। मैंने देखा है गंगानगर जिले में भी जब इसी तरह का छात्रों का आन्दोलन हुआ था तब आपको परेशानी नहीं हुई। आप जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये क्यों तैयार हो गये ? क्योंकि कोटा के छात्रों का दवाब पड़ रहा है। इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। हम तो सोचते थे कि आप परिपाटी को तोड़ेंगे। हमारी पार्टी को छोड़ दीजिये। आप बड़ी कमेटी नहीं तो तीन मैम्बर्स की कमेटी बना दीजिये इसके बाद फौरन तमाम गिरफ्तार लोगों को जेल से रिहा किया जाय और तमाम अधिकारियों को वहां से हटाया जाय। फिर भी अगर मुख्य मंत्री जी अड़े रहते हैं तो मैं सदन का बायकाट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कमेटी इस घटना की जांच करे..

(व्यवधान)

बूंदी के नैनवा में जो लाठी चार्ज हुआ उसकी रिपोर्ट दो महीने पहले दे दी गई थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग विषय है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमको मालूम हुआ है कि रिपोर्ट में नैनवा के लाठी चार्ज को गलत माना है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अलवर के अन्दर जो गोलीकाण्ड हुआ था उसकी रिपोर्ट आई हुई पड़ी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। छंगाणी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। किसी भी जज की इन्क्वायरी पर हमें विश्वास नहीं है, जनता को विश्वास नहीं है। जनता द्वारा चुने हुए सदन की कमेटी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

से जांच होनी चाहिए ताकि जनमानस को विश्वास हो सके नहीं तो वही लोग वहां पर आपको जूते मारेंगे और हमें जूते मारेंगे जो लोग आज तक हमारे गलों में मालाएं डालते हैं। हाई कोर्ट के जजेज हों या आई.ए.एस. आफिसर सभी सत्तामुखी होते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप सचिवालय के आई.ए.एस. आफिसर्स से प्रभावित हैं। अभी आपने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई एस. पी. की, तो जब एस. पी. की रिपोर्ट आपके पास में नहीं आई तो आपने भाषण किस रिपोर्ट के आधार पर दिया ? अगर एस. डी.एम या एस. पी. की रिपोर्ट नहीं आती तो आप भाषण नहीं देते। यह आई. ए.एस. आफिसर्स आपको, मुख्य मंत्रीजी, डूबोयेंगे। कांग्रेस के राज्य में 21 सूत्री कार्यक्रम के लिए भी यह कहते थे और आपकी अन्त्योदयी योजना का भी यह वही हाल कर रहे हैं। उसको वह जस्टिफाई करते थे वही इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी आपसे यह अनुरोध है कि आप कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित परम्पराओं को छोड़ दें। जनता ने उन परम्पराओं को ठुकरा दिया है। क्या आप उन्हीं परम्पराओं को निभायेंगे ? क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इनकी जो परम्पराएं थीं उनको आप निभायें ? आप कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित परम्पराओं को न निभाकर अपनी स्वस्थ परम्पराएं पैदा करें।

इसके साथ साथ, मैं यह भी कहूंगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की सीनेट कमेटी की इन्क्वायरी पर अपना पद छोड़ सकता है। निक्सन की किसने इन्क्वायरी की ? अमेरिका के हाउस की समिति ने की थी तो क्यों नहीं इसकी इन्क्वायरी सदन की कमेटी कर सकती है ? सदन की कमेटी किसी जज के मातहत नहीं है। आपसे पुनः आग्रह है, पुनः निवेदन है कि जनमानस की यह मांग है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप जनता के नेता रहे हुए हैं, आप विरोधी पक्ष के नेता रहे हुए हैं। आपने जनता को यह सिखाया हुआ है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज मैं जनता पार्टी के साथियों से कहूंगा कि वह अपनी आत्मा की आवाज पर खड़े होकर मुख्य मंत्रीजी पर दबाव डालें कि इस सदन की एक समिति सारी घटना की जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। इन्दिरा गांधी ने आपातकाल में आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के माध्यम से शासन किया था, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, प्रजातान्त्रिक युग की स्थापना के लिए, जनता के विश्वास के लिए आपसे यह मांग है कि आप इस सदन की एक कमेटी की स्थापना करें। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं इसके विरोध में सदन को छोड़ता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई है। माननीय सदस्य, अब चर्चा इस सम्बन्ध में नहीं होगी।

श्री खेतसिंह राठोड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने यह बात तय हुई थी जब हाउस एडजोर्न हुआ कि जो भी बात करेंगे या इसका निपटारा करेंगे वह सब की सलाह से करेंगे। इन्होंने इस सदन की सलाह नहीं मानी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप..

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होने दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी आपने 15 मिनट के लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित किया था..

श्री अध्यक्ष : मैंने किया था और मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा की थी।

श्री रामनारायण चौधरी : हम यही जानना चाहते हैं। 15 मिनट के लिए, 20 मिनट और 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की थी। मान्यवर, जब आपने स्थगित की थी तब आपने घोषणा की थी कि सदन की वेदना है, बड़ी दुखद घटना है इसलिये इसका समाधान निकालना चाहिए। सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस पर बड़ा दुःख जाहिर किया था और एलान किया था कि वे सदन को कान्फिडेन्स में लेना चाहते हैं। इस मामले में सदन की कार्यवाही स्थगित होकर आपके माध्यम से सोलूशन निकाला जाना चाहिए कि सदन को किस प्रकार से कान्फिडेन्स में लिया जा सकता है। मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने के बाद विरोधी पक्ष से इस सम्बन्ध में आपके सामने कोई बातचीत नहीं की। न मालूम क्यों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एबरप्टली यहां आकर मामले को इस प्रकार से हुश अप करने की कोशिश की कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है कि इस सारी कार्यवाही की जुडिशियल इन्क्वायरी करवाई जायगी। मान्यवर, इतने बड़े मामले को सदन के नेता और मुख्य मंत्री इस प्रकार से हुश अप करें, इस सदन को कान्फिडेन्स में न लें, प्रतिपक्ष की राय न लें और बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लूएन्स के आधार पर चलें क्योंकि कोटा और बारां में पुराना जनसंघ एलाइड आर.एस.एस. घटक इस बात की मांग उठा रहा है कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जानी चाहिए। आप, मुख्य मंत्रीजी, सरकार के निश्चय को नहीं मानते, सदन के निश्चय को नहीं मानते हैं और सारा डिसीजन आर.एस.एस. जनसंघ की वहां पर जो कार्यवाही चल रही है और वहां पर जो मांग चल रही है कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय और जुडिशियल इन्क्वायरी के अलावा और कोई कार्यवाही न हो, इस आधार पर हो रहा है।

(व्यवधान)

यहां सदन में आप पर किस का प्रभाव चल रहा है? कोटा के जनसंघ के घटक का वहां से मुख्य मंत्रीजी निर्वाचित नहीं हुए हैं। उससे आप प्रभावित नहीं हों और मुख्य मंत्रीजी इस सदन से प्रभावित हों, यहां के कन्सलटेशन से गाइडेड हों। आप इस सदन में आकर इस प्रकार से यहां पर इस मामले को हुश अप करना चाहते हैं और आप एलान करते हैं तो यह चीज इतनी आसान नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर गौर करें और यहां पर एलान करें। यह विरोधी पक्ष की मांग है। आपने यहां आते ही यह घोषणा कर दी तो दोनों ही बातों पर सदन में बडा विवाद है और मतभेद है। आपको जो भी एलान करना था तो हमारी बात को सुनकर करना चाहिए था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

इस सारे मामले को री ओपन किया जाय और विपक्ष की बात सुनें। उसके बाद सदन को कान्फिडेन्स में लें और अध्यक्ष महोदय की सलाह से विचार कर उसके बाद जो फैसला करना है वह करें और उसकी घोषणा करें। इस तरह से मसले को हश अप करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि सदन की राय को न मानकर आप अधिकारियों की राय से या अपने पुराने घटक जनसंघ, आर. एस. एस. से प्रभावित होंगे तो हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्न हुआ था हाउस तो आपने कहा था कि 20 मिनट बैठकर हम विचार करेंगे और फैसला करेंगे। हमने इसी उद्देश्य से आपसे यह निवेदन किया···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हमारी बात सुन लें जो स्टेटमेण्ट दिया है वह बात वहां कही और यहां और बात कह दी···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं स्थान ग्रहण नहीं करूंगा और इसलिए नहीं करूंगा कि वहां पर उन्होंने दूसरी बात कही और यहां पर आकर दूसरी बात कह दी। हमने मांग रखी है और हमारा यह कहना है कि सदन की कमेटी रखें। उस मांग के पीछे हमारी यह भावना थी कि इस हाउस की एक कमेटी बना दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा है कि ऐसी कोई परम्परा नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि खाटू के अन्दर ऐसी ही घटना हुई थी। मुझे याद है कि आपने यह मांग की थी। आपकी मांग पर मैं भी वहां गया था, आप भी गये थे और कई एम.एल. एज. गये थे। वहां पर चैनाराम जी को सांसियों ने पीटा था लाठियों से, उसका किस्सा था। इस पर आपने कमेटी बनवाई थी उस कमेटी से जांच करवाई थी, आज हम यह कह रहे हैं कि अबोध बच्चों को गोलियों से भून दिया उसके बारे में कमेटी की बात मान लें तो आपने कहा कि मैं सोचूंगा, आपने कहा, हम आपस में बात करेंगे। आपने यहां आकर यह कह दिया, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करके बैठ गये हैं। यह आपने कोई मेहरबानी नहीं की है। वहां के हालात ऐसे हैं, वहां जुलूस निकल रहे हैं इसलिये आपने यह घोषणा की है। हमें यह जानकारी मिली है कि उस मजिस्ट्रेट से पहले से झगड़ा था। उस मजिस्ट्रेट को पहले छात्रों ने पीटा था। इसलिये छात्रों से मजिस्ट्रेट नाराज था। उसने पुलिस का सहारा लिया, उसने पुलिस को सिपाही देने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि हम डण्डे वाले भेजेंगे। लेकिन उसने कहा कि बन्दूकधारियों को भेजो। इसलिये वह बन्दूकधारियों को लेकर गया। वहां वह गया और उसने गोली चलवाई। चार आदमी मारे गये हैं। इसलिये हमारी मांग एक तो यह है कि मजिस्ट्रेट को सस्पेण्ड किया जाये। दूसरी मांग यह है कि वारदात में जो शामिल थे, जिन्होंने गोली चलाई, उनको सस्पेन्ड करो। हाउस के सदस्यों को विश्वास में लो। छात्रों के साथ में अन्याय किया है। यह

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बात मानेंगे, तभी हम सन्तोष प्रकट करेंगे। वरना यह कह दिया कि जुडिशियल इन्क्वायरी की मंजूरी दे दी है तो यह तो देनी ही थी। नहीं देते तो गड़बड़ हो जाती। पहली बात तो यह है कि मजिस्ट्रेट को सस्पेन्ड किया जाये। छात्रों से मजिस्ट्रेट का पहले झगड़ा हुआ है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, उसने छात्रों पर जम कर जुर्माना किया है। जब जम कर जुर्माना किया तो यह झगड़ा हुआ है। उसकी आप जांच कराना चाहते हैं? अन्याय हुआ है तो आप मेरी बात मानें। मजिस्ट्रेट को तुरन्त सस्पेन्ड करते हुए इन्क्वायरी करायें। लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न आ जाता है तो वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट है। वह चाहे कोई हो, अगर उसने कुछ किया है, तो वह सस्पेन्ड होना चाहिये। आपके सामने यह तथ्य है कि मजिस्ट्रेट से लड़कों का पहले झगड़ा हुआ था। उसने जान बूझकर गोलीधारी सिपाहियों को साथ लिया है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी, और गृह मन्त्री जी, आपसे भी यह निवेदन करूंगा कि आप इस तरह से इस मामले को लेकर चलेंगे तो निश्चित मानिये आपका ही नहीं हम सब का काला मुंह हो जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : आपका तो पहले ही हुआ हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मजिस्ट्रेट को सस्पेन्ड कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिन लोगों ने गोली चलाई है, जो अमला है, सबको सस्पेन्ड कीजिये। जो मृत हुए हैं उनके परिवारों को और जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बोलिए, बोलिए।

श्री खेतसिंह राठौड : जांच कमेटी बनाकर उसकी मार्फत जांच कराइये तो सही तथ्य मालूम होंगे।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : हां, हां, बोलिए, बोलिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। अब इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मेरा सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : कोई सुझाव नहीं होगा। माननीय जोशी जी के सुझाव के अनुसार

(श्री अध्यक्ष)
मैंने सदन की कार्यवाही स्थगित की थी। यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यही मर्यादा है कि आप बोलने नहीं देते हैं? आप कहते हैं, इन्क्वायरी करायेंगे। हम यह एग्री करें कि सदन के जो माननीय सदस्य हैं, वह फाईडिंग्स करते हैं तो क्या वह इन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : यह सरकार को निर्णय करना है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी। मैं प्रिजूडिस नहीं कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आपको कहना है, वह कह दें।

श्री मदनसिंह दांता : मैं एक अर्ज करता हूं। आप जुडिशियल इन्क्वायरी इंसीडेन्ट्स के बारे में बैठा रहे हैं। आप बोल सकते हैं, आपकी मांग है, वह भी पूरी कर दें। जैसा कि आप इन्दिरा जी के जमाने में करते थे।

(व्यवधान)

आप जा सकते हैं और फाईडिंग्स कर सकते हैं। आज हम को रोकता कौन है? आप लिखाकर ले जाइये, मोर छाप। आप को रोकेंगे नहीं। आपको पीटेंगे नहीं। आप इतने कमजोर हैं। आप अन्याय करना चाहते हैं तो कर दीजिए।

(व्यवधान)

आप कह दीजिए। आप जा सकते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर मुख्य मंत्री जी ने कई गड़बड़ी कर दीं। पहले कहा, स्टेटमेन्ट देना चाहते हैं। उसके बाद विरोधी पक्ष से बात करने के लिए कहा। आपने 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया। पर उसका नतीजा कोई नहीं निकला। माननीय मुख्य मन्त्री जी मन में पहले ही बनाये बैठे थे। वह चाहते थे कि माननीय सदस्यों को कान्फिडेन्स में नहीं लिया जाये। जो रिपोर्ट है उसको छुपा जाना चाहते हैं। यह साबित है कि रिपोर्ट दी है। आपके माध्यम से आपने यहां कहा है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्य मंत्री जी हश अप करना चाहते हैं। अगर हश अप नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं? वह दिल खोलकर कहें कि ऐसा नहीं करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि यह जनतन्त्र का मामला है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में उनको सोचना चाहिये। ऐसे छोटे-छोटे काण्ड आयन्दा भी हुए हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पर मांगों के सहारे चार-पांच घण्टे विचार किया है। जनता पार्टी के शासन में यह गोलीकांड हुआ है। इसमें लोग मरे हैं और घायल हुए हैं। आज मुख्य मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि हम इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करना चाहते हैं। आप करायें हमें एतराज नहीं है। आप इतना क्यों घबराते हैं? उनकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है। आप सदन को कान्फिडेन्स

Page No. 58

(58)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

में क्यों नहीं लेना चाहते हैं ? क्या भैरोंसिंह जी साहब, आप खुद वहां जाकर कोई रिपोर्ट देंगे । जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देगा जुडिशियरी की

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रिपोर्ट होगी। क्या आप इसको बदल देंगे ? जो लॉ एण्ड ऑर्डर की रिपोर्ट आती रही है, वह आपको देनी पड़ेगी । इसलिए, मुख्य मंत्री जी, आप इसके ऊपर इतना रिजिड नहीं हों। आपको भी वेदना है और हमको भी वेदना है । आप व्यथित भी हैं और उनके लिए कोई मुआवजे की बात भी नहीं कहना चाहते। आप जानकारी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या एतराज है ? माननीय मुख्य मंत्री जी, इससे कोई काम नहीं चलेगा। हर बात में परम्परा की बात कहते रहते है। कोई परम्परा आपने डाली नहीं । अगर डाली हुई हो तो आप उसको भूल जाते हैं । इन सब बातों से काम चलने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि हाथ उठाने वाले लोग ज्यादा तादाद में रहें तो गैर कानूनी मसले को भी निवटा लेंगे। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह कोई और सवाल नहीं है, यह मानवता का सवाल है, यह निरीह बच्चों का सवाल है। अगर आपने सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो हो सकता है कि यह बातें राजस्थान में बढ़ती जायें । हम नित्य प्रति देखते हैं, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी या उदयपुर यूनिवर्सिटी हो सभी जगह इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अगर आप समय रहते सचेत नहीं हुए तो इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे । इसलिए जो कुछ हम कह रहे हैं इसको ऐसा मत सोचिए। आप सोचते हैं कि · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पंचों का हुक्म तो सर माथे पर, पर परनाला यहीं गिरेगा । अगर ऐसा है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जो कह रहे हैं इसमें वजन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं माइनोरिटी का आदमी हूं, गोली से मुझको बहुत डर लगता है । मेरे इलाके में कौन जीता और कौन हारा, मैं इससे चिन्तित नहीं मैं इस गोली काण्ड से बहुत चिन्तित हूं । यह मेहरबानी थी कि हम बच गये थे, हमारे साथ भी खानों के मामले में यही होने वाला था । पहली बात तो यह है कि सरकार ने जांच का माध्यम निकाला कि हम जुडिशियरी द्वारा जांच करायेंगे। यह भी एक तरीका है, ठीक बात है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि क्या बारां और कोटा डिवीजन में राजस्थान के मुख्य मंत्री का राज रह गया है ? आप कहते हैं कि अभी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और वहां के डी.आई.जी. की रिपोर्ट आनी बाकी है। इससे यह जाहिर होता है कि वहां पर शेखावत गवर्नमेन्ट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूं कि · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं चिन्तित हूं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री अब्दुल अजीज : × × ×

श्री अध्यक्ष : इसकी भी कोई हद होती है। सीमा का उल्लंघन होता है, आप सहयोग नहीं देते हैं तो····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आपाधापी की पराकाष्ठा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा था और आपने आदेश दिया था कि ट्रेजरी बैन्वेज के और विरोधी पक्ष के लोग बैठकर आपस में बात कर लें और मुख्य मंत्री जी ने कहा, वे जो कहेंगे, उसका आपस मे बात करके फैसला कर लेंगे। शायद मैं सही कह रहा हूं यह बात हुई थी। होना यह चाहिये था कि लीडर ऑफ दी हाउस के नाते मुख्य मंत्री जी यहां अनाउन्समेंट करते कि बातचीत ठीक रही या नहीं रही। ऐसा नहीं करके, जैसा कि आपने देखा, एक सैन्टेन्स में राज्य सरकार का निर्णय यहां पर घोषित किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बातचीत कुछ इस ढंग की रही कि दोनों पक्षों की सहमति मुद्दे पर नहीं हुई। अब प्रश्न यह है कि राज्य सरकार क्या कहती है और विरोधी पक्ष क्या कहता है? राज्य सरकार ने यह कहा कि जैसी कि खबर आई, गवर्नमेंट स्टेटमेंट देना चाहती थी मगर अपोजीशन ने इस इश्यू को उठा दिया, इसलिए हमने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने यह भी राज्य सरकार की ओर से कहा कि हम चाहते हैं कि यदि विरोधी पक्ष सहमत हो तो राजस्थान हाई कोर्ट के किसी जज के द्वारा इस काण्ड की जांच करा ली जाय।। मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा कि उन्हें इसकी पीड़ा है और वे बहुत दुखी हैं····

श्री रघुनाथ विश्नोई : उससे ज्यादा दुखी है।

श्री हरिदेव जोशी : और वे यह नहीं सोच पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस मामले को निपटाया जाय। जो आखिरी बात उन्होंने कही है वह एक इमोशनल आस्पेक्ट है इस एपीसोड का। हमें मुख्य मन्त्रीजी की कठिनाई में कोई अविश्वास नहीं है, क्योंकि कोई भी मुख्य मन्त्री यह नहीं चाहेगा कि उनके शासन काल में गोली चले। कठिन से कठिन स्थिति में भी किसी तरह से काम निकल जाय और गोली नहीं चलानी पड़े यह कोशिश की जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विशेषकर जब विधान सभा चल रही हो।

श्री हरिदेव जोशी : और उसके बावजूद भी गोली चलानी पड़े तो प्रशासन परेशानी फील करता है इसलिये मुख्य मंत्री जी को जो कठिनाई है इससे कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। प्रश्न यह है कि इस सदन के विरोधी पक्ष की एक जिम्मेदारी है। विरोधी पक्ष को वह जिम्मेदारी निभानी चाहिये अथवा नहीं? प्रशासन के सर्वोच्च आसन पर बैठकर मुख्य

× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

मंत्री का जो ग्राबलीगेशन है सदन के प्रति, उसे उन्हें पूरा करना चाहिये ग्रथवा नहीं ? यदि विरोधी पक्ष यह महसूस करे कि प्रशासनिक मशीनरी शासन के सर्वोच्च व्यक्तियों को ग्रंधकार में रख रही है तो उसको इस बात को कहने का ग्रधिकार है ग्रथवा नहीं ? ग्रध्यक्ष महोदय, मुख्य मत्री को एम्ब्रेस नहीं करने के लिये मैने राष्ट्रदूत में दिया हुग्रा श्री देवीदत्त गाड़िया का वक्तव्य नहीं पढ़ा। उन्होंने ग्रपने स्टेटमेंट में यह कहा है ग्रौर टेलीफोन करके यहां पर ग्रखबार को सूचित किया है कि पुलिस ने भागते हुए लोगों की पीठों पर गोलिया मारी हैं। उन लोगों का पोस्ट मार्टम हुग्रा है। हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि गोली ग्रागे लगी या पीछे का····

(व्यवधान)

ग्रगर ग्राप इस पर खुशी जाहिर करते हैं तो मुझे एतराज नहीं क्योंकि ग्राप मंत्री हैं। मेरे तो बायें हाथ में लगी थी लेकिन ग्रापके सीने में लगेगी।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री हरिदेव जोशी : ग्राप ग्रगर ग्राज मजाक उड़ाना चाहते है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ग्रगर ग्राप खुशी जाहिर करते हैं ग्रौर मुख्य मंत्रीजी, ग्रापकी पार्टी ग्रगर इस पर गर्व ग्रनुभव कर सकती है तो मुझे एतराज नहीं क्योंकि जो तथ्य हैं उसको मैं नहीं छिपा रहा हूं।

सवाल यह है, गाड़िया ने कहा है कि भागते हुए लोगों पर गोली चलाई गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ज्यादती की है। मैं पूछना चाहता हूं कि राइफल वाले दो ग्रादमी ही क्यों गए ? यहां पर गृह ग्रायुक्त बैठे हुए है, ग्राई. जी. बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि मिनिमम कितने सिपाही भेजे जाते हैं ? मेरी जानकारी है कि प्लेटून से कम सिपाही नहीं भेजे जाते। फिर बाकी सारे डंडे वाले गए ग्रौर राइफल वाले केवल दो क्यों गए ? किस ने ग्रादेश दिया ? मुझे ऐसा लगता है, मुख्य मंत्रीजी, जो कुछ जानकारी ग्रापको ग्रधिकारियों ने दी है वह सही नहीं है। क्या मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दबाया है दो सिपाहियों को भेजने के लिये ? मैं जानना चाहता हूं कि बारां में यह ग्राम जानकारी थी कि जो लड़के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वे स्कूल व कालेजों में पढ़ने के लिये बगैर टिकट के ग्राते हैं। तो क्या यह ऐसा विषय था जो राइफल्स के जरिये ही निपटाया जा सकता था ? क्या इसको छात्रों की यूनियन के जरिये नहीं निपटाया जा सकता था ? क्या इसके लिये जिलाधीश ने, एस.डी.एम. ने ग्रौर दूसरे ग्रधिकारियों ने कुछ करने की कोशिश की ? मैं कोई इधर उधर की बात कहकर किसी को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता। यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर जेल में जुडिशियल लाक ग्रप में ग्रथवा पुलिस लाक ग्रप में विद्यार्थियों को मैलट्रीट किया। मैलट्रीट करने के बाद में ग्राज तक कोई जुडिशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं की गई ? मेरे मन में प्रोफेसर केदार के प्रति एक सम्मान है, वह ग्राजादी से पहले के एक कार्यकर्त्ता हैं। उन्होंने इस देश के सामन्तवाद के खिलाफ ग्रौर ग्रंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ग्रपना योगदान दिया है। मुझे ग्राश्चर्य होता है···

श्री मदनसिंह दाता : मजिस्ट्रेट तो सामन्ती नहीं था ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तथ्य जानने के बाद में, इस तथ्य को सही स्वीकार करने के बाद में, विद्यार्थियों के जुलूस को, उनके एक्शन को वाजिब मानकर प्रोफेसर केदार यहां पर आकर मन्त्रिमण्डल के समक्ष कहते हैं कि क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने विद्यार्थियों की गुदा में लकड़ी डाली ? प्रेस में कहा है कि विद्यार्थियों ने रेल के इंजन को नहीं धकेला। इसके बावजूद भी प्रोफेसर केदार यहां से गंगानगर जाते हैं उनके जलसे में शरीक होते हैं। अजीब एनामोली है, प्रोफेसर केदार सही हैं अथवा वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज सही हैं ? इसलिए मन को पीड़ा होती है कि गाडिया जी ने एक बात कही और दूसरे दूसरी बात कहते हैं। गाडिया जी ने कहा कि भागते हुए लड़कों पर गोली चलाई। पोस्ट मार्टम हो गया है। फिर भी आप यह नहीं कहना चाहते कि क्या तथ्य रहे हैं ? गाडिया ने कहा है कि आग पुलिस वालों ने लगाई है।

इसलिए इस सदन की फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी की बात कही गई है। जुडिशियल इन्क्वायरी का रिजल्ट तो साल भर बाद में आएगा। अध्यक्ष महोदय, आप चलिए, मुख्य मंत्री और विरोधी पक्ष के नेता और जितनी पार्टीज के लीडर्स हैं उनको साथ में लीजिए। यदि आप सैटिसफाई हो जायें कि पुलिस की ज्यादती नहीं थी, तो सदन क्या करेगा ? मगर हकीकत यह है कि प्रोफेसर केदार सैटिसफाई हो जायें तो भी पुलिस को सजा नहीं दी जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा : इग्नोर करते हैं प्रोफेसर केदार को। मन्त्री की बात नहीं मानें तो वह क्या करें ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री को अपने एडवाइजर्स को किसी न किसी समय पर इग्नोर करना ही पड़ेगा। यह एप्रोप्रियेट क्षण है कि वह उनकी एडवाइस को इग्नोर करें। इससे वे हमारा सम्मान पायेंगे, आम जनता का सम्मान पायेंगे। खेतसिंह जी ने यहां पर कहा है कि मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया जाना चाहिये और जो लोग मौके पर थे उनको सस्पेंड किया जाना चाहिये। अगर मुख्य मंत्रीजी यह समझते हैं कि मजिस्ट्रेट और विद्यार्थियों के बीच में अच्छा वातावरण नहीं था और अगर मुख्य मंत्री को यह इत्तला मिली है कि जो वहां पर व्यवस्था थी, वह अव्यवस्था थी तो यह सोचने की बात है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पर होता है कि जिलाधीश ने 30 घण्टे बीतने के बावजूद अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। इतना बड़ा कांड हो गया और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज रात को सूचना नहीं देते हैं। यह तो एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति है। क्या यह सही है कि इत्तला आई है ? अगर आई है तो इस सदन को जानकारी मिलनी चाहिये। अगर आपस में बातचीत करने का मतलब यह है कि जो आप कहें उसको हां, कह दें तो मैं कहता हूं कि यह बात गले नहीं उतर रही है, इसलिये गले नहीं उतर रही है कि आपने तो अपनी तरफ से सुओमोटो फैसला कर दिया है कि हम भी इसमें एक पार्टी हैं। तो अगर आप हमको पार्टी बनाना चाहते हैं और हमें कान्फीडेन्स में लेकर फैसला करना चाहते हैं

(श्री हरिदेव जोशी)

तो मेरा फैसला यह है कि हम पार्टी नहीं बनना चाहते। आपकी मर्जी है जो आप कर लीजिये मगर आप यह न कहें कि मैंने विरोधी पक्ष को कान्फिडेन्स में लिया था और विरोधी पक्ष भी इस बात से सहमत था इसलिये यह है। उस स्थिति में आप अपनी बात कहते रहेंगे। हम जानते हैं कि 200 के सदन में विरोधी पक्ष के 50 भी नहीं हैं। आज आप इस स्थिति में हैं कि आपका जो भी मोशन होगा वह पास होगा, जो भी रिजोल्यूशन आप रखेंगे वह पास होगा। मगर क्योंकि आप हमें पार्टी बनाना चाहते हैं इसलिये हम पार्टी नहीं बनना चाहते। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी पक्ष में सभी पार्टीज हैं और जो मांग उनकी है मैं भी उसको पुरजोर शब्दों में रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी आत्मा भी कचोटती होगी, आपको भी लगता होगा कि यह ऐसा क्षण है। अध्यक्ष महोदय, आज परसराम जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप पिछले 25 वर्षों तक उसी कुर्सी पर बैठते आये थे और वहां बैठकर आपने इस बात का प्रयत्न किया कि शासक दल विरोधी पक्ष को संतुष्ट करे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यहां श्री भैरोंसिंह जी से पर्सनल अपील करता हूं कि वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनावें। मैं ट्रेजरी बैन्चेज से अपील करता हूं कि वह इसे गवर्नमेन्ट के नीचे देखने और ऊपर देखने और इज्जत आने और इज्जत जाने की बात नहीं बनायें बल्कि यह समझें कि वह तीन करोड़ जनता को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। अगर आप आम लोगों को साथ में लेना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान की जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो राजस्थान की जनता सदन के पूरे 200 सदस्यों को मिलाकर होगी। राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्य जब तक प्रश्न के ऊपर एकमत नहीं होते हैं तब तक निश्चयात्मक रूप से राजस्थान की जनता की आवाज एक आवाज नहीं मानी जा सकती। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि जो विद्यार्थी मरे वह विद्यार्थी कोई आपके विरोधी नहीं थे, वह हमारे रिश्तेदार नहीं थे। वह आपके और हमारे बच्चे थे। उन सबके प्रति भी एक प्रकार से सहानुभूति प्रदर्शित करने का तरीका दो हजार या पांच हजार रुपया ग्रान्ट के रूप में दे देना नहीं है। मगर रोते हुए आदमी को विश्वास दिलाना है कि तुम्हारे प्रति न्याय होगा। जब हम यह बात कहते हैं तो हमारे मन में भी कांटा रह जायेगा कि आपने हमारी बात नहीं मानी।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। मुख्य मंत्री जी, दो मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में पहले हमने निवेदन किया था कि जांच होनी चाहिए। जो आपने सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया उसमें बहुत सी बातें ऐसी थीं कि जिनको आप कहने में असमर्थ थे। आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं आई, टेलीफोन में घरघराहट ज्यादा थी इसलिए सारी बातें समझ में नहीं आईं। मेरा कहना यह है कि जांच होकर जल्दी रिपोर्ट सामने आ जाय। विरोधी पक्ष की बात आप भले ही नहीं मानें, आपके दल की ओर से भी लोगों की तमन्ना है कि जांच होकर जल्दी उसकी रिपोर्ट सामने आ जाये। आप चाहते हैं कि न्यायाधीश से जांच हो

(श्री गुरा)

तो आपको मेरा निवेदन है कि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जांच करवा लें ताकि जल्दी से जल्दी उसके नतीजे सामने आ जायें। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी ।

जो दुखद काण्ड हुआ उसके बारे में निवेदन करूंगा कि आप निर्णय लेकर एक कमेटी बनायें । चित्तौड़ की घटना घटी थी उसके सम्बन्ध में आपने कहा था कि सभी बैठकर बात करेंगे लेकिन उस समय भी साथ बैठकर बात नहीं हुई । मैं नहीं समझता कि आप बात नहीं करना चाहते । हो सकता है कि आपको फुर्सत नहीं मिली हो । आज सारे सदन के सामने बराबर यह बात आई है इसलिए आप पहल करें और एक नया मार्ग खोलें ताकि जल्दी जांच होकर रिपोर्ट आपके सामने आ जाये । आपने स्टेटमेंट दिया वह साफ नहीं है । इसमें ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है । आप सदस्यों को भेजकर जांच कराकर रिपोर्ट दें । मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष के ही नहीं बल्कि आपके पक्ष के लोगों की भी आप बात मानें । मैं मांग करूंगा कि इस बात को समाप्त करें । कमेटी मौके पर जाये और सदन को अवगत कराये ताकि साफ तौर पर मालूम हो सके कि अधिकारियों की गलती है या किसकी है । बिना नकेल का ऊंट चलता है उसी तरह से पुलिस ने चलाकर लोगों पर हमला किया है । जो समाचार मिले हैं उस आधार पर कह रहा हूं इसलिए आप नया मार्गदर्शन करें । जो काण्ड हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए । जो विरोधी पक्ष की तरफ से बात उठी है उसके आधार पर आप कमेटी बनाकर जल्दी फैसला करायें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तर्कसंगत बात को इस सदन के नेता और मुख्य मंत्री जी ने, हमें विश्वास में लेने की बात कही तो विश्वास में लेने का प्रश्न तो बहुत दूर की बात है उन्होंने तो हमारी मांग को ठुकरा दिया है । इस प्रकार का उन्होंने प्रदर्शन किया है कि निरंकुश अधिनायकवाद की पराकाष्ठा हो गयी है . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इमर्जेन्सी से भी ज्यादा हो गयी ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि विरोधी दल के नेता को अधिनायकवाद शब्द याद आने लग गया ।

श्री मूलचन्द डागा : आप में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति आ गयी इसलिए याद आया ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो अधिनायकवाद से लड़ता रहा हूं । मुख्य मंत्री जी, जिस तरह का अधिनायकवाद आप थोप रहे हैं उसकी वजह से राजस्थान के लोगों और विद्यार्थियों में बहुत बड़ा असन्तोष है ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी मौजूद थे, गृह मंत्री जी मौजूद थे इनकी नाक के नीचे किसानों का इतना बड़ा पहला जलसा हुआ था उस पर लाठी चार्ज हुआ था, उसके लिये कहा था कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए । उसको इन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि किसानों में दहशत डालना चाहते हैं । दूसरे यह जो घटना हुई है इससे विद्यार्थियों में दहशत डालना चाहते हैं । जो तथ्य सदन के सामने रखे गये हैं वह यह हैं कि मजिस्ट्रेट और विद्यार्थियों के बीच में लम्बे अर्से से मनमुटाव चल रही थी

(श्री परसराम मदेरणा)

तथ्य यह सदन में आये हैं कि मजिस्ट्रेट ने आर्म्ड पुलिस की स्पेशल मांग की थी क्योंकि विद्यार्थियों को सबक सिखाना चाहता था। चीन तो हमको सबक सिखा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को सबक सिखाने वाली यह घटना राजस्थान के इतिहास के अन्दर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो मांग थी हर प्रकार से उसका औचित्य है। अगर कुछ लोगों की पिटाई भैंस की चोरी के मामले के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी, विरोधी पक्ष की मांग के ऊपर कांग्रेस सरकार झुक सकती थी, प्रतिपक्ष की राय को एक सम्मान और वजन दे सकती थी तो फिर इस मांग को मुख्य मंत्री क्यों नहीं सम्मान और वजन देना चाहते हैं? जैसा कि अभी, अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने कहा कि जनता पार्टी के सदस्य, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य यह बयान देते हैं कि गोली भागते हुए उनकी पीठ पर लगाई गई है क्योंकि मजिस्ट्रेट के साथ में उनकी रंजिश थी। जैसा शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह तथ्य हमारे सामने आये हैं कि उन्होंने पुलिस की मांग की कि मेरे साथ राइफल वाली पुलिस चलनी चाहिये। उन्होंने कोर्ट लगाई। कोर्ट के अन्दर उन्होंने बच्चों, जो अर्निंग मैम्बर नहीं हैं, जो माता-पिता और अभिभावकों के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, के ऊपर भारी जुर्माने किये। उनका एक ही रिजाल्व था कि छात्रों को जेलों के सींखचों में बन्द किया जाये और सबक सिखाया जाये। अगर इस प्रकार की कार्यवाही थी तो, अध्यक्ष महोदय, फिर प्रतिपक्ष की यह मांग है कि मजिस्ट्रेट और जितना भी पुलिस का अमला था, जिन्होंने गैर कानूनी कार्यवाही की है जिन्होंने खुद ने मर्डर किया है, जो 302 के दोषी हैं, उन को अन्डर सस्पेन्शन प्लेस किया जाये। यह पहली मांग थी।

दूसरी मांग यह थी कि इस छोटे मामले के अन्दर इस सदन की कमेटी फैक्ट फाईंडिंग कर सकती है। सभी सदन के सार्वभौम होने की बात करते हैं, सदन के सुप्रीम होने की बात करते हैं। राजस्थान की 3 करोड जनता की यह एक मात्र आगस्ट बाडी है, इस प्रकार की दुहाई देते हैं। कल मुख्य मंत्री जी लोकतंत्रीय परम्पराओं और लोकतंत्र की मान्यताओं की दुहाई दे रहे थे तो ऐसे मौके पर, जबकि ऐसे फैक्ट्स सामने आए हैं, हमारी यह मांग है और प्रतिपक्ष की सभी पालिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मत मांग है कि इस सदन की एक कमेटी गठित की जाये और सदन की कमेटी फैक्ट्स फाईंडिंग करे। अगर सदन की कमेटी फैक्ट्स फाईंडिंग नहीं करेगी तो निश्चित रूप से फैक्ट्स बदले जायेंगे। जिस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है उसमें न तो विद्यार्थी पक्ष को संतोष होगा और न ही सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास में लिया जा सकेगा। प्रतिपक्ष का यह कर्त्तव्य है कि जनता को सजग करता रहे कि यह सरकार बहुमत के आधार पर हमारी मांग को ठुकरा रही है, निहत्थे बच्चों पर गोली चला रही है। जुडिशियल इन्क्वायरी की बात जो कही है उसमें हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जो फैक्ट्स आये हैं। उन फैक्ट्स को देखते हुए भी मुख्य मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा, ने जांच की बात को इतनी जल्दी शिफ्ट किया है कि शायद गोरिल्ला

(श्री परसराम मदेरणा)

भी नहीं करता, जो चाइना में फेल हो गये हैं। इसके बाद आपने कान्फिडेन्स की बात की। यहां मांग की, अध्यक्ष महोदय, रूबरू बात हो। आपके चेम्बर में आया, आपने कहा अभी आने वाले होंगे। जब मालुम हुआ दूसरी जगह हैं, तो मुख्य मंत्री जी से बात करने के लिये वहां चला गया। मुख्य मंत्री जी जब सदन में आये कहने को, तो उन्होंने सब बातें कही हैं, मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने तो गोली चलाई नहीं, वे स्टेट के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और संसदीय लोकतंत्र में इस हाउस के प्रति उत्तरदायी हैं लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाई है, उन दोषी को बचाना नहीं चाहते हैं। अभी दांतारामगढ़ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि फैक्ट्स फाइंडिंग करना है तो सस्पेन्शन क्यों हो। चोपडा काण्ड में टेलीफोन पर, जब इन्फार्मेशन आ गई तो सस्पेंड किया। जब ऐसे फैक्ट्स सामने आ गये हैं जिनसे यह बात साबित हो रही थी कि मजिस्ट्रेट ने प्रिजुडिस होने के बाद आर्म्ड पुलिस की स्पेसिफिक मांग की। उनके कहने पर पुलिस राइफल वाली अवेलेबल की गई। कोर्ट लगाकर विद्यार्थियों पर भारी जुर्माने किये गये, जिसको पे करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। गल्ती खुद की है कि समस्या का समाधान करते नहीं। उसके बाद में जुडिशियल इन्क्वायरी की लीपापोती वाली बात उन्होंने कही है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हाउस को कान्फिडेन्स में लेकर चलना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी कह तो रहे थे लेकिन कुछ-कुछ जो दृष्टिगोचर हो रहा था वह निश्चित रूप से कुछ और था। उन्हें करना यह था कि सदन में आये तब यह बताते कि क्या बातचीत हुई लेकिन कोई उल्लेख नहीं। एक सैकिण्ड के अन्दर जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कह दी। जुडिशियल इन्क्वायरी की तो प्रारम्भ से ही हमारी मांग नहीं थी। हमारी मांग सदन की कमेटी की थी। सदन की कमेटी की मांग जब तक नहीं मानेंगे, प्रतिपक्ष अपने उत्तरदायित्व को निभायेगा। विद्यार्थियों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया गया है उससे विद्यार्थी पक्ष में असंतोष है। हमारी मांग है कि सदन की कमेटी बनाई जाये। साथ ही जो लोग दोषी हैं, मजिस्ट्रेट और दूसरे, उनको सस्पेण्ड किया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिन मामलों को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी, सदन के स्थगित होने के साथ ही मैंने विरोधी दल के माननीय नेता से उनके बारे में बातचीत की। बातचीत में मेरा विश्वास है कि विरोधी दल के नेता इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि मेरे पास जितनी भी जानकारी थी वह सारी जानकारी बिना संकोच के मैंने उनके सामने, जोशी जी के सामने, खेतसिह जी के सामने और बाकी के माननीय सदस्य जो उपस्थित थे उनके सामने रखी। तो सबसे पहले मैं इस बात से इन्कार करना चाहता हूं कि मैंने सदन से कोई भी तथ्य छुपाये। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वह जानकारी मैंने सदन को दी। वह जानकारी विरोधी दल के नेता को भी दी। उनका यह मत था कि कमेटी नियुक्त होनी चाहिये। मेरी अपनी मान्यता है कि बारां के सारे छात्र, कोटा के छात्र, बूंदी के छात्र ये सब मांग कर रहे हैं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आता····

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका सबूत क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं छात्रों की मांग को मंजूर करूं या विरोधी दल के नेता महोदय की बात को मंजूर करूं····

(व्यवधान)

मैं आपके भाषण के बीच में बोला नहीं हूं, आप भी शान्ति से सुनिये। छात्र मांग कर रहे हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और विरोधी दल के नेता छात्रों की मांग का विरोध कर रहे हैं।

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) : विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या कर रहे हैं ? अब क्वेश्चन इतना सा है कि अगर एक शिकायत हो सकती है उस शिकायत के लिए मैं अपने आपको दोषी भी मान सकता हूं सदन के सामने अपना दोष स्वीकार करने में कोई कमजोरी नहीं है, मैं दोष स्वीकार करता हूं। वह दोष यह है कि मैंने पहले घोषणा कर दी जुडिशियल इन्क्वायरी की। यह मांग आपकी तरफ से नहीं आई। मैं इन्कार करता जाता, इन्कार करता जाता तो आपकी तरफ से यह मांग आती कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए सरकार पहले यह कहती कि कोई जांच नहीं करेंगे, कोई जांच नहीं करेंगे। विरोधी दल मांग करता कि जांच होनी चाहिए। इसके बाद मैं कहता कि सैशन जज से जांच कराऊंगा। तब विरोधी दल कहता, नहीं हाई कोर्ट के किसी जज से जांच होनी चाहिये। मैं इसके लिए थोड़ी बहुत रेसिस्टेन्स दिखाता। शायद आपको याद होगा सबसे पहले बोले माननीय रघुनाथ जी और उन्होंने कहा न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ी सी शुरुआत हुई और आप बहादुरी से बैक आउट कर गये अपनी बात को। दूसरी तरफ से मांग आई कि पांच आदमियों की कमेटी बननी चाहिए तब फिर विरोधी दल के नेता की समस्या हो गयी कि सारे हाउस को कान्फिडेन्स में लेना है तो हमें ऐसी बात की मांग करनी चाहिए। मैं समझता हूं माननीय परसराम जी काफी रीजनेबल हैं, मेरी मान्यता शुरू से ही रही है। कोई इन्डिपेन्डेन्ट बात होती तो उनकी मांग यह आती कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक वातावरण बन गया और जब उस वातावरण से निकालना मुश्किल हो गया। यह बात आ गई कि पांच सदस्यों की कमेटी होनी चाहिये। जो सदन में अन्य माननीय सदस्यों ने तथ्य रखे हैं और भी तथ्य सामने आये हैं उनकी जांच मैं नहीं करूंगा, जांच सम्पतराम जी नहीं करेंगे, जांच आई. जी. नहीं करेंगे, जांच राजस्थान उच्च न्यायालय का जज करेगा। हाई कोर्ट का जज इन तथ्यों का निराकरण करेगा कि किसने गोली चलाई, और किसने नहीं चलाई किसके चोट लगी और किसके चोट नहीं लगी, बन्दूक किस जगह लगी और किस जगह नहीं लगी। हम कोई छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो तथ्य छिप नहीं सकते हैं उनको छिपाने से कोई लाभ नहीं है।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जो बता गये हैं, मैंने उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

रवाना कर दें। आप देखना चाहें तो उसमें भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मैं खुले दिल से कह रहा हूं कि कोई दोषी बचे, यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए जांच की बात कही है। आज जोशीजी भी कहने लगे, मैं समझता हूं उनको कहने मे पहले थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिये। वे कहते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सस्पेन्ड कर दिया जाय। अब मेरे हाथ में उनका सस्पेन्शन तो है नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा यह कर सकता हूं कि जो कुछ तथ्य आये हैं वे सब मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दूं। फैसला उनको करना है कि वे सस्पेन्ड करें या नहीं करें। अब बाकी बचते हैं दो पुलिस के सिपाही···

(व्यवधान)

यदि सारे विरोधी दल का जोर इन दो पुलिस के सिपाहियों के लिये ही है तो बात अलग हो जाती है। मजिस्ट्रेट के लिये मैंने कह दिया मैं उनको सस्पेन्ड नहीं कर सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा हाई कोट को लिख सकता हूं। अब केवल दो पुलिस के सिपाहियों को सस्पेन्ड कराने पर आपका जोर है तो मुझे यह भी जानकारी करनी होगी कि उन्होने मजिस्ट्रेट के कहने से गोली चलाई है या क्या है उसके लिये वे कितने दोषी हैं या नहीं हैं? यह भी देखना होगा। आज सस्पेन्ड कर दें तो आपको भी यह लगेगा कि यह अधिनायकवाद कैसे आ रहा है? जोशी जी जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की बात कह रहे थे और लोकतांत्रिक परम्पराओं की बात कह रहे थे। जोशी जी, दो साल पहले हरिपुरा में नसबन्दी नहीं कराई तो क्या आपने जांच कराई थी? नसबन्दी नहीं कराई तो···

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अगर आपकी यह मान्यता कि उस समय जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं कराई तो आज भी नहीं होनी चाहिये तो मुझे फिर इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपके विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तब हम तो चुप बैठे थे। अब मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं तो आप बीच-बीच में बोल रहे हैं···

(व्यवधान)

इसी तरह आपको भी सुनना पड़ेगा। चार घंटे हो गये आपको बोलते-बोलते।

श्री हरिदेव जोशी : आखिर आपने कोई बात कही है तो उसको भी सुन लीजिये। अगर आप यह समझते हैं कि पहले गोली चली और जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं हुई तो आज होनी चाहिये तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि पहले जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं हुई तो अब भी नहीं होनी चाहिये। मैंने तो इसके विपरीत कहा है, पहले जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं हुई और मैंने कराई है। पहले सारे सदन में और सदन के बाहर भी मांग होती थी और मांग के ऊपर भी जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होती थी। मैंने दोष तो यही किया है कि आपके कहे बिना ही जुडिशियल इन्क्वायरी करा दी। केवल यह गलती की है··

(व्यवधान)

आप विराजें।

Page No. 68

68

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह निवेदन कर रहा था अब, अध्यक्ष महोदय, सारे तथ्यों की वास्तविकता आपके सामने आ गई। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। जो तथ्य मेरे सामने आये हैं उनके आधार पर मैंने जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी है। सदन को इस बात के लिये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो इन्क्वायरी में दोषी पाये जायेंगे अगर हाई कोर्ट को सस्पेन्ड करने का अधिकार है तो मैं भी निश्चित रूप से हाई कोर्ट को लिखूंगा। मुझे सदन से कोई तथ्य नहीं छिपाने हैं और न मेरा कोई गुनाहगार को बचाने का दृष्टिकोण है। लेकिन भगवान के नाम पर जो छात्र मांग कर रहे हैं उसका आप विरोध मत करिये।

श्री हरिदेव जोशी : छात्रों की मांग का विरोध नहीं किया है....

श्री सूरज पाल सिंह : आप तो लीपा-पोती की बात कर रहे है...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : छात्रों की कौन सी मांग का हमने विरोध किया है। कोटा कालेज के छात्रों ने क्या मांग की है?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं...

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोधी दल में क्षमता होनी चाहिए बात सुनने की....

श्री परसराम मदेरणा : आप अपनी फैक्ट्री में जो कुछ चीजें गढ़ते हैं उनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। मैंने कभी भी छात्रों की मांगों का विरोध नहीं किया है। छात्रों के साथ जो होनस क्राइम कमिट किया गया है उसके सही तथ्य और सच्चाई सदन में आनी चाहिए इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सदन की कमेटी बिठाई जावे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोधी दल को सुनने की भी तैयारी होनी चाहिए। कल का सत्ता पक्ष आज विरोधी पक्ष, ना पक्ष में आ गया इसलिए सुनने को तैयार नहीं है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप छात्रों का नाम लेकर छात्रों को और सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट नहीं आई लेकिन छात्रों की मांग आ गई। यह छात्रों की नहीं रघुवीरशरण कौशल की मांग है उन्होंने कहा है...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री जी, अगर गंगानगर के छात्र यह मांग करें कि आप पुलिस इंक्वायरी करा लीजिए तो उसके लिए तो आप तैयार नहीं हैं और कोटा के छात्रों की बात कर रहे हैं। गंगानगर के अन्दर आपने झूठे मुकदमे बनाए हैं उन पर फांसी होने जैसे संगीन मुकदमे बनाए हैं उन छात्रों की आप पुलिस से जांच नहीं कराते और आज आपको बड़ी दया आ रही है। कोटा के छात्रों पर...

(व्यवधान)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

गंगानगर के छात्र और जोधपुर के छात्र और बीकानेर के छात्र आपको याद नहीं आए। आपको मारने के बाद प्यार आया है, तो कोटा के छात्रों का···

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री का जो कथन है और मेरे पर जिस प्रकार का आरोप है यह राजस्थान के लाखों किसानों की जो यूनिटी है उस यूनिटी को चुनौती है। चीफ मिनिस्टर का यह स्टूडेंट्स के साथ में पक्षपातपूर्ण रवैया है। ये अपनी पुलिस को बचाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना चाहते हैं। हमारी जायज मांग है कि जिन लोगों ने निर्मम हत्याकांड किया है उसकी जांच के लिए इस हाउस की कमेटी बनाई जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब मथुरादासजी माथुर गृह मंत्री थे तो थानेदार के खिलाफ 302 का मुकदमा 24 घण्टे में दर्ज हो गया था। आपने खुद ने उसकी मांग की थी··

(व्यवधान)

आप बहुमत के आधार पर हम को दबाना चाहते हैं। रतनलालजी वर्मा डण्डा दिखा कर हमारा बोलना बन्द करना चाहते हैं। वर्मा जी यह मांग दूसरी है, यह लड़कों का मामला है आप यह नहीं भूलें।

श्री कौशलकिशोर जैन : लड़के हमारे साथ हैं, आपके साथ नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुमत के आधार पर आप यह प्रस्ताव पास करा सकते हैं, बहुमत के आधार पर इन्दिराजी को सजा दे सकते हैं, हमको सस्पेंड कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, जो कुछ चाहें कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज बन्द नहीं कर सकते···

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री का यह कहना कि हम छात्रों की मांग के खिलाफ हैं, झूठ है। हम भी छात्रों के साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : आप छात्रों के प्रति जिम्मेदार हैं या इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप छात्रों की बात कह कर आपस में फूट डलवाना चाहते हैं, यह हरगिज नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अगर राजस्थान के छात्र चाहते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो तो इनको क्यों इन्कारी है?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्रीजी, जिन छात्रों के गंगानगर में चालान किये वे भी छात्र ही हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके रहते हुए इस तरह की झूठी बात···

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

× × × ×

मैं सिर्फ विपक्ष को एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। यह आपकी इच्छा है कि सदन की कार्यवाही चले या नहीं...

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम इस तरह की गलत बात नहीं सुनना चाहते·

श्री अध्यक्ष : अगर आप चाहें, माननीय सदस्य····

श्री श्योपतसिंह मकासर : गंगानगर और जोधपुर के छात्रों के साथ क्या हुआ··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अगर आपकी यह इच्छा हो कि इस सदन की कार्यवाही नहीं चले तो मैं बन्द करूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष के नाते मुझे भी कहने का अधिकार है। मेरी एक बात तो सुनें। आपको जो कुछ सुझाव देने थे, दे दिए। विपक्ष को सर्वसम्मति से जो सुझाव देने थे, आपने दे दिए····

(व्यवधान)

सरकार को जो कुछ बात कहनी थी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदन के नेता के द्वारा कही गई जिसे आपने सुना···

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे पर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है····

श्री अध्यक्ष : अगर आप मेरी बात स्वीकार नहीं करना चाहते, अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं तो इस कार्यवाही को मैं बन्द करूं ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं सरकार को विवश नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : We require your protection.

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है समिति को गठित करने का, हाउस सुप्रीम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आज चार बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। कमेटी के साथ साथ इस सम्बन्ध में भी मैं स्वयं अपने कक्ष में बात करना चाहूंगा। आज की कार्यवाही इतने तक के लिए स्थगित रखना चाहूंगा··

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, लोकतन्त्र के जो मूल आदर्श हैं उनका पालन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

× × × ×

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(व्यवधान)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 4.37 बजे बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 1979 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(72)

परिशिष्ट--1

तारांकित प्रश्न सं. 5 का प्रतिवेदन

नकल एफ. आई. आर.

ओर से — ग्राम पंचायत गैण्डोली दिनांक 29-1-79

सेवा में — श्रीमान् थानेदार साहब, थाना गैण्डोली।

विषय — ग्राम पंचायत गैण्डोली की चरागाह में से झाली जी के बराना के व्यक्तियों द्वारा लकड़ियां काट कर ले जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत गैण्डोली के क्षेत्र में चरागाह की गैण्डोली से लाखेरी जाने वाली सड़क से दक्षिण दिशा गांव गुथा का झोंपड़ा झाड़ोल व मवा का देवजी के बीच का एरिया हैं और जो पंचायत की चरागाह का क्षेत्र है। उसमें से पंचायत की बिना इजाजत और पंचायत के चपरासी घासीलाल व इन गांव के ग्रामवासियों द्वारा मना करने के बावजूद भी निम्नलिखित व्यक्तियों ने चरागाह में से संदोडियां वगैरह की गीली लकड़ी काट कर गाड़ियों में भर कर बराना ले जा रहे हैं। पंचायत के मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। इन्होंने पंचायत की आज्ञा बिना चरागाह की गीली लकड़ी काटी है और गाड़ियां भर कर ले जा रहे हैं, कार्यवाही फरमावें। निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम:—

(1) बाला पुत्र जगन्नाथ मीणा, झाली जी का बराना (2) जगन्नाथ पुत्र ग्यारसा मीणा (3) रामकिशन पुत्र मांगीलाल बलाई (4) रामदेव पुत्र हीरा चमार (5) लक्ष्मण पुत्र रामनाथ बैरवा (6) रघुनाथ पुत्र फूंदीलाल मीणा (7) घन्नालाल पुत्र कल्याण मीणा (8) छीतर पुत्र ओंकार बैरवा (9) मांगीलाल पुत्र रामनाथ बलाई (10) लक्ष्मी नारायण पुत्र रवाना बैरवा (11) प्रताप पुत्र मांगीलाल बैरवा (12) छीतर पुत्र मांगीलाल माली (13) नेतराम पुत्र गोपाल मीणा (14) रामनारायण पुत्र जवारीलाल मीणा (15) चौथमल पुत्र अमरलाल धोबी (16) भैरूलाल पुत्र श्रीराम मीणा (17) धूलीलाल पुत्र बजरंगलाल (18) रामकिशन पुत्र भैरूलाल मेघवाल (19) किशना पुत्र मोती मीणा (20) सोकरण पुत्र पन्ना बैरवा (21) रामकरण पुत्र मथरा बैरवा (22) बजरंग पुत्र सावला बैरवा (23) नाथूलाल पुत्र राधेश्याम बैरवा (24) शांतिलाल पुत्र हीरा बैरवा (25) चौथमल पुत्र नारायण बैरवा (26) छोटूलाल पुत्र रामनारायण बैरवा।

ह. सोहनलाल,
सरपंच, ग्राम पंचायत गैण्डोली
29-1-79

पी. एस. गैण्डोली दिनांक 29-1-79

श्री सोहनलाल जी सरपंच साहब, ग्राम पंचायत गैण्डोली ने हाजिर थाना होकर पेश की मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 379 आई.पी.सी. की बकू में आना पाया जाता है। अत: मुकदमा नं. 11/79 जुर्म मजकूर में दर्ज कर, मैं, रोजसिंह एच. सी. इन्चार्ज पी. एस. मसरूफ तफतीश हुआ।

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

भेड़ों की नस्ल सुधारने के उपाय

6. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु विदेशों से कहां-कहां से कितनी भेड़ें तथा मेंढे मंगवाये गये और कब ?

(2) राज्य की जलवायु उन्हें कैसी उपयुक्त रही, उनमें से कितने इस समय जिंदा हैं, कितने मर गये तथा यह योजना कितनी कारगर साबित हुई ?

(3) नस्ल सुधार हेतु पिछले 3 सालों में किसानों को कितने मेंढे दिये गये तथा क्या खर्चा हुआ ?

उत्तर

(1) वर्ष	कहां से आये	मेंढे	मादा भेड़ें
64–65	रूस	5	20
70–71	अमेरिका	55	126
71–72	रूस	15	–
74–75	रूस	15	539
75–76	रूस	–	100
75–76	रूस	10	300
78–79	रूस	40	750
		140	1835

(2) आयातित भेड़ों को राजस्थान की जलवायु उपयुक्त रही है। आयातित 140 मेंढों में से 63 मेंढे तथा 1835 मादा भेड़ों में से 196 मादा भेड़ें मर गई हैं। जनवरी 79 तक 30,015 संकर मेमने इस योजना के अन्तर्गत पैदा हुए हैं।

(3) पिछले 3 वर्षों में 564 मेंढे भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु दिये गये। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कुल रु. 44·05 लाख खर्च हुआ है।

राज्य में वृद्धावस्था पेन्शन

7. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वृद्धावस्था पेन्शन 1973 में प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से मिलती थी ? यदि हां, तो वर्तमान में वृद्धावस्था पेन्शन कब से देते हैं ?

(2) वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्र ज्यादा से ज्यादा कितने समय में स्वीकृत कर दिये जाते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार वृद्धावस्था पेन्शन में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृति के दिन से दी जाती है।

(2) वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्र पर, उसके प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन की अवधि में स्वीकृति जारी करने के आदेश हैं।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) वर्तमान में वृद्धावस्था पेन्शन की राशि में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

पाली जिले के सीलिंग के मामले

8. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के कौन-कौन से बड़े काश्तकारों के सीलिंग सम्बन्धी मुकदमें खुले हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आज तक लैण्ड सीलिंग सम्बन्धी कितने मामले पाली जिले में री-ओपन किये गये, उनमें से कितनों के फैसले हो गये तथा इन फैसलों के कारण कितनी कितनी जमीन किस-किस काश्तकार से सरकार को प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) पाली जिले से प्राप्त सीलिंग प्रकरणों में माह जनवरी, 1979 तक 248 सीलिंग प्रकरण राज्य सरकार द्वारा निपटाये गये हैं जिनमें से 230 में पुनः खोलने के आदेश दिये गये हैं तथा 18 में पुनः खोलने के आधार न पाये जाने पर कार्यवाही समाप्त की गई है। इन प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट (क) में है।

(2) पाली जिले के खोले गये सीलिंग प्रकरणों में से 20 सीलिंग प्रकरणों का निपटारा किया गया है जिनमें 693.69 स्टेन्डर्ड एकड़ एवं 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण के आदेश दिये गये हैं। विस्तृत सूचना परिशिष्ट (ख) में है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किसानों को लकड़ी लाने हेतु परमिट

10. श्री मूलचन्द समरिया (दौसा) श्री कुन्जीलाल (वामनवास) : क्या वन मंत्री यह बताने की करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न वनों से किसानों को अपने कृषि औजार, घरेलू व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लकड़ी लाने के परमिट देने का निर्णय कर लिया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार ने विस्थापित क्षेत्र के किसानों को अपने कृषि औजार व घरेलू अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विज्ञप्ति संख्या 4241/एफ-34 (44) रेवेन्यू/53 दिनांक 24 नवम्बर, 1955 के बाद रियायतें दी हुई हैं। जिसमें परमिट देने का प्रावधान है। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

(विज्ञप्ति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ जिले के उद्योग

11. श्री बालचंद्र आर्य (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में अभी तक कितने और किस-किस कार्य के उद्योग लग चुके हैं ?

(2) क्या डग विधान सभा क्षेत्र में भी कोई बड़ा उद्योग या कारखाना लगाने

(श्री बालचन्द्र आर्य)

की राज्य सरकार इच्छा रखती है ? यदि हां, तो कब और कितने समय में कहां कारखाने लग कर चालू हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में वर्तमान में 1091 लघु उद्योग कार्यरत हैं। उद्योगों की वर्गीकरणवार सूची सदन की मेज रख दी गयी है।

(2) वर्तमान में झालावाड़ में बड़ा उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। यदि कोई प्राइवेट पार्टी बड़ा उद्योग लगाने हेतु आवेदन करेगी तो राज्य सरकार उसे समस्त उचित सुविधायें उपलब्ध कराने को तत्पर है।

झालावाड़ जिले में अब तक कार्यरत उद्योगों की सूची

इस जिले में अब तक 1091 लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग कार्यरत हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है :—

(1)	कृषि आधारित उद्योग	50 (खाद्य तेल, आटा चक्की, मसाला पिसाई तथा गुड़ उद्योग आदि)
(2)	वन आधारित उद्योग	177 (लकड़ी फर्नीचर, बांस टोकरी, लकड़ी चिराई आदि)
(3)	चर्म आधारित उद्योग	440 (चमड़ा रंगाई, जूतियां बनाना, चमड़े की अटेची आदि)
(4)	वस्त्र आधारित उद्योग	141 (रेडीमेड गारमेन्ट्स, कशीदाकारी आदि)
(5)	रसायनिक एवं दवाई पर आधारित उद्योग	28 (देशी दवाइयां, साबुन आदि)
(6)	यान्त्रिकी एवं लोहे के कृषि उपकरण आधारित उद्योग	148 (कृषि उपकरण, घरेलू सामान (लोहे का) वर्कशाप आदि)
(7)	भवन निर्माण आधारित	60 (स्टोन पालिशिंग, ईंट उद्योग)
(8)	मांग आधारित उद्योग	47 (नालीदार कोलवा, कांच फ्रेम, साइकिल मरम्मत, प्रिंटिंग प्रेस, बिस्कुट, गोली, पटवा उद्योग, विद्युत सामग्री, आइसकेण्डी, सींग की कंघी, सीमेंट जाली, मिट्टी के बर्तन, रूई पिंजाई, आर्ट पिक्सर, गोल्ड फिंगर, होजरी वर्क्स, लाख चूड़ी उद्योग।
		1091 इकाइयां

जयपुर के उप-जिलाधीशों की अदालतों में विचाराधीन मामले

12. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में उप-जिलाधीशों ने 1978 से आज तक किस-किस ने कितने मुकदमे अदालत में फैसल किये ?

(2) उप-जिलाधीशों को मुकदमे फैसल करने का क्या कोई कोटा भी निर्धारित किया हुआ है कि कितने अर्से में कितने फैसले करने हैं ?

(3) किस-किस उप-जिलाधीशों ने कोटे के अनुसार मुकदमे फैसले करने में अपना कर्तव्य पूरा किया और किसने नहीं किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के अधीनस्थ निम्न उप-जिलाधीशों द्वारा वर्ष 1978 से आज तक निम्न प्रकार राजस्व/फौजदारी मुकदमात का निस्तारण किया है :—

क्र.स.	नाम उपखंड	राजस्व दावे	अपील	फौजदारी प्रा.पत्र	योग
1.	जयपुर	115	179	272	566
2.	आमेर	125	335	454	1094
3.	सांभरलेक	79	844	338	1261
4.	कोटपूतली	53	45	85	183
5.	दौसा	226	337	368	931

(2) डिस्ट्रिक्ट मैनुअल के परिशिष्ट 13(सी) बशवर्क के अनुसार प्रत्येक उप-जिलाधीशों को राजस्व मुकदमात में 10 दावे या 30 प्रार्थना-पत्र प्रति माह फैसल किये जाने का मापदण्ड निर्धारित किया गया है।

(3) निर्धारित कोटे के अनुसार उप-जिलाधीश जयपुर, आमेर, सांभर व दौसा द्वारा राजस्व मुकदमात का निस्तारण किया गया है।

राजस्व मुकदमात के निस्तारण में उप-जिलाधीश, कोटपूतली द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम निस्तारण किया गया है।

ग्राम पंचायतों में ग्रुपसचिवों की व्यवस्था

13. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में वर्तमान ग्रुपसचिव व्यवस्था से पंचायतों के काम-काज में काफी बाधायें आयी हैं और पंचायतों में काफी असन्तोष है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तीन-तीन ग्राम पंचायतों में केवल एक ग्रामसेवक सचिव के रूप में काम करता है जो व्यवस्थित रूप से ग्राम पंचायतों का काम करने में पूर्णतः अक्षम है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार राज्य सरकार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्तमान ग्रुपसचिव योजना में सुधार का मामला विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

रामनगर जयपुर की बस्ती का विद्युतीकरण

14. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रामनगर, नाहरी का नाका भू-खंड संख्या 978 से 985 के सम्मुख वाकी रोड़ पर विद्युतीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा गत चार पांच वर्ष पूर्व ही विद्युतीकरण हेतु बजट भी दिया जा चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्डों में अधिकतर अनुसूचित जाति/अनु. जन जाति के व्यक्तियों के ही भू-खण्ड हैं ? यदि हां, तो यह सब होने के बावजूद भी अभी तक रोड़ लाइट हेतु खम्भे क्यों नहीं लगवाये गये हैं ?

(3) अब उक्त रोड़ पर विद्युतीकरण हेतु खम्भे लगाने का कार्य कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, नगर विकास न्यास जयपुर से जो आवेदन-पत्र विद्युत् मण्डल को प्राप्त हुआ था उसमें रामनगर, नाहरी का नाका भू-खण्ड संख्या 978 से 985 के सम्मुख वाकी रोड़ पर भी विद्युतीकरण करना शामिल था। नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में पैसा जमा कराया गया था।

(2) ऐसी कोई जानकारी अथवा सूचना नगर विकास न्यास अथवा भू-खण्ड धारियों द्वारा विद्युत् मण्डल को नहीं दी गई थी। अब रोड़ लाइट हेतु खम्भे लगा दिये गये हैं।

(3) उक्त रोड़ पर विद्युतीकरण हेतु खम्भे लगाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

कामां क्षेत्र की गुलपाड़ा-जुरहेरा सड़क

16. श्री मोहम्मद जहूर (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र में गुलपाड़ा-जुरहेरा सड़क काफी अर्से से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अब तक अधूरा पड़े रहने का क्या कारण है तथा राज्य सरकार इसको कब तक पूरा कर देगी ?

(2) राज्य सरकार का इस सड़क के निर्माण में अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष वाढ़ के प्रकोप के कारण कामां क्षेत्र की डीग से कामां, कामां से जुरहेड़ा, कामां से कोसी व कामां से पहाड़ी जाने वाली सड़कें खराब हो गई थीं ? यदि हां, तो क्या इन सड़कों की पूर्ण मरम्मत करा दी गई है ? यदि पूर्ण नहीं की गई हैं, तो क्यों नहीं की गई हैं तथा राज्य सरकार का इनकी मरम्मत कराने में कितना व्यय हुआ है ? अब अधूरा कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(4) क्या विभाग द्वारा कामां क्षेत्र में और नई सड़कें बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो कितनी व कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व वर्षों में सीमित स्वीकृत धनराशि उपलब्धि के अनुसार कार्य कराया गया और बाकी कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में 26.40 लाख अनुमानित लागत में प्रस्तावित है।

(2) अब तक 4.81 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

(3) जी हां। निम्नलिखित बाढ़ग्रस्त सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत कर कार्य चालू कराया गया और कार्य करीब सम्पूर्ण होने की स्थिति में है।

स्वीकृत किये हैं वो इस प्रकार हैं :

		77–78	78–79
1.	डीग कामां नन्दगांव	2 लाख	–
2.	कामां जुरहेरा	6.50 लाख	–
3.	कामां पहाड़ी	0.85 लाख	–
4.	बाढ़ग्रस्त डीग कामां नन्दगांव	–	0.60

(4) कामां क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं :—

1. कामां डीग सड़क को चौड़ा करना एवं कराना (10.00 लाख रुपये)

2. डीग नगर सड़क को चौड़ी कराना (10.00 लाख रुपये)

3. गुलपाड़ा अमरुका जुरहेरा सड़क को पूर्ण करना (26.40 लाख रुपये)

झुन्झुनूं जिले में अतिवृष्टि एवं कातरा से फसलों को क्षति

17. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं व सीकर जिले में पिछले 5 वर्षों से कातरा व अतिवृष्टि के कारण बाजरा व दलहनों का उत्पादन निरन्तर घट रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन दोनों कठिनाइयों से न प्रभावित होने वाली फसलें बोने के लिए किसानों को प्रेरित करने का कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) झुन्झुनूं व सीकर जिले में डी.पी.ए.पी. स्कीम के अन्तर्गत सड़कों, पेयजल योजनाओं, भू-संरक्षण योजना आदि कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं तथा कितना कार्य हो चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डी.पी.ए.पी. स्कीम का कार्य तीव्र गति से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर व झुन्झुनूं जिलों में केवल पिछले 2 वर्षों में नुकसान अधिकांशत: अतिवृष्टि से तथा कातरे से हुआ है। कृषि विभाग इसकी रोकथाम हेतु कृषकों को यांत्रिक विधि व रसायनिक विधि अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा है। आगामी खरीफ में फसलों में सघन अभियान के रूप में कीट नियन्त्रण कराने के लिए कृषकों को

(कृषि मंत्री)

प्रेरित किया जावेगा एवं अरहर (Early Variety) तथा ग्वार की फसलें बोने के लिए किसानों को प्रेरित करेगा ।

(2) सीकर जिला डी.पी.ए.पी. में नहीं है । झुन्झुनूं जिले की केवल दो तहसीलें झुन्झुनूं एवं चिड़ावा डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत हैं । इसमें सड़क, पेयजल तथा भू-संरक्षण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है किन्तु भू-सर्वेक्षण (सोयल सर्वे) डेयरी विकास तथा एस.एफ.डी.ए. अनुदान की तीन योजनायें डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत हैं । इन तीनों योजनाओं (1) डेयरी विकास (2) भू-सर्वेक्षण और (3) एस.एफ.डी.ए. अनुदान में 1974–75 से जनवरी, 1979 तक कुल खर्च 48.28 लाख रुपये हुए हैं । खर्च की सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) दुग्ध संकलन तथा एस.फी.डी.ए. अनुदान वितरण अपेक्षित स्तर से कम हुआ है, यह सही है । दुग्ध संकलन लक्ष्य से कम होने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को बाजार से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य मिलता है । एस.एफ.डी.ए. अनुदान वितरण केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों को ही किया जा सकता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे व्यक्तियों में से ऋण लेने वालों की संख्या पर निर्भर करता है ।

डी.पी.ए.पी. स्कीम में झुन्झुनूं जिले में वर्षवार खर्च का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

वर्ष	खर्च
1974–75	0.35
1975–76	0.05
1976–77	21.41
1977–78	20.28
1978–79 (जनवरी तक)	6.19

पंचायत समिति इटावा गन्ना कांड की जांच

19. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा के गन्ना काण्ड की जांच 1965 से चल रही है ?

(2) इतने लम्बे समय में भी गबन एवं घोटाले की जांच पूर्ण नहीं होने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित नहीं किये जाने का क्या कारण हैं ?

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इस कांड की जांच में क्या प्रगति की ?

(4) क्या राज्य सरकार इस कांड की जांच समाप्त कर अपराधियों को दंडित कर किसानों को राहत पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है एवं विभागीय जांच की सिफारिश के आधार पर मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दिनांक 3-1-79 को प्रेषित किया जा चुका है ।

(3) जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास विचाराधीन है ।

Page No. 80

(80)

(पंचायत मंत्री)

(4) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

अन्त्योदय योजना की श्रेष्ठ पंचायत समितियां

20. **श्री शिवनारायण** (थानागाजी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या अन्त्योदय योजना के दोनों चरणों में जिन-जिन पंचायत समितियों का कार्य श्रेष्ठ रहा है उन्हें राज्य सरकार विशिष्ट रूप से पुरस्कृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

नाथद्वारा थाने में दर्ज रहस्यमय मृत्यु का केस

21. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्रीमती केसर बाई निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा की 19-5-77 को जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी के सम्बन्ध में नाथद्वारा थाने में कोई केस रजिस्टर हुआ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। अभी यह मुकदमा अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा अन्वेषणाधीन है।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाये गये तालाब

22. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बहुत से तालाब बने हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वे अधूरे हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे कार्यों को प्लान कार्यों के तहत लेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में कार्य शुरू करवाते समय अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। ज्यों ही अभाव स्थिति समाप्त होती है चलाये गये कार्यों को बन्द करना पड़ता है। इसलिये सहायता विभाग इनको पूरा नहीं करा सकता है। सिंचाई विभाग उपलब्ध साधनों के अनुसार इनको पूरा कराने का प्रयास करता है।

राज्य की डेयरियों एवं पशुधन के विकास हेतु बाहरी आर्थिक सहायता

23. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में डेयरियों के विकास के लिए अथवा पशुधन के विकास के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से वित्तीय सहायता लेने

(श्री नूरा)
के लिए किन्हीं योजनाओं के लिये कोई समझौता किया है ?

(2) यदि हां, तो यह समझौता कब और किन-किन योजनाओं के लिए किया गया है और इस समझौते की शर्तें क्या हैं ? कृपया समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्वी छः जिलों यानी अजमेर, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टौंक एवं भीलवाड़ा में डेयरी विकास के लिये "राजस्थान डेयरी विकास परियोजना के अन्तर्गत" अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से एक समझौता किया है।

(2) यह समझौता दिनांक 18-12-74 को राजस्थान डेयरी विकास परियोजना यानी राजस्थान राज्य के पूर्वी छः जिले क्रमशः अजमेर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टौंक और भीलवाड़ा में डेयरी विकास के लिये किया गया है समझौते की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

RAJASTHAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated December 18, 1974, between THE STATE OF RAJASTHAN acting by its Governor (hereinafter called Rajasthan) and INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (hereinafter called the Association).

WHEREAS (A) by a development credit agreement of even date herewith between India, acting by its President (hereinafter called the Borrower) and the Association (hereinafter referred to as the Development Credit Agreement), the Association has agreed to make available to the Borrower an amount in various currencies equivalent to twenty-seven million seven hundred thousand dollars ($ 27,700,000), on the terms and conditions set forth in the Development Credit Agreement, but only on condition, *inter alia,* that Rajasthan Agrees to undertake the obligations toward the Association hereinafter set forth:

(B) By an agreement of even date herewith between the Association and Agriculture Refinance Corporation, Agricultural Refinance Corporation has agreed to undertake certain obligations in respect of the carrying out of the Project; and

83

WHEREAS Rajasthan, in consideration of the Association's entering into the Development Credit Agreement with the Borrower, has agreed to undertake the obligations hereinafter set forth;

Now THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:—

ARTICLE-I

DEFINITIONS

Section 1.01. Wherever used in this Agreement, unless the context shall otherwise require, the several terms defined in the Development Credit Agreement and in the General Conditions (as so defined) have the respective meanings therein set forth.

ARTICLE-II

PARTICULAR COVENANTS

Section 2.01. Rajasthan shall cause RDDC to carry out Parts A, B, C3, D and E of the Project, and shall carry out Parts C1 and C2 thereof with due deligence and efficiency and in conformity with sound agricultural, administrative, financial and engineering practices, and shall provide, or cause to be provided, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the purpose.

Section 2.02. Rajasthan shall, and shall cause RDDC to (i) maintain records adequate to record the progress of the Project (including the cost thereof) and to indentify the goods and services financed out of the proceeds of the Credit, and to disclose the use thereof in the Project, (ii) enable the Association's representatives to inspect the Project and any relevant records and documents; and (iii) furnish or cause to be furnished to the Association all such information as the Association shall reasonably request, concerning the Project, the services and the operations and financial condition with respect to the Project of the agency or agencies responsible for the carrying out of the Project or any part thereof.

Section 2.03. Rajasthan and the Association shall cooperate fully to assure that the purposes of the Credit will be accomplished. To that end, Rajasthan and the association shall from time to time at the request of either Party, exchange views through their representatives with regard to the performance of their respective obligations under this Agreement, the Project, and other matters relating to the purpose of the Credit.

Section 2.04. Rajasthan shall take all action which shall be necessary on its part to enable ARC to perform its obligations under the Project Agreement and shall not take or permit any of its agencies to take any action which would prevent or interfere with the performance of any such obligations of ARC or of Participating Banks associated therewith.

Section 2.05. Rajasthan and the Association shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or thereto interfere with, the accomplishment of the purposes of the Creditor the performance by either of them of its obligations under this Agreement.

Section 2.06. (a) Rajasthan shall cause RDDC to insure, or make adequate provision for the insurance of, the imported goods to be financed out of the proceeds of the Credit relent to RDDC by ARC against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation, and for such insurance any indemnity shall be payable in a currency freely useable by RDDC to replace or repair such goods.

(b) Except as the Association may otherwise agree, Rajasthan shall cause RDDC to ensure that all goods and services financed out of the proceeds of the Credit relent or made available to RDDC to be used exclusively for the Project.

Section 2.07. Except as the Association shall otherwise agree, contracts for the purchase of goods, the carrying out of works or services (other than consultants' services) for the Project and to be financed out of the proceeds of the Credit shall be awarded in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement.

(85)

Section 2.08. Except as the Association shall otherwise agree, RDDC shall be appointed as sole procurement agent for all items financed out of the proceeds of the Credit, other than expenditures by Rajasthan for Categories 1 (b) and 3 (b).

Section 2.09. Rajasthan shall take all steps necessary to ensure that consultants acceptable to the Association, recruited upon terms and conditions satisfactory to the Association, will be employed by RDDC to assist the Unions in dairy plant engineering, dairy marketing, dairy processing engineering, mass-media communications and forage/animal production.

Section 2.10. Rajasthan in carrying out Parts C1 and C2 of the Project: (i) shall or shall cause BVVI and CVAS to formulate investment projects for the diagnostic laboratory and the vaccine institute and submit the same to Rajasthan and the Association for approval; and (ii) shall provide to the diagnostic laboratory and the vaccine institute on an annual allocation basis, such funds as shall be necessary for start-up and operating costs.

Section 2.11. Rajasthan shall make available, quarterly in advance, based on estimates prepared by the Unions; (i) to the Unions through RDDC funds required to carry out Part D1 of the Project and (ii) to RDDC funds required to carry out Part D2 of the Project.

Section 2.12. (a) Rajasthan shall or shall cause RDDC and the Unions to, take all steps necessary to promote the establishment of approximately 1800 DCS in the Project Area not later than July 1, 1980, or such other date as the Association shall agree. The DCS shall be established under bye-laws in conformity with a model acceptable to the Association and shall have been empowered, *inter alia*, to act as centres for milk collection and for supply of all technical inputs necessary for accelerating milk production.

(b) Rajasthan shall make available to each DCS, except as the Association shall otherwise agree, as and when such DCS is established: (i) equipment for milk

testing, first-aid and artificial insemination; and (ii) the operating deficit, if any, of each such DCS during the initial period of its operation.

Section 2.13. (a) Rajasthan shall take all steps necessary to promote the establishment of five Unions of DCS not later than April 1, 1976, or such other date as the Association shall agree, The said Unions shall be established under bye-laws acceptable to the Association and shall be empowered to, *inter alia*, (i) assist the DCS in organization and management; (ii) establish and supervise milk and cattle feed transportation; (iii) process and market the milk collected from its members; (iv) operate feed mills; (v) provide animal health and breeding services to DCS members of such Unions; and (vi) organize training and extension programmes.

(b) Rajasthan shall at the recommendation of RDDC, make available to each Union, except as the Association shall otherwise agree, the start-up costs and initial operating deficits of the Unions, such financing to be in the form of share capital, redeemable at par value.

Section 2.14. Rajasthan shall make available to RDDC, except as the Association shall otherwise agree, its start-up costs and initial operating deficits, in the form of redeemable share capital.

Section 2.15. Milk producers unions and co-operative societies in the Project Area in existence at the time of the execution of this Agreement, shall be eligible to participate in the Project provided that their capitalisation, bye-laws and management have been approved by the Association.

Section 2.16. Rajasthan shall establish and operate a calf-rearing subsidy programme in the Project Area.

Section 2.17. Rajasthan shall establish in the Project Area, and operate with full use of the expertise of CVAS, a health programme for cross-bred cattle which shall include; (i) the diagnostic laboratory described in Part C1

(87)

of the Project; and (ii) the vaccine institute described in Part C2 of the Project.

Section 2.18. Rajasthan shall cause RDDC to make arrangements satisfactory to the Association to: (i) train consultants and executive staff of RDDC and the Unions, and Unions spearhead teams for DCS implementation; (ii) provide first year field supervision; (iii) furnish consulting services to effect a dairy marketing study; and (iv) assist in the preparation of specifications for, and evaluation and award of, tenders for construction of the day plants and feed mills.

Section 2.19. Rajasthan shall phase out operations at its dairy plants in cities where Union milk is marketed upon commencement of production at the Union dairy plants.

Section 2.20. Rajasthan shall ensure that not later than January 1, 1982, the future role and status of RDDC is reviewed with the Association.

ARTICLE-III

MANAGEMENT AND OPERATIONS OF RDDC

Section 3.01. Rajasthan shall cause RDDC to; (i) at all times manage its affairs, maintain its financial position, and carry on its operation, all in accordance with sound business, financial and agricultural practices and under the supervision of experienced and competent management assisted by experienced and competent staff in adequate number; and (ii) take all steps necessary to acquire, maintain and renew all rights, powers, privileges and franchises which are necessary or useful in the conduct of their business or in the carrying out of the Project.

Section 3.02. Rajasthan shall cause RDDC to take out and maintain with responsible insurers, or make other provisions satisfactory to the Association for, insurance against such risks and in such amounts as shall be consistent with appropriate practice.

ARTICLE-IV

FINANCIAL COVENANTS

Section 4.01. Rajasthan shall cause RDDC to maintain records adequate to reflect in accordance with consistently maintained appropriate accounting practices its operations and financial condition.

Section 4.02. Rajasthan shall cause RDDC to: (i) have an annual audit satisfactory to the Association make of its accounts and financial statements (balance sheets, statements of income and expenses and related statements) for each fiscal year, in accordance with sound auditing principles consistently applied, by independent and qualified auditors; (ii) furnish to the Association as soon as available, and except as the Association shall otherwise agree, not later than six months after the end of each such year, (A) certified copies of its financial statements for such year as so audited and (B) the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Association shall have reasonably requested; and (iii) furnish to the Association such other information concerning the accounts and financial statements of RDDC and the audit thereof as the Association shall from time to time reasonably request.

Section 4.03. (a) Rajasthan shall; (i) cause all DCS and the Unions, as and when they are established, to have their accounts and financial statements (balance sheets, statements of income and expenses and related statements) for each fiscal year audited, in accordance with sound auditing principles consistently applied, by its Registrar of Cooperative Societies; (ii) furnish to the Association as soon as available, and, except as the Association shall otherwise agree, not later than six months after the end of each such year, (A) certified copies of the financial statements of the said Unions for such year as so audited and (B) the report of such audit of the financial statements of the said Unions by said Registrar, of such scope and in such details as the Association shall have reasonably requested; and (iii) furnish to the Association such other information concerning the accounts and financial statements of all DCS

(89)

and the Unions and the Audit thereof as the Association shall from time to time reasonably request.

(b) Rajasthan shall appoint such additional staff as shall be necessary to enable Rajasthan to comply with the provisions of paragraphs (a) and (b) of this section.

(b) In order to ensure the continuous monitoring of the accounts of all DCS, Rajasthan shall cause the accounts of the DCS to be inspected at least twice a year by the Registrar of Cooperative Societies, in addition to the audit referred to in paragraph (a) of this section.

Section 4.04. It is the mutual intention of the parties to this Agreement that after the Unions and the DCS are established and operational: (i) the DCS own at least 75% of the shares of the Unions of which they are members; and (ii) that the Unions own at least 75% of the shares of RDDC. To this and, except as the Association shall otherwise agree:

(a) Rajasthan shall offer to sell not less than 75% of its shares of RDDC, at par value, to the Unions. not later than January 1, 1980.

(b) Rajasthan shall offer to sell not less than 75% of its shares of the capital of each Union, at par value, to the DCS members of such Unions, not later than January 1, 1980.

(c) These offers shall be made each year until the objectives stated in Section 4.04 (i) and (ii) have been attained.

Section 4.05. Rajasthan shall make available equity financing required to ensure that RDDC and the Unions qualify for loans from participating Banks.

Section 4.06. Rajasthan shall take measures to assure that participating Banks make funds available to RDDC and the Unions for investments and working capital as required by the Project.

Section 4.07. Rajasthan shall ensure that RDDC and the Unions are served by the optimum number of Banks selected in consultation with ARC.

Section 4.08. Rajasthan shall not take any action to restrict and power of the Unions to set, in accordance with sound economic and financial practices, the price for their products, the price paid for milk collected from their members and the charges to be paid by their members for services rendered to them by the Unions, provided, however, that Rajasthan may, in such cases as it shall determine, consult with the Unions in respect of their selling price policies.

Section 4.09. Rajasthan shall ensure the requisite availability of loans under existing or new lending arrangements, to eligible members of the DCS for minor irrigation for forage production.

ARTICLE-V

EFFECTIVE DATE; TERMINATION; CANCELLATION AND SUSPENSION

Section 5.01. This Agreement shall come into force and effect on the date upon which the Development Credit Agreement becomes effective. If the Development Credit Agreement shall terminate pursuant to section 12.04 of the General Conditions, the Association shall promptly notify Rajasthan of this event and, upon the giving of such notice, this Agreement and all obligations of the parties hereunder shall forthwith terminate.

Section 5.02. This Agreement shall terminate and all obligations of Rajasthan and the Association hereunder shall cease and determine on the date on which the Project Agreement terminates in accordance with its terms.

Section 5.03. All the provisions of this Agreement shall continue in full force and effect notwithstanding any partial cancellation or suspension under the Development Credit Agreement.

ARTICLE-VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 6.01. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or radiogram to the party to which it is required or permitted to be given or made such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request. The addresses so specified are:

For Rajasthan:

The Commissioner and Secretary
to the Government of Rajasthan.
Department of Dairy Development.
and Special Schemes.
Government of Rajasthan.
Jaipur-302005, India.
Cable address:
CHIEFSEC
Jaipur

For the Association:

International Development Association
1818 H Street, N. W.
Washington, D.C. 20433,
United States of America,
Cable Address: INDEVAS
Washington, D.C.

Section 6.02. Any action required or permitted to be taken, and any documents required or permitted to be executed, under this Agreement on behalf of Rajasthan may be taken or executed by the Commissioner and Secretary to the Government of Rajasthan, Department of Dairy Development and Special Schemes, or such other person or persons as Rajasthan shall designate in writing.

Section 6.03. Rajasthan shall furnish to the Association sufficient evidence of the authority and the authenticated specimen signature of the person or persons who will, on behalf of Rajasthan, take any action or execute any documents required or permitted to be taken or executed by Rajasthan pursuant to any of the provisions of this Agreement.

Section 6.04. This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be an original and all collectively but one instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names and delivered in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

THE STATE OF RAJASTHAN

By /s/ T. N. Kaul Authorized Representative

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

By /s/ Mervyn L. Weiner Regional Vice President

South Asia.

(93)

कान्या खेड़ी बांध जिला भीलवाड़ा की सर्वे रिपोर्ट

25. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कान्या खेड़ी बांध जिला भीलवाड़ा की मूलभूत सर्वे रिपोर्ट क्या थी ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य उस सर्वे के अनुसार नहीं हुआ ?

(3) क्या इस पर किसी प्रकार की जांच चल रही है तथा उसकी रिपोर्ट क्या है ?

(4) क्या इस केस में कुछ ए.ई.एन. तथा एक्स.ई.एन. निलम्बित किये गये थे ?

(5) क्या यह सही है कि निर्माण व्यय 1 लाख 35 हजार घन फुट पानी भराव के हिसाब से हुआ जबकि भराव क्षमता केवल 35 हजार घन फीट है ?

उत्तर

(1) मूलभूत सर्वे रिपोर्ट के सेलीमेन्ट फीचर एब्सट्रेक्ट व प्रारम्भिक परिचयात्मक अध्याय की प्रतियां संलग्न हैं जो इस योजना के बाबत पूरा विवरण देती हैं।

(2) जी नहीं।

निर्माण कार्य सर्वे के अनुसार ही हुआ।

(3) जी हां।

निर्माण कार्य के दौरान इसकी कैपेसिटी सर्वे में त्रुटि पायी गई जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

ये आंकड़े सही नहीं हैं।

मूल योजना के अनुसार 133-50 एमसी-एफटी के भराव के बजाय 35-00 एम-सी एफटी ही पाया गया था।

KANIYA KHERI IRRIGATION PROJECT.
TEHSIL BHILWARA DISTRICT BHILWARA

CHAPTER—I

1.0. *Introduction and General.*

1.1. *Introduction and History.*

The Kaniya Kheri Irrigation Project is proposed near Village Kaniya Kheri, Tehsil Bhilwara on a nallah originating from the hill ranges of village Ozara. The nallah after flowing in the South-westerly direction in head reaches and North-easterly direction in tail reaches joins river Banas near village Kheda. The project is estimated to cost of Rs. 8.423 lacs. to provide irrigation facilities to an area of 1068 acres or 432 hectares in a normal year. The

average annual irrigation based on an analysis of the rainfall record of last 29 years is expected to be 919 acres or 372 hectares. The irrigation benefits of the project will go mostly to the people who are economically backward and subjected to frequent scarcity conditions. The soil in the commanded area is fertile and suitable for all kinds of crops. The inhabitants are hardworking and it is expected that they will take to intensive cultivations after the introduction of canal irrigation.

The yield available at the dam site can irrigate only 300 acres of land in a normal year. To increase the yield at dam site it has been proposed to feed the tank by providing a feeder off taking from the nallah near village Bardod. The additional catchment area available is 30.5 Sq. Metres or 78.99 Sq. Km. as shown in the index plan attached. The water which is to be diverted from the nallah near village Bardod at present is going waste in river Banas. It has also been examined to restore this water on the course of nallah but there is no suitable site for the construction of a dam and also there is no command downstream and hence the idea has to be dropped. A small anicut at pick up weir site has already been constructed by the panchayat samiti which will be raised and strengthened according to design for diverting the water.

The year 1969-70 was particularly bad on account of failure of rains and it was proposed to take up this project under Famine Relief Programme to provide rainfall employment to the local people. The work was taken up during the famine operations of 1969-70 and continued in the famine of 1970-71 up to July, 1970. The work being quite new could not be completed. Only the masonry cut off wall on left flank from Ch. 20.3 to 22.00 and Ch. 24.00 to Ch. 25.5 and an earthen cut off trench from Ch. 25.50 to Ch. 38.00 upto a depth varying from 1.5 M to 4.5 M in the nallah bed, were completed. Details of quantities of benching jungle clearance excavation and refilling of cut off trench, cut off wall, earth work of main dam, collection of pitching and masonry stone etc. already done in F.R.W. during the year 1969-70 and 70-71 has been shown at Appendix XIV (N) and the quantities already done has been deducted while preparing this project estimate.

Necessary surveys and investigations for scheme to restore the monsoon run off of the nallah by constructing a dam near village Kaniya Kheri and utilising the same for irrigation lower down through a canal system has been carried out.

There is a very keen demand from the local people for taking up this project.

1.2. *Location of site.*

The site is located about 3/4 Km. from Bhilwara Hamirgarh road at 17 Km. from Bhilwara near Hamirgarh railway station. It can be located on C.T. sheet No. $\frac{45\text{-}K}{12}$ at longitude 74° 36′ 18″ E and latitude 25° 4′ 4″ 'N'.

The site of pick up weir is located near village Bardod which is about 5.5 Km. in westerly direction from dam site. It can be located on C.T. sheet $\frac{45\text{-}K}{12}$ at longitude 74° 33′ O" E and longitude 25° 11′ 45″ N.

1.3. *Catchment Area*

The gross catchment area of the proposed site is 6.5 Sq. Miles or 16.83 Sq. Kms. out of which 0.5 Sq. Miles or 1.29 Sq. Km. is intercepted by the existing tanks and 6.00 Sq. Miles or 15.54 Sq. Km. is free. It has been proposed to feed this tank by diverting the water from the nallah near village Bardod. The gross catchment area available at the pick-up weir site is 30.5 Sq. Miles 78.99 Sq. Kms. out of which 8.5 Sq. Miles or 22.01 Sq. Km. is intercepted and remaining 22.00 Sq. Miles or 56.98 Sq. Km. is free.

The catchment area is practically plain and covers the culturable lands. It can be classified as 'average' type of C.A. as per classification given by "Mr. Strange" in his book "Indian storage reservoirs."

1.4. *Rainfall*

There is no rain gauge station in the catchment area of the dam. The nearest rain gauge station is at Bhilwara

which is about 18 Km. from dam site. The rainfall record for Bhilwara rain gauge station area available for 29 years. (Appendix-I). The average annual rainfall based on the above record works out of 710 mm. The maximum and minimum rainfall recorded are 1301 mm. and 347 mm. in the year 1956 and 1965 respectively. The record being for only 29 years cannot be considered representative for the estimation of probable annual runoff. To be on safe side the rainfall as per is obyetal map which is 25″ has been adopted for comparting the runoff. The monsoon rainfall has been taken as 90% of the normal rainfall and works out to 22.5″. This has been adopted for competing the expected annual runoff.

1.5. *Run Off.*

The observed run off data for the nallah are not available. The probable inflow therefore, cannot be assessed on the basis of actual records in the locality and has been computed on the basis of method given in the strange's book.

According to the Strange table for a rainfall of 22.5" the estimated runoff from 1 Sq. mile of average type of catchment is 7.00 Mcft. The expected annual runoff from the free catchment area of 6 Sq. Miles, will be 42 Mcft. The expected annual runoff at pick-up Weir site will be 22x7" 154 Mcft.

The gross storage capacity of the tank is proposed as 152 Mcft. of 4.30 M. Cum. which is available at the R' level of 1349.20 out of 152 Mcft., 42 Mcft. is available from its own catchment area and remaining 110 m.m. runoff water will be diverted by the feeder. The gross storage of capacity of the tank is 152 Mcft. which is available at R.L. 1349.20, out of which 18.5 Mcft. is dead storage and balance 133.5 Mcft. live. The irrigation in a normal year will be 1068 acres or 432 hectare with a duty of 8 acres per Mcft

1.6. *Silt.*

No observed silt data are available for the nallah. The silt level of the outlet sluice is proposed at R.L. 1347.00

(97)

which gives a dead storage of 18.5 Mcft. or 0.52 M. Cum. According to an Emperical formula given by Dr. A.N. Khosala the rate of silting may be as below:—

Rate of silting $= \frac{1}{30}$ Mcft per Sq. mile of the catchment.

Silt received per year from the gross
C.A. of 37 Sq. miles $= \frac{37}{30} = 1.23$ Mcft.

It is assumed that one-third of the silt inflow will be deposited in the dead storage and the remaining two-third in the live storage. The useful life of the reservoir is deemed to be over when 25% of the live storage capacity is silted up. The useful life of the reservoir works out to $\frac{0.25 \times 133}{2/3 \times 1.23} = 61$ years.

The cultivate live of the reservoir is expected to be much more.

1.7. *Command*

Commanded area survey of the project could not be done and thus the exact characteristics of the commanded area could not be ascertained. Assuming the intensity of irrigating of 70% of the CCA required for irrigating 1068 acres of land is 1526 acres. The required command is available lower down the dam. Most of the command has no irrigation facilities and cultivation at present mainly depends upon the monsoon rainfall. Crops grown at present are mostly Kharif and mainly maize. Rabi crops are confined to the chape lands and main crop grown is wheat.

The commanded area is generally flat. In the scheme two canals off taking from the head outlet sluice at Ch. 22.00 and Ch. 51.00 of the main dam have been proposed for irrigating lands on both the banks.

1.8. *Water Logging.*

The depth of the water table in the area is about 30' to 40' and general drainage of the area is quite good. There

is little likelihood of the area being water logged after the introduction of canal irrigation.

1.9. *Surveys and Investigation.*

The survey of the dam alignment submergence, pickup Weir feeder alignment etc. have been carried out on the basis of the arbitrary bench mark fixed near the site.

Details of lands, wells etc. likely to come under submergence have also been collected.

The material and soil surveys have been carried out.

1.10. *Lands to be submerged and resettlement of displaced persons.*

An area of 442 acres or 179 hectares will be submerged upto 75% of the live storage capacity of the reservior Details of lands and other properties covering under submergence have been given in XIV (B). Cash compensation is proposed to be paid for all private properties like lands, wells etc. (Wells upto M. W. L. and lands upto 75% of the live storage capacity) coming under submergence. It has been assumed that the owners of lands above the level equivalent to 75% of the live storage capacity would like to retain the title of their lands to use it for bed cultivations. As far as possible the government owned culturable waste lands available in the commanded area will be allotted to the dislpaced persons whose land will come under submergence provisions has been kept for the abatement of land revenue.

1.12. *Bench Marks.*

The entire survey is based on an arbitrary bench mark with an assumed value. A list of bench marks is enclosed (Appendix XIII).

(९७)

कबीर पन्थी ग्रस्थल श्रीपुरा कोटा की जमीन का मामला

26. **श्री ग्रोंकारलाल चौहान** (ग्रटरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कबीर पंथी ग्रस्थल श्रीपुरा कोटा की 119 बीघा 6 बिस्वा ग्राराजी मौजा गामच तहसील बूंदी जिला बून्दी के झगड़े का फैसला राजस्व मण्डल, राजस्थान, ग्रजमेर दिनांक 23-7-64 के बावजूद ग्रभी तक श्रीपुरा ग्रस्थल कोटा के नाम दर्ज नहीं की गई है ग्रर्थात् राजस्व मण्डल राजस्थान ग्रजमेर के निर्णय का ग्रमल नहीं हुग्रा है बल्कि इसकी ग्रवहेलना की गई है?

(2) यदि हां, तो अब राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सत्य है। राजस्व मंडल के निर्णय के पश्चात् कबीर पन्थी ग्रस्थल श्रीपुरा कोटा की ग्रोर से रिकार्ड में ग्रमल बरामद करने हेतु इजराय प्रस्तुत नहीं किये जाने से भूमि का राजस्व रिकार्ड में निर्णय के अनुसार ग्रमल बरामद नहीं हो सका।

(2) इस सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व ग्रधि. 1956 की धारा 125 के ग्रन्तर्गत इन्द्राज दुरुस्ती की कार्यवाही चालू है।